वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2018-19

यूको बैंक **UCO BANK**

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का   Honours Your Trust

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2018-19

Annual Report - 2018-19

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02
• निदेशक मंडल Board of Directors	03
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-08
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संबोधन Managing Director & CEO's Statement	09-12
• निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण Directors' Report & Management Discussion and Analysis	13-44
• महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	45
• व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	46-62
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	63-86
• कार्पोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	87-90
• सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	91-93
• तुलन-पत्र 2018-19 Balance Sheet 2018-19	94-95
• लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	96-97
• लेखों से संबंधित अनुसूची / Schedule to Accounts	98-156
• स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	157-164
• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	165-167
• लाभांश वितरण दिशानिर्देश / Dividend Distribution Guidelines	168
• बासेल-III प्रकटीकरण / Basel-III Disclosures	169-229
• परोक्षी फार्म / Proxy Form	230-231
• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	232

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	बैठक-स्थल / Venue
वार्षिक आम बैठक 2018-19 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल **Date, time & Venue of Annual General Meeting 2018-19**	**26.06.2019** **प्रातः 10.30 A.M.**	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027
• **परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख** **Last date for receipt of proxy form**	**21.06.2019**	Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
R M LALL & CO.
Chartered Accountants

एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
M C BHANDARI & CO.
Chartered Accountants

वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार,
RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants

रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
RAWLA & CO
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी फिंटेक प्रा.लि.
इकाई : यूको बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032

टेलीफोन सं. : (040) 67162222; फैक्स सं. : (040)23420814
ई.मेल आईडी : einword.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvyfintech.com

M/s Karvy Fintech Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B,
Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

Telephone No. : (040) 67162222; Fax No. : (040)23420814
E-mail ID : einword.ris@karvy.com
Website : www.karvyfintech.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd. in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS

श्री ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

SHRI A. K. GOEL
Managing Director & CEO

श्री चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक

SHRI CHARAN SINGH
Executive Director

श्री अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक

SHRI AJAY VYAS
Executive Director

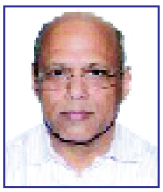

श्री अनिल शर्मा
निदेशक

SHRI ANIL SHARMA
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक

DR. ASISH SAHA
Director

श्री अमित चटर्जी
निदेशक

SHRI AMIT CHATTERJEE
Director

श्री के राजीवन नायर
निदेशक

SHRI K. RAJIVAN NAIR
Director

श्री आनंद मधुकर
निदेशक

SHRI ANAND MADHUKAR
Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक

DR. ARVIND SHARMA
Director

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 26 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, साथ ही लाभ-हानि लेखा एवं बैंक का नकदी प्रवाह, 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ऐ. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28 मई, 2019

Notice

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on 26th June, 2019 at 10.30 A.M. at BhashaBhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business:-

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with statement of Profit& Loss and cash flow of the Bank made upto 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31.03.2019 and Auditors report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow.

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2019

नोट:

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **21 जून, 2019** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700 001 में इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **21 जून, 2019** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि हो, तभी प्रभावी होगा जब वह **21 जून, 2019** को उपर्युक्त पते पर को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में भी जमा कर दिया जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखें। शेयरधारक / परोक्षीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ पैन कार्ड, निर्वाचन आईडी, पासपोर्ट आदि अवश्य रखें। समुचित पहचान के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश करने दिया जाएगा।

शेयरधारक रजिस्टर बंद करना

वार्षिक बही बंद करने के प्रयोजन से शेयरधारक रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बहियाँ गुरुवार, 21 जून, 2019 से बुधवार, 26 जून 2019 तक (उक्त दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

लाभांश

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/ 2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। चूँकि बैंक का नेट एनपीए अग्रिमों के 7% से ज्यादा है तथा चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹4321 करोड़ की हानि दर्शाए जाने के कारण भी निदेशक मंडल ने लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hoursof the Bank on 21st June, 2019. An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section , Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on 21stJune, 2019.The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 21st June, 2019 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passportetc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from 21st June, 2019 to 26th June, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure.

DIVIDEND

As per RBI Notification No.DBOD.No.NP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005, ONLY THOSE Banks which comply with the criteria listed out in the above said circular are eligible to declare dividend. Since, Net NPA of the Bank is more than 7% of the advances and also for the reason that Bank posted loss of ₹4321 Crore during the current year, no dividend is recommended by the Board.

अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205C(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें। जिन शेयरधारकों का लाभांश का आभी तक दावा नहीं किया गया है उनका विवरण बैंक के वेवसाईट के निवेशक खण्ड में उपलब्ध है।

डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन

मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पतों आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को दें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

अंतरण दर्ज करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मे. कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को भेजे जाएँ।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा कारोबार समय में मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मदों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स सवीता ज्योति, कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

रिमोट ई-मतदान के निर्देश

1. https://evoting.karvy.com यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें।
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Fintech Private Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE

Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addressesetc. are duly updated with their Depository Participant.

Lodgement of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to Bank's Registrar and Share Transfer Agents, M/S Karvy Fintech Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed Ms. SavithaJyothi, Practising, Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

1. To use the following URL, for Remote e-voting:
   From Karvy website: https://evoting.karvy.com
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.

3. लॉगइन विवरण (यानी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र/वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित ई–मतदान सूचना में वर्णित प्रयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।

4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।

5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुन: प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।

6. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

7. लॉग इन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट यानी 'यूको बैंक का चयन करने के लिए कहेगा।

8. अंतिम तारीख यानी 19 जून, 2019 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुन:संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।

10. विविध फोलियो/ डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।

11. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

12. पोर्टल 23.06.2019 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 25.06.2019 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।

13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरुआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी और मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 19.06.2019 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

तुलन पत्र / वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.

4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

6. You need to login again with the new credentials.

7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.

8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 19th June 2019 can cast their vote in favour of or against the resolution.

9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.

10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 23.06.2019 to 5 p.m. on 25.06.2019.

13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact KarvyFintech Pvt. Ltd.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 19th June, 2019.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Fintech (P) Limited).

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholdersare advised that copies of the AnnualReport will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

बैठक में विचाराधीन कार्यसूची मदों पर शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली पूछताछ, यदि कोई हो, का स्वागत है। ऐसी पूछताछ पर्याप्त समय से पहले सामने आए तो बैंक प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में रहेगा।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कार्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-323, गचीबावली,फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 दूरभाष: (040) 67162222; फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvyfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ऐ. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28 मई, 2019

SHAREHOLDERS QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Fintech Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67162222; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KarvyFintech Private Limited i.e., www.karvyfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625.

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2019

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement

प्रिय हितधारक,

बैंक की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करने तथा वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं सभी शेयरधारकों को बैंक के चतुर्दिक विकास में उनके सतत समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इसके पहले कि मैं बैंक के कार्यनिष्पादन की खास बातें आपके सामने रखूँ, मैं आर्थिक परिदृश्य पर दो शब्द कहना चाहूँगा।

सूक्ष्म -आर्थिक अवलोकन

व्यापार में बढ़े तनावों, सख्त वित्तीय स्थितियों और चीन में मंदी के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप और व्यापार की गति पर लगाम लगने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उन्नतशील सर्वेक्षण यह संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थ व्यवस्था में ग्राहक का विश्वास बढ़ा है और कारोबार की प्रत्याशाएँ आशावान बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ऋण में सशक्त संवृद्धि होने से बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल निधि प्रवाह सुदृढ़ बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट यह संकेत करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान के दौर से गुजर रही है। जीडीपी के आधार पर भारत अब छठी अर्थव्यवस्था बन गया है। व्यापक रूप से यह विश्वास किया जा रहा है कि मध्यम से दीर्घावधि तक भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ और विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार मध्यावधि में इसकी वार्षिक संवृद्धि के लगभग 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश की क्रियाशीलता बढ़ी है और हाल के संरचनागत

Dear Stakeholder,

It is an immense pleasure to welcome you all to the 16th Annual General Meeting of the Bank and presenting the Annual Report and financial statement of your Bank for the financial year 2018-19. I take this opportunity to extend sincere gratitude to all the shareholders for their persistent support for overall development of the Bank.

Before I proceed to present the performance highlights of the Bank, let me dwell upon the economic scenario.

Macro-Economic Overview

Despite Global economic activity and trade have been shredding momentum during the year 2018-19 on account of elevated trade tensions, tighter financial conditions and slow down in China, some of the forward looking surveys conducted by Reserve Bank of India indicate that consumer confidence has improved and business expectations remain optimistic in Indian economy. Moreover,aggregate flow of funds to commercial sector from banks and non banks remains robust, led by strong growth in bank credit.

Indian economy

The latest World Bank report indicates that Indian economy is going through a phase of revival. On the basis of GDP, India is now the sixth biggest economy. India is widely believed to remain world's fastest growing economy in the medium to long term. As per the projections by IMF and World Bank, in the medium term the annual growth is projected to be around 7.5 percent. The investment activity has accelerated during the

सुधारों के लाभों को मूर्त रूप लेना शुरूकरने के बाद इसमें और भी दृढ़ता आने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के उत्तरार्ध में हेड लाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही और केंद्र सरकार राजकोषीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनी हुई है।

बैंकिंग परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली रूपांतरण के कगार पर थी और बैंकिंग प्रणाली को संक्रमण के कठिन दौर से निकालना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का औपचारिक विनियामक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कई संरचनागत उपायों की सहायता से इसमें सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं। कार्यनिष्पादन के आधार पर तथा केंद्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण का समर्थन देने के कारण, कुछ बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के ढांचे से बाहर आ गए जिससे बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में योगदान करने में सहूलियत हुई।

हाल ही में आये दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) से सहायता लेते हुए लागू नए समाधान ढाँचे ने एक परिवेश तैयार किया ताकि प्रारम्भिक दबाव की पूर्व पहचान का सहारा लेते हुए बकाया आस्तियों का अधिकतम मूल्य वसूला जा सके। लेनदारों के पक्ष में शक्ति संतुलन समाधान प्रक्रिया को तीव्रतर और बाजार अनुकूल बनाने में सहायक हुआ। ये उपाय बैंकों को अपना तुलन-पत्र स्वच्छ करने तथा विद्यमान ऋण संस्कृति और अनुशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। आईबीसी ढाँचे की प्रगति उत्साहवर्धक है और इसके फलस्वरूप पूर्व के समाधान तंत्र के मुक़ाबले बेहतर वसूली हो रही है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन की झलकियाँ निम्नानुसार हैं :

बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹3,17,480 करोड़ हो गया और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 3.81% की संवृद्धि दर दर्ज की गई। बैंक का देशी कारोबार बढ़कर ₹3,04,017 तक पहुँच गया और उसमें 8.28% की संवृद्धि दर दर्ज की गई। देशी जमा राशि 11.78% की संवृद्धि दर के साथ ₹1,92,278 करोड़ हो गई जबकि देशी अग्रिम बढ़कर ₹1,11,738 करोड़ हो गए और उनमें 2.75% की संवृद्धि दर्ज की गई। देशी कासा जमाराशि बढ़कर ₹85,559 करोड़ तक पहुँच गई और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 33.53% की संवृद्धि हुई। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-वालेट तथा अन्य प्रौद्योगिकी अनुकूल उपकरण जैसे विभिन्न समाधानों की पेशकश करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर विभिन्न अल्प लागतवाली कासा जमा राशि लाने के लिए बैंक ने कई उपाय किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक को ₹2760 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसे ₹1334 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ था। इस तरह इसमें 106.88% की संवृद्धि हुई है तथा ब्याज आय बढ़ी है और व्यय घटा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹4436 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक की निवल हानि घटकर ₹4321 रह गई। निवल हानि मुख्य रूप से अनर्जक आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधान की आवश्यकताओं के कारण हुई। जीएनपीए का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017-18 के 24.64% से थोड़ा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.00% हो गया। शुद्ध अनर्जक

year 2018-19 and is expected to strengthen further as the benefits of recent structural reforms begun to materialize. The head line CPI inflation remained below the target of 4 percent during the second half of FY 2018-19 and the central government remains committed to the fiscal targets.

Banking Scenario

During the financial year 2018-19, Indian Banking system was on the cusp of transformation and has begun to show signs of improvement aided by number of structural measures initiated by the Central Government for growth of formal economy and regulatory approach of the Reserve Bank of India in ensuring the Banking system to tide away the transitory difficult phase. Based on performance and backed by Recapitalization of Public Sector Banks by central government, few Banks came out of Prompt Corrective Action frame work which enabled the Banks to ease lending constraints and to contribute to the growth of economy.

The newly introducedresolution frame work aided with Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) created an environment in which maximum value can be realized from troubled assets, bolstered by early identification of incipient stress. The shift of power in favour of creditors helped in speedier and market driven resolution process. These measures are helping the Banks in cleaning up their balance sheets and aiding a paradigm shift in extant credit culture and discipline. The progress of IBC framework is encouraging and resulting in better recovery as compared to earlier resolution mechanism.

Financial performance

A snap shot of Bank's financial performance during the financial year 2018-19 is as under:

Global business of the Bank increased to ₹3,17,480 crore registering a y-o-y growth rate of 3.81%. The domestic business of the Bank increased to ₹3,04,017 Crore registering a growth rate of 8.28%. The domestic deposits increased to ₹1,92,278 Crore registering a growth rate of 11.78% while domestic advances increased to ₹1,11,738 Crore registering a growth rate of 2.75%. Domestic CASA deposits of the Bank increased to ₹85,559 Crore registering ay-o-y growth of 33.53%. Bank has taken several measures to attract low cost deposits by developing digital infrastructure to offervarious solutions like mobile banking, net banking, e-wallets, and other technology driven instruments for catering customer needs.

The operating profit of the Bank for the FY 2018-19 is ₹2760 crore against Rs.1334 Crore during FY 2017-18 reflecting a growth of 106.88% with increase in interest income and decline in expenses.

The net loss of the Bank for FY 2018-19 reduced to ₹4321 crore as compared to loss of ₹4436 crore during FY 2017-18. The net loss is mainly on account of higher provisioning requirements on non performing assets. GNPA percentage increased marginally to 25.00% in FY 2018-19 from 24.64% in

आस्ति घटकर 9.72% हो गई जो कि पिछले वर्ष 13.10% थी। प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के 61.38% से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को 74.93% हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने वसूली के क्षेत्र में नकदी वसूली तथा अपग्रेडेशन में अच्छा काम किया है। वर्ष 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि मार्च, 2018 के ₹4290 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 में ₹5324 करोड़ रही। इस वर्ष के दौरान नकदी वसूली की वृद्धि दर विगत वर्ष से 78% ज्यादा रही।

दिनांक 31.03.2019 को कॉमन ईक्विटी टियर I (सीईटी I) 8.64% था और दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति को बासेल III के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 10.70% पर बना रहा, जो 10.75% की विनियामक अपेक्षा से थोड़ा कम था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार के समर्थन से कुल ₹6406 करोड़ के पूँजी अंतः प्रवाह के माध्यम से पूँजी पर्याप्तता सुदृढ़ की गई।

बैंक के शेयरधारक बनाने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने यूको बैंक कर्मचारी शेयर क्रय योजना के तहत बाजार मूल्य से कम दर पर ₹14.25 प्रति शेयर के मूल्य पर 20 करोड़ ईक्विटी शेयरों की पेशकश की। बैंक की पूँजी में अंशदान करने में बैंक के कर्मचारियों ने अत्यंत रुचि दिखाई। शेयर आवेदन राशि के रूप में कर्मचारियों से बैंक को ₹266.68 करोड़ प्राप्त हुए। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2019 के समाप्त होने के बाद दिनांक 23.04.2019 को ये शेयर आबंटित किए गए।

पुरस्कार

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2018-19 में बैंक को निम्नांकित पुरस्कार प्राप्त हुए :

- राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार -2017 के अंतर्गत एनपीसीआई का विशेष पुरस्कार -मई, 2018 में।
- यूको सिक्योर ऐप के लिए आईडीआरबीटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी नवाचार प्रतियोगिता(आईबीटीसी)-2018 का तृतीय पुरस्कार - अप्रैल 2018 में
- यूको एचआरएमएस प्लस के लिए आईडीआरबीटी बैंकिंग ऐप्लिकेशन प्रतियोगिता, 2017 का तृतीय पुरस्कार।
- इन्फोसिस फिनैक्ल क्लायंट इनोवेशन अवार्ड 2017- मध्यम आकार के बैंकों की श्रेणी में परियोजना प्रबंधन के सेगमेंट इनोवेशन में विजेता।

आगे की राह

आय पहचान के मुद्दों के समाधान के साथ-साथ बैंक की अनर्जक आस्ति अपने शिखर पर रही है प्रावधान की बढ़ती अपेक्षाओं, ब्याज रिवर्सल के कारण बैंक आस्तियों पर लगातार नकारात्मक प्रतिफल मिलता रहा जिसके कारण बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे के अंतर्गत आना पड़ा।

अल्प लागत की जमाराशि आधार को बढ़ाने, रिटेल और एमएसएमई कारोबार को सुदृढ़ करने, कृषि कारोबार बढ़ाने, वसूली और ऋण निगरानी को सुदृढ़ करने की कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020 तक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे से बाहर आने के लिए बैंक ने संकल्प 2020 लिया है।

FY 2017-18. Net NPA percentage decreased to 9.72% in FY 2018-19 from 13.10% in previous year. The provision coverage ratio increased to 74.93% as on 31.03.2019 from 61.38% as on 31.03.2018. Bank has shown significant performance in recovery as Cash recovery and upgradation for the year 2018-19 has shown Y-o-Y growth at 24% from ₹4290 Crore in March 2018 to ₹5324 Crore in March 2019. Cash recovery during the year has increased by 78% over the previous year.

The Common Equity Tier I (CET I) was at 8.64% as on 31.03.2019 and Capital Adequacy Ratio (CRAR) under BASEL III remained at 10.70% as on 31st March, 2019 slightly lower than regulatory requirement of 10.875%. The capital adequacy was strengthened with support from central government through aggregate capital infusion of ₹6406 crore during FY 2018-19.

During the FY 2018-19, Bank has come out with offer of 20 crore equity shares at ₹14.25 per share at a discount to market price under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme to encourage employees in becoming shareholders of the Bank. Employees of the Bank evinced huge interest to contribute towards capital of the Bank. Bank has received Rs.266.68 Crore from the employees towards share application money. Shares were allotted after the end of FY 2019 on 23.04.2019 subsequent to receipt of all necessary approvals.

Awards

Bank has received following awards during the year 2018-19 for the its achievement in these areas:

- NPCIs Special Award under National Payments Excellence Awards - 2017 in May 2018.
- 3rd Prize on IDRBT Banking Technology Innovation Contest (IBTC) -2018 for UCO Secure App in April 2018.
- 3rd Prize on IDRBT Banking Application contest 2017 for UCO HRMS plus.
- Infosys Finacle Client Innovation Award 2017 - Winner in Segment Innovation in Project Management under Mid size Bank.

Way forward

With addressing of recognition issue, nonperforming assets of the Bank have been at its peak. Mounting provisioning requirements, interest reversals led the Bank to post consistent negative return on assets and subjected the bank to bring under RBI framework of Prompt Corrective Action.

Bank made SANKALP-2020 to come out of Prompt Corrective Action frame work by FY 2020 through strategies for enhancement of low cost deposit base, strengthening Retail & MSME business, increasing agricultural business, strengthening of recovery and credit monitoring.

वित्तीय वर्ष 2020 में दबावग्रस्त आस्ति की वसूली प्रमुख ध्यान देनेवाला क्षेत्र होगा। बैंक ने शीघ्र वसूली के लिए समझौता निपटान योजनाएँ तात्कालिक रूप से बनाई हैं और वह सरफेसी अधिनियम, डीआरटी, लोक अदालतों, एनसीएलटी, देशव्यापी एमजी वसूली शिविरों, रोड शो, माओ अभियानों, इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा आदि के तहत वसूली उपाय करने हेतु सभी स्तरों पर पूरी तरह से तैयार हो गया है।

कुछ अन्य पहलें भी की गई हैं जिनमें प्रधान कार्यालय में विपणन विभाग की स्थापना, रिटेल ऋण हब और एसएमई हब को सुदृढ़ करना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना तथा नियंत्रण को सुदृढ़ करने एवं अत्यधिक पारदर्शिता प्रदान करने हेतु प्रक्रियाओं को नया स्वरूप देने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।

उन्नत समष्टि आर्थिक परिवेश और बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों में सुधार की प्रत्याशा के साथ हमने बैंक को पुनः लाभप्रद स्थिति में लाने का संकल्प किया है।

मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने प्रबंधन के सभी प्रयासों में अपना बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं बैंक के सभी कर्मचारियों के कठोर परिश्रम, उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

मैं सभी हितधारकों से उनके सतत समर्थन की आकांक्षा करता हूँ।

(ऐ. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The major focus area for the FY 2020 is Recovery of stressed assets. Bank has improvised compromise settlement schemes for speedy recovery and geared up recovery mechanism at all levels to initiate recovery measures under SARFAESI Act, DRTs, LokAdalats, NCLT, Country wide mega recovery camps, Road shows, MAO campaigns, declaration of willful defaulters etc.,

Few of other initiatives would include setting up of marketing department at Head Office, strengthening retail loan hubs and SME loan hubs, digital deepening and use of technology in redesigning the processes to strengthen controls and providing greater transparency.

With the improved macroeconomic environment and expected improvement in stress assets of the Bank, we have taken a SANKALP to bring back the Bank to profitable position.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valued support and guidance to the management in all the endeavors. I would also acknowledge the hard work, dedication and commitment shown by all the employees of the Bank.

I would look forward for continued support from all the stakeholders.

(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2018-19
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2018-19

I. प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 3.6% की दर से बढ़ी। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा छीजता निवेश, बढ़ता हुआ व्यापार तनाव तथा वित्तीय बाजार का उल्लेखनीय दबाव ये सब मिलकर वर्ष 2019 में विकास - दर को 3.3% पर ले जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से विकसित होगी। संयुक्त राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 1918 में 2.9% की दर से बढ़ी तथा संभावना है कि वर्ष 2019 में यह धीमी होकर 2.3% पर आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में रोजगार की दर घटी है तथा श्रम संबंधी गतिविधियों में तेजी आई है। खराब मौसम तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण जापान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर धीमी रही। 2019 में यह 1% की दर से बढ़ने को तैयार है। शैडो बैंककारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास में वित्तीय विनियमों को कड़ा करने की वजह से तथा संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापार विवादों के बढ़ने के कारण मुख्यतः चीन की अर्थव्यवस्था 2018 में धीमी गति से बढ़ी। आगे भी 2019 में विकास की गति में मंदी में आने की आशंका है जो 6.2% पर आकर ठहरेगी। 2019 में यूरो अर्थव्यवस्था के 1.3% की दर से तथा 2020 में 1.5% की दर से बढ़ने की आशा की जाती है। बहुत से देशों में मुख्यतः जर्मनी, इटली तथा फ्रांस में विकास दर में कमी आने की बात कही जा रही है। यूरोप तथा मध्य एशिया में आर्थिक क्रियाकलाप मंद रहा। अर्थव्यवस्था वर्ष वर्ष 2018 में 3.1% की दर से बढ़ी। निर्यात की कमजोरी तथा श्रम की कमी बुल्गारिया, क्रोशिया तथा रोमानिया के विकास के रोधक रहे। रूसी संघ तथा मध्य एशिया के अन्य तेल निर्यातकों ने 2018 में सतत विकास बनाए रखा। तेल की बढ़ती कीमतों से इसमें उन्हें मदद मिली। रूस में निम्न तथा स्थाई मुद्रास्फीति रही तथा तेल की कीमतें बढ़ी। सुदृढ़ घरेलू गतिविधियों के फलस्वरूप वर्ष के अंत होते-होते रूस की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ी । लातिनी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2019 में 1.4% की तथा 2020 में 2.4% की दर से बढ़ने का अंदाज है । धीमी वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार मंदा हुआ तथा वाह्य वित्तीय दशाएं कठोर बनी रहीं।

जहां तक मुद्रास्फीति की बात है विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वह 2018 के 2.0% की तुलना में इस वर्ष 1.6% तक नीचे आएगी। संयुक्त राष्ट्र अर्थव्यवस्था की कोर मुद्रास्फीति 2.0% के मध्य अवधि लक्ष्य को पा जाएगी ऐसा अनुमान है। यूरो क्षेत्र में कुल मुद्रास्फीति को 2018 के 1.2% के स्तर से बढ़कर 2022 में 2.0% प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना बताई जाती है। जापान की कोर मुद्रास्फीति 2020 के अंत तक 1.4% तक बढ़ने का अनुमान किया गया है। उभरते बाजार तथा विकासशील देश में मुद्रास्फीति वर्ष 2018 की 4.8% के मुकाबले इस वर्ष 4.9% पर स्थिर रहेगी।

2018 में वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी रही। वैश्विक चालू व्यापार घाटे तथा अधिशेष के विगत वर्ष की तुलना में 2018 में सीमांत रूप से अंतर आने का अनुमान है। तेल की कीमतों का ज्यादा होना ही व्यापार के इस अंतर का मुख्य कारण है।

वर्ष 2018 के अंतिम माह में कड़ाई बरतने के साथ ही विकसित अर्थव्यवस्था की वित्तीय दशा में सुधार हुआ है। संघीय मुक्त बाजार समिति में संयुक्त राष्ट्र रिजर्व ने नमनीय रुख का परिचय दिया तथा इस वर्ष के दौरान ब्याज दरों में वृद्धि न करने का संकेत दिया। यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जिसने दिसंबर में अपना शुद्ध आस्ति क्रय खत्म कर दिया था, मार्च माह में कम से कम इस वर्ष के अंत तक, नीतिगत दरों में वृद्धि को स्थगित रखने की घोषणा की। उभरते हुए अनेक बाजारों के केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों का प्रत्याहार किया। ऐसा मुद्रास्फीति के बढ़ने की आशंका के कारण किया गया। मौद्रिक नीति में कढ़ाई बरतने की संभावनाओं का अंदाज लगाते हुए विनिमय दर के मोर्चे पर

I. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY:

Global economy grew at 3.6% in 2018 and projected to decline 3.3% in 2019 due to moderations in economic activity , international trade and softened investment, trade tension remains elevated and substantial financial market pressure continues. In 2020 global economy is expected to grow at 3.6%. US economy grew at 2.9% in the year 2018 and expected to decline 2.3% in 2019. The unemployment rates in US have fallen and labour productivity has shown sign of picking up. Japan economy growth slowed in 2018 due to bad weather and natural disasters and is set to grow 1.0% in 2019. China's economy slowed in 2018 mainly due to financial regulatory tightening to rein in shadow banking activity and widening trade dispute with US, further deceleration in growth is projected for 2019 and expected to stick at 6.2% . The euro economy is expected to grow at 1.3% in 2019 and 1.5% in 2020. Growth rates expected to decline for many countries notably Germany, Italy and France. Economic activity in Europe and central Asia remain sluggish and economy grew at 3.1% in 2018. Softening exports and labour shortages restrained growth in Bulgaria, Croatia and Romania. The Russia federation and other oil exports in central Asia maintained steady growth in 2018, supported by a rise in Oil prices. Russia experienced low and stable inflation and increased Oil production. As a result of robust domestic activity, the Russia economy expanded at a 1.6% in the year ended. Latin America economy expected to grow at 1.4% in 2019 and 2.4% in 2020. The slow growth outcome reflected softening global trade growth and tighter external financing condition.

In advanced economic inflation is stood at 1.6% in FY 2018-19 compared to the last year 2.0% in 2017-18. US economy core inflation is expected to exceed the medium term target of 2.0% . In Euro area, core inflation is expected to gradually increase from 1.2% in 2018 to 2% in 2022. Japan core inflation is projected to rise to 1.4% by the end of 2020. Inflation in emerging market and developing economics expected to firm to 4.9% this year from 4.8% in 2018.

Global trade growth slowed considerably in 2018. Global current account deficit and surpluses are estimated to have widened marginally in 2018 compared with the previous year. Higher oil prices have been the main driver of this widening of trade.

Financial conditions in advanced economies have eased since start of the year, after tightening sharply in the final month of 2018. US Federal Reserve used flexible approach in the meeting of the Federal Open Market Committee and signaled a pause in its interest rate hiked for this year. The European Central Bank which ended its net asset purchases in December, announced in March postponed rise in policy rates to at least the end of this year. Central Banks in many emerging market economics have lifted policy rates because of concerns that inflation may rise. In exchange rate front US dollar was appreciated expecting

संयुक्त राष्ट्र डालर का अवमूल्यन किया गया। यूरो का 3% की दर से अवमूल्यन तथा इनका सामान्य अधिमूल्यन तथा बेक्सिट मोलभाव के परिणाम की अनिश्चित अपेक्षाओं को देखते हुए पाउंड 3% की दर से मजबूत हुआ।

बांड प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वैश्विक एक्विटी बाजार में गिरावट रही। दिसंबर 2018 में बांडों की प्राप्तियां धारदार रहीं। जिसमें व्यापार तनावों की अनिश्चयता ब्रेक्सिट एवं इटली के राजनैतिक उथल-पुथल के कारण अधिकाधिक जोखिम अस्वीकरण तथा अनिश्चयता का प्रतिबिंब दीखता था। संयुक्त राष्ट्र में दस वर्ष की कोष प्राप्तियां विफल रहीं। यूरोप में दिसंबर में ईसीबी की बैठक हुई। बैठक में बांड खरीद योजना समाप्त करने की पुष्टि के माध्यम से बांड प्राप्तियों में ह्रास हुआ। कमज़ोर वृद्धि दर के फलस्वरूप जापानी बांड प्रतिफल नीचे गया।

2. देशी अर्थव्यवस्था

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का राष्ट्रीय आय पर दूसरे अग्रिम आकलन के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 7.0% रहेगी। सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही उपभोगों में कमी आने के कारण घरेलू आर्थिक क्रियाकलाप धीमा रहा। तथापि, सकल नियत पूंजी निर्माण वृद्धि 2 अंकों में बनी रही। वर्ष 2018-19 के लिए बेसिस मूल्यों पर सकल मूल्य जोड़ (जीवीए) के 6.8% रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के क्रमशः 2.7%, 7.7% तथा 7.4% की दर से विकास होने का अनुमान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2017-18 की उसी अवधि के दौरान 4.28% की मुद्रास्फीति के मुकाबले 2018-19 में मुद्रास्फीति की दर 2.86% रही। खाद्य तथा ईंधन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तथा खाद्य समूह की कमजोर अवस्फीति का कारण था मुद्रास्फीति की बढ़ोत्तरी। 2019-20 की मुद्रास्फीति अनेक कारकों पर निर्भर है। जैसे खाद्य में निम्न मुद्रास्फीति, ईंधन समूह की स्फीति का गिरना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत का बढ़ना। 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक 3.18% पर रहा जबकि यह 2017-18 में 2.74% था। 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के विकास में 3.6% की मंदी आई। जबकि विगत वर्ष यह 4.4% थी। मार्च में आठ कोर उद्योगों का विकास मंद रहा। 2018-19 के लिए 281.4 मिलियन टन अन्न उत्पादन का दूसरा अग्रिम आकलन 2018-19 के चौथे अग्रिम आकलन से 1.2% कम था। परंतु वह 2017-18 के दूसरे अग्रिम आकलन से 1.4% ज्यादा था। माल के निर्यात एवं आयात का मूल्य क्रमशः 9.06% तथा 8.99% की दर से बढ़ा। निरपेक्ष मूल्य में मार्च 2019 के अनुसार यह 331.02 बिलियन डॉलर तथा 504.44 बिलियन डॉलर था।

बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारः

मुद्रा आपूर्ति (एम3) मार्च 2019 को एम3 की वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.6% रही जबकि उसके समरूप विगत वर्ष में यह 9.2% थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशि में विगत वर्ष की उसी तारीख को दर्ज की गई 6.5% की वृद्धि की तुलना में मार्च 2019 के अनुसार वर्ष दर वर्ष 10.0% की वृद्धि हुई। मार्च 2019 को बैंक ऋणों में 13.2% की वृद्धि हुई। यह विगत वर्ष की 10% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। मार्च 2019 में भारत की विदेशी मुद्रा अर क्षितियां 412.9 बिलियन डालर थी अगस्त-सितंबर 2018 में भारी दबाव के आने के बाद संयुक्त राष्ट्र डॉलर के बर-अक्स भारतीय रुपए का अधिकृत (नॉमिनल) विनिमय दर अक्तूबर के स्तर से बढ़ा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा पोर्टफोलियो प्रवाह की अनिश्चितता भी भारतीय रुपये पर निम्न अभिमुख दबाव नहीं बना सकीं। वर्ष 2019-20 के वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% पर रोक रखा गया। 3% की वित्तीय घाटे के लक्ष्य को 2020-21 तक प्राप्त करना तय किया गया। सरकार ने तय किया कि वह 2018-19 के दूसरी छमाही में कम उधार लेगी जिससे 2018-19 के लिए बाजार उधारी कार्यक्रम में

monetary policy tightening. The euro depreciated by about 3% and yen appreciated modestly and the pound strengthened by about 3% on shifting expectations of the outcome Brexit negotiations.

Global equity markets declined due to spike in bond yields. Bond yields edged lower during Dec 2018 reflecting increased risk aversion and volatility amidst uncertainty relating to trade tensions, Brexit and political concerns in Italy. In US 10 year treasury yields fell. In Europe, bond yield fell through the ECB confirming in its December meeting that it would end the bond purchase programme. Japanese bonds yield fell significantly triggered by weak growth rate.

2. DOMESTIC ECONOMY:

As per the second advance estimate of Central Statistics Office (CSO) on national income, the growth of real Gross Domestic Product (GDP) for 2018-19 is estimated to be 7.0%. Domestic economic activity decelerated due to slowdown in consumption, both public and private. However, gross fixed capital formation growth remained in double digit. The growth of Gross Value Added (GVA) at constant- basis prices for the year 2018-19 is estimated to be 6.8% .Agriculture, industry and service sectors is estimated to grow at 2.7% 7.7% and 7.4% respectively in 2018-19. Consumer Price Index (CPI) inflation stood at 2.86% in 2018-19 as compared to 4.28% in the corresponding period of 2017-18. The uptick in inflation was driven by an increase in prices of items excluding food and fuel and weaker momentum of deflation in the food group. The inflation 2019-20 is likely to shape by several factors such as low food inflation, fall in the fuel group inflation and increase in international crude oil prices. WPI inflation stood at 3.18% in 2018-19 vis-à-vis 2.74% in 2017-18. The growth of Index of Industrial Production (IIP) slowdown to 3.6% during 2018-19 as compared to the previous year 4.4% . The growth of eight core industries remained sluggish in 2018-19 and stood at 4.3%. The second advance estimate of food grains production for 2018-19 at 281.4 million tonnes were 1.2% lower than the fourth advance estimates of 2017-18, but 1.4% higher than the second advance estimates of 2017-18. The value of merchandise exports and imports grew by 9.06% and 8.99% respectively. In absolute value it was $ 331.02 billion and $507.44 billion respectively as of March 2019.

Banking and Financial Markets:

Money Supply (M3) growth of M3 on Y-O-Y as of March 2019 stood at 10.6% as recorded in the corresponding previous year at 9.2%. Aggregate deposit of scheduled commercial bank stood at 10.0% on Y-O-Y as of March 2019, as compared to 6.5% recorded the corresponding date of previous year. Growth of bank credit was 13.2% as of March 2019, higher as compared to 10.0% of the previous year. India's foreign exchange reserves were at $412.9 billion on March 2019. The nominal exchange rate of Indian rupees vis-à-vis the US dollar has appreciated from its October level after coming under sustained pressure during August - September 2018. Higher Crude Oil prices and volatility in portfolio flows could put downward pressure on the Indian rupee. Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for 2019-20 and Target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21. The Govt. decided to borrow less in H2 2018-19 which led to revision of market borrowing programme for 2018-19 from ₹6055 billion

संशोधन करना और उसे 6055 बिलियन रुपये से घटाकर 5710 बिलियन रुपये करना पड़ा। इस प्रकार केंद्रीय सरकार ने मार्च 2019 के अनुसार अपना संशोधित उधार पूरा किया। सरकार ने आंतरिक बजट 2019-20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। जैसा कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, 2018-19 के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों के विभिन्न सेग्मेंटों में विभिन्न प्रकार की गति देखी गई। वैश्विक परिणाम तथा घरेलू घटनाओं, जिनमें मुक्त बाजार खरीद, परिचालन तथा सरकार के बड़े उधार कार्यक्रमों के प्रत्युत्तर में बड़ी अवधि जी-सेक प्रतिफल के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने मिले-जुले प्रकार के लिखतों के माध्यम से तरलता पहुँचाई। वैश्विक प्रभावों तथा घरेलू घटनाओं जिनमें मुक्त बाज़ार खरीद, परिचालन तथा सरकार के बड़े उधार कार्यक्रम शामिल है के प्रत्युत्तर में कोष बिल के प्रतिफल वृहत्तर टेनर जी सेक प्रतिफल के साथ चले। नवंबर 2018 के दौरान निम्न मुद्रास्फीति के साथ कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के कारण प्रतिफल में कमी आई। दिसंबर 2018 के दौरान अंतरिम बजट 2019-20 की घोषणा के बाद बेंचमार्क पेपर पर प्रतिफल 7.37% गिरा। इससे नए बेंच मार्क पेपर का प्रतिफल 7.26% जीएस 2029 पर 9 बीपीएस से 7.38% पर जाकर सुंदृढ़ हुआ। भारतीय इक्विटी बाजार जो अगस्त 2018 तक सुदृढ़ था, सितंबर में चोट खा गया। ऐसा आईएल एंड एफएस कारणों से हुआ। चूंकि एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी थी तथा वैश्विक व्यापार तनाव के कारण बाजार की संवेदना को ठेस पहुंची थी, अक्तूबर में स्थिति बदतर हो गई।

to ₹5710 billion. Thus central govt. completed its revised borrowing as on March 2019.Govt has invested ₹2.6 lakh crore for recapitalization of PSBs as per the interim budget 2019-20. Divergent movement was observed in various segments of the domestic financial markets as they reacted differently to be global in 2018-19. RBI injected liquidity through a mix of instruments, yields on treasury bills move in sync with larger tenor G-sec yields in response to global spillover as well as domestic developments including large infusion of liquidity through open market purchase operation and large borrowing programme of the govt. Lower inflation accompanied by sharp decline in crude oil prices resulted in decline in yield during November 2018. During December 2018, yields on the benchmark paper fell to 7.37% after announcement of interim budget 2019-20, led to firming up of the yield on the new benchmark paper 7.26% GS 2029 by 9 bps to 7.38%. The Indian equity market, which was buoyant till Aug 2018, faced sharply during September, triggered by the unfolding of IL&FS episode. The downturn got exacerbated in October as market sentiment was dented by the liquidity tightness in NBFC sector, coupled with global trade tensions.

II. 2018-19 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

1. कारोबार विवरण चैनल :

1.1. पारंपरिक नेटवर्क :

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का वैश्विक कारोबार ₹3,17,480 करोड़. रहा और इसमें मार्च 2018 के ₹3,05,838 करोड़ की तुलना में 3.81% की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक जमाराशि में 8.83% की वृद्धि हुई और दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यह ₹1,97,906.78 करोड़ हो गई। वैश्विक अग्रिमों में 3.56% की कमी आई और ये दिनांक 31.03.2018 के ₹1,23,990 करोड़ की तुलना में घटकर ₹1,19,573.01 करोड़ हो गए।

विगत 5वर्षों मे वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार रहा :

II. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2018-19:

1. UCO's Delivery Channels:

1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:

Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2019, Bank has 42 Zones and 3086 domestic branches and 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

	मार्च / March, '15	मार्च / March '16	मार्च / March '17	मार्च / March '18	मार्च / March '19
शाखा/Branch	3020	3077	3104	3108	3088

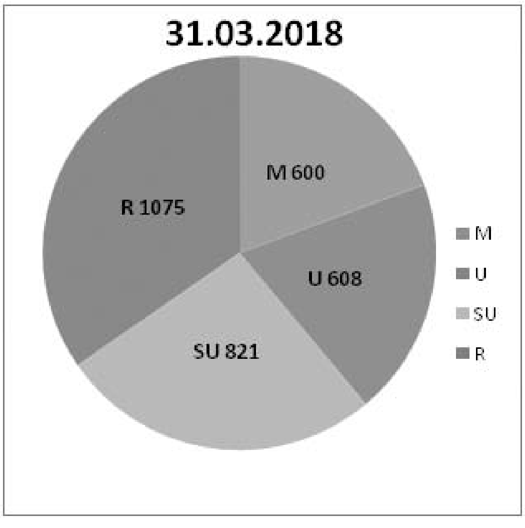

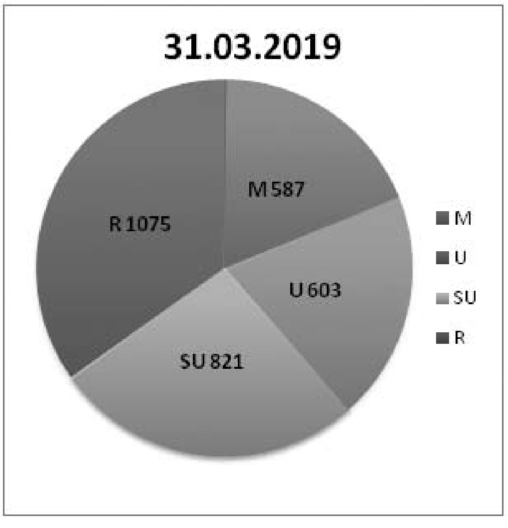

1.2 शाखा एवं कार्यालय नेटवर्क

31मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2019 को जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया हैः

देशी शाखाओं में 5 फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएँ, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ, 4 सेवा शाखाएँ स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं। 1 केंद्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र और 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा भी हैं। देश भर के विविध केंद्रों की प्रमुख नगरीय शाखाओं से जुड़े 27 रिटेल लोन हब 1 एसएमई हब एवं 72 मुद्रा तिजोरियां, इसके अलावा भी काम कर रहे हैं।

2. कारोबार प्रोफाइल :

2.1. वैश्विकः

- दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का वैश्विक कारोबार ₹3,17,480 करोड़. रहा और इसमें मार्च 2018 के ₹3.05,838 करोड़ की तुलना में 3.81% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वैश्विक जमाराशि में 8.83% की वृद्धि हुई और दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यह ₹1,97,906.78 करोड़ हो गई । वैश्विक अग्रिमों में 3.56% की कमी आई और ये दिनांक 31.03.2018 के ₹1,23,990 करोड़ की तुलना में घटकर ₹1,19,573.01 करोड़ हो गए।

1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2018 & 31.03.2019 is given below:

The domestic branches include 5 Flagship corporate branches, 7 AssetManagement branches, 4 service branches and 1 central processing centre, 1 integrated treasury branch. Further 27 Retail loan hubs, 1 SME hub, 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centres.

2. BUSINESS PROFILE:

2.1. GLOBAL:

- Global business of the Bank stood at ₹3,17,480 crore as of 31.03.2019 compared to ₹3,05,838 crore showing an increase of 3.81% over March 2018.
- Global Deposits has increased by 8.83% as of 31.03.2019 and stood at ₹1,97,906.78 crore. Global advances fell by 3.56% and stood at ₹1,19,573.01 crore compared to ₹1,23,990 crore as of 31.03.2018.

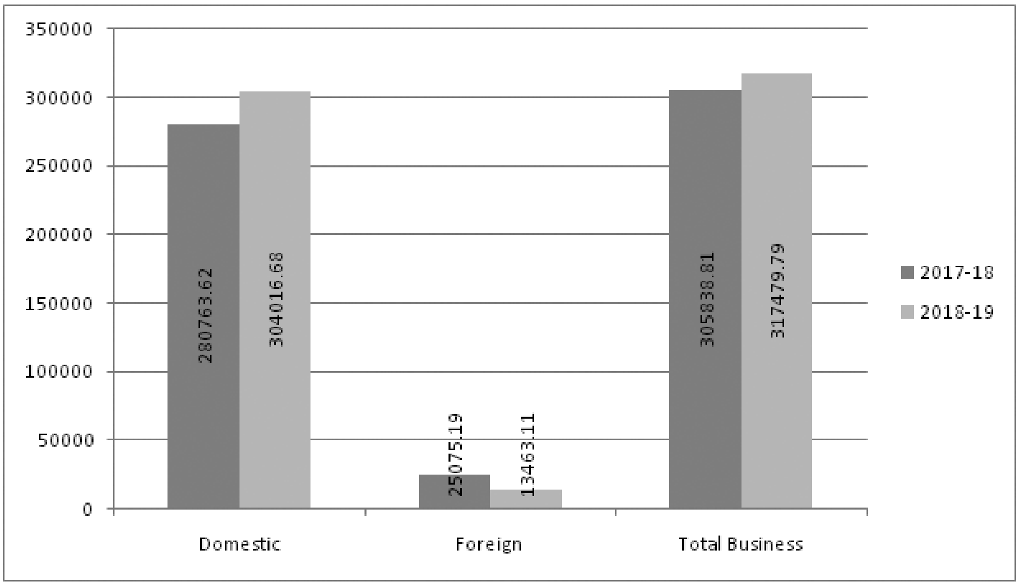

2.2. घरेलू :

- बैंक के समग्र देशी कारोबार में 8.28% की वृद्धि हुई और दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹2,80,763.62 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को यह ₹3,04,016.68 करोड़ पर पहुँच गया।
- 11.78% की वृद्धि के साथ कुल जमाराशि ₹1,92,278.15 करोड़ हो गई।
- अग्रिमों में 2.75% की वृद्धि दर्ज की गई और ये ₹108746.19 करोड़ से बढ़कर ₹111738.53 करोड़ हो गए ।
- कासा जमाराशि में वर्ष दर वर्ष 33.53% की वृद्धि देखी गई और यह बढ़कर ₹85,559.42 हो गई, बचत बैंक जमाराशि में 8.35% की वृद्धि हुई और यह ₹59,316 करोड़ हो गई। चालू जमाराशि में वर्ष दर वर्ष आधार पर 181.29% की वृद्धि देखने में आई और यह दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹9329.68 करोड़ से बढ़कर ₹26243.07 करोड़ हो गई।

2.2. DOMESTIC:

- Overall domestic business of the Bank has increased by 8.28% reached at ₹3,04,016.68crore as of 31.03.2019 from ₹2,80,763.62 as of 31.03.2018.
- Total deposits increased by 11.78% and stood at ₹1,92,278.15 crore.
- Advances registered a growth of 2.75% from ₹108746.19 crore to ₹111738.53 crore.
- CASA deposits increased by 33.53% on Y-O-Y and stood at ₹85,559.42 crore, SB deposits grew by 8.35% and stood at Rs. 59,316 crore. Current deposits stood at ₹26243.07 crore compared to Rs. 9329.68 as of 31.03.2018, showing a growth of 181.29% on Y-O-Y basis.

● देशी जमाराशि में अल्प लागत वाली जमाराशि (कासा) का अंश दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के 37.25% से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को 44.50% हो गया ।

● Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits improved from 37.25% as of 31.03.2018 to 44.50% as of 31.03.2019.

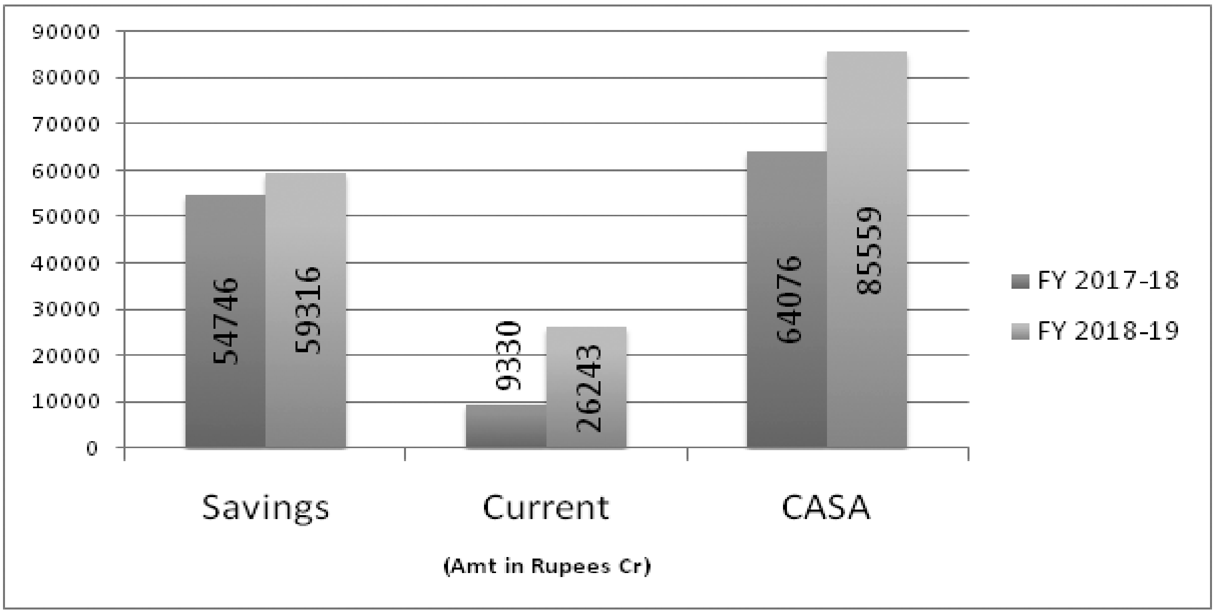

2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को ₹4321 करोड़ की हानि हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹4436 करोड़ की हानि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हानि घटी है और वित्तीय वर्ष 2019 में ₹2760 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ है जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में रु.1334 का परिचालन लाभ हुआ था और इस तरह इसमें 106.89% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के दौरान कुल आय में 4.64% की वृद्धि दर्ज की गई जो वित्तीय वर्ष 2018 के 15141 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 15844 करोड़ हो गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2018 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में बैंक के कुल व्यय में ₹723 करोड़ की कमी आई है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹7081 करोड़ का प्रावधान किया । वित्तीय वर्ष 2018 में ₹5771 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जमाराशियों पर लागत वित्तीय वर्ष 2018 के 5.37% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में 5.07% हो गई। शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2018 के ₹3125 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में ₹4311 करोड़ हो गई। मार्च 2019 को बासेल III के तहत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 10.70% रहा। दिनांक 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान भारत सरकार ने ₹3330 करोड़ की पूँजी प्रदान की।

3. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय :

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निवेश में 15.20% की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹69987 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को ₹80622 करोड़ हो गया। ऐसा पुनर्पूंजीकरण बांड के आबंटन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ।

बैंक के एसएलआर निवेश में 8.31% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹52471 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को ₹56834 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से उच्च प्रतिफल वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ। गैर-एसएलआर निवेश (देशी) में 35.81% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹17516 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को ₹23788 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा ₹6406 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड आबंटित किए जाने के कारण हुआ।

वर्ष 2017-18 के ₹6005.45 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने निवेशों के विक्रय से प्राप्त आय सहित कोष परिचालनों से

2.3 FINANCIAL PERFORMANCE:

Bank has incurred loss of ₹4321 core during FY 2019 as compared to ₹4436 crore in FY 2018. The loss during FY19 is decreased and the operating Profit for FY 2019 is ₹2760 crore as against ₹1334 crore during FY 2018, thereby reflecting an increase of 106.89%. During the year FY 2019 Total income registered growth of 4.64% from ₹15141 crore in FY 2018 to ₹15844 crore in FY 2019. Total expenses of the Bank has declined by ₹723 crore in FY 2019 against the previous year FY 2018. During the year Bank made provision of ₹7081 crore against ₹5771 crore in FY 2018.Cost of deposits has decreased from 5.37% in FY 2018 to 5.07% in FY 2019. Net interest income increased to ₹4311 crore in FY 2019 from ₹3125 crore in FY 2018. Capital Adequacy Ratio (CAR) under Basel III stood at 10.70% as on March 2019. Govt. of India infused Capital to the tune of ₹3330 crore during the quarter ended 31.3.2019.

3. TREASURY & INTERNATIONAL:

Domestic Investment of the Bank during the year 2018-19 increased by 15.20% from ₹69987 crore as on 31.03.2018 to ₹80622 crore as on 31.03.2019 largely due to allotment of recapitalization bond and purchase of Government securities.

The SLR investment of the Bank increased by 8.31% from ₹52471 crore as on 31.03.2018 to ₹56834 crore as on 31.03.2019 mainly due to purchase of high yielding Govt. Securities. The Non-SLR Investment (Domestic) grew by 35.81% from ₹17516 crore as on 31.03.18 to ₹23788 crore as on 31.03.19 mainly due to allotment of recapitalization bond from GoI amounting to ₹6406 crores.

During the year 2018-19, the bank has earned income from Treasury operations including profit from sale of investments

₹6252.47 करोड़ की आय अर्जित की जिससे वर्ष दर वर्ष आधार पर कोष आय में 4.11% की वृद्धि र्ज की गई। ऐसा निवेशों से प्राप्त उच्च ब्याज आय तथा निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के कारण हुआ।

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने देशी निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 2.99% की वृद्धि दर्ज की जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के ₹5173.03 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को ₹5326.45 करोड़ हो गई, जिससे वर्ष दर वर्ष आधार पर ₹153.43 करोड़ की संवृद्धि दर्ज की गई जो देशी निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि होने के कारण हुआ।

3.1 निर्यात कारोबार :

भारत भर में स्थित 66 'बी श्रेणी की शाखाओं के साथ यूको बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों की जरूरतें पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेन्ट कारोबार ₹72,485.11 करोड़ का था जो पिछले वर्ष की तुलना में 78.82% अधिक है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति को हमारे बैंक का निर्यात ऋण बकाया ₹1,977.66 करोड़ का है, जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति की अपेक्षा 11.46% की संपृष्टि दर्ज की गई है।

फरवरी, 2012 से 'यूको बैंक भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार "रुपया भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-लेन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

4. सामाजिक बैंकिंग:

4.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवाएँ देता रहा है।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ₹54,849 करोड़ के रहे जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 43.48% थे।

4.1.1 कृषि को अग्रिम:

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹21,420 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 16.98% है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹16,452 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 13.04% है।

4.1.2 कमजोर वर्गों को ऋण:

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया अग्रिम ₹16,479 करोड़ का रहा, जो समायोजित नेट बैंक ऋण का 13.06% है।

4.1.3 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण:

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹7141 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 15.25% है।

5. खास योजना :

बीपीएल परिवारों के सामाजिक और वित्तीय उत्थान तथा ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए बैंक की एक खास योजना हैः- यूको उत्थान

इस योजना के अंतर्गत जिन गांवों में बड़ी संख्या में बीपीएल परिवार हों उन्हें बैंक अपनी निकटतम शाखा के माध्यम से अंगीकार करता है ताकि बीपीएल परिवार गरीबी के चंगुल से निकले तथा गांव में समग्र परिवर्तन हो।

amounting to ₹6252.47 crore vis-a`- vis ₹6005.45 crore during the year 2017-18, thereby registering a 4.11% increase in treasury income y-o-y basis mainly due to higher interest income from investments and profit from sale of investments.

During the year 2018-19, the bank has registered a growth of 2.97% in interest income from domestic investments which stands at ₹5326.45 crore as on 31.03.19 as compared to ₹5173.03 crore as on 31.03.18 thereby registering a growth of ₹153.43 crore y-o-y basis mainly due to increase in domestic Investment portfolio.

3.1 Export Business:

"With 66 'B' Category Branches across India, UCO Bank is committed to actively cater to the needs of its exporters. Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended 31st March, 2019 stood at ₹72,485.11 crore which is 78.82 % higher than previous year. Bank Export credit outstanding during 31st March, 2019 is 2,204.40 crore, registering a growth of 11.46% over 31st March, 2018.

'UCO Bank', has been facilitating Bi-lateral Banking Trade transactions with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India/RBI, thereby facilitating Indian Exporters, exporting permissible goods and services to Iran.

4. SOCIAL BANKING:

4.1. Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2019 the Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹54,849 crore constituting 43.48% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.1.1. Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at ₹21,420 crore constituting 16.98% of ANBC. Direct Agriculture stood at ₹16,452 crore constituting 13.04% of ANBC.

4.1.2. Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at ₹16479 crore as of 31st March, 2019 constituting 13.06% of ANBC.

4.1.3. Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2019 stood at ₹7141 crore constituting 15.25% of Priority Sector Advances.

5. Unique Schemes:

The Bank has one unique scheme - "UCO Uthaan" for upliftment of BPL families & all-round development of adopted villages.

UCO Uthaan Scheme: Social-cum-Financial upliftment scheme for BPL families & all-round development of villages.

Under the Scheme, villages having large number of BPL families

इस योजना के तहत गांव के लिए एक समग्र विकास योजना बनाई जाती है तथा उसके अंतर्गत शिक्षा, ग्रामीण आवास के लिए वित्त पोषण, स्वयं सहायता समूह बनाने तथा सूक्ष्म वित्त पोषण करने, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण कारीगरों का विकास करने एवं डीआरआई के अंतर्गत वित्त पोषण प्रदान करने के कार्य शामिल हैं।

बैंक ने 10 राज्यों तथा असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में यूको उत्थान योजना के तहत 31 ग्राम अंगीकार किए हैं।

इन ग्रामों में बैंक ने ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया है, उन्हें वित्तीय सहायता दी है तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वहां विकासात्मक कार्यकलाप भी आरंभ किए हैं। वित्तीय सहायता के अंतर्गत बैंक ने छोटे व्यापारियों को सामान्य केडिट कार्ड (जीसीसी) कारीगरों को आर्टिजन केडिट कार्ड (एसईसी) किसानों को किसान केडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया है तथा एसएचजी ऋण, पशुपालन गतिविधि के लिए ऋण तथा महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लाभार्थियों को ऋण दिए हैं। बैंक ऋण की सहायता से अनेक छोटे कारोबारियों ने अपना कारोबार स्थापित किया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से बैंक ने विभिन्न विद्यालयों को सीलिंग पंखे तथा जल शुद्धिकारक; पुस्तकालयों को स्टील की अलमारियां और पुस्तकें; विद्यालय जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, गांव के लोगों के पेय जल के लिए लिए चापाकल; गांव में प्रकाश के लिए सौर बत्तियां दिए हैं तथा पक्की सड़कें बनवाई है।

इन 31 ग्रामों में से 2 बैंक विहीन ग्रामों में बैंक ने चलंत वैन के माध्यम से ग्रामीणों के लिए दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं । ये वैन इन दो ग्रामों में सप्ताह के दिनों में पहले से निर्धारित तारीख को और समय पर आते हैं तथा ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर आकर हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस पहल से ग्रामीणों में बचत की आदत पड़ी है और उन्हें वित्तीय साक्षरता भी दी जा रही है। इन गतिविधियों से अंगीकार किए गए ग्रामों का चतुर्दिक विकास हुआ है और यहां के ग्रामीण इस गतिविधि से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं।

बैंक के इन प्रयासों से इन 31 अंगीकृत गांवों में 6568 बीपीएल परिवार केडिट की सुविधा पा सके हैं और इस प्रकार विगत 4 वर्ष में वे अपनी आजीविका को और बेहतर ढंग से चलाने में कामयाब हुए हैं । इन बीपीएल परिवारों ने अब आय - अर्जन करना शुरूकिया है और इसके लिए उन्होंने बहुत से क्रियाकलाप जैसे दुग्ध-उत्पादन, बकरी-पालन, पान की खेती, सब्जी उगाना, साइकिल मरम्मत, जूते मरम्मत, पंसारी की दुकान करना, चाय की दुकान, बीड़ी बनाना, ट्रॉली चलाना और राजमिस्त्री का काम करना शामिल है।

5.3 कृषि कारोबार बढ़ाने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने कई नई योजनाएँ चालू कीं। कुछ योजनाएँ नीचे दी जा रही हैं :

- **यूको फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटः .-** नई कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तपोषण।
- किसानो के लिए दुपहिया, हलके, मध्यम वाहन-कृषि गतिविधियो के लिए कृषकों की परिवहन जरूरत को देखेत हुए यह झंझट मुक्त वित्तीय सहायता योजना है।
- यूको एफपीसी (कृषक उत्पादक कंपनी) एवं यूको एनएफपीसी (यूको गैर-कृषक उत्पादक कंपनी)
- **यूको एएमआई-** कृषि विपणन आधारभूत सुविधाः यूको एएमआई योजना आधारभूत सुविधा को मजबूत करने के माध्यम से ग्रामीण हाटों का उन्नयन और विकास कर उन्हें ग्रामीण कृषि बाज़ारों में बदलने पर विशेष ध्यान देती है।

are adopted by the Bank through its nearest branch to bring the BPL families out of the clutches of poverty and to bring about a holistic change in the villages. Under the scheme, a holistic development plan of the villages is drawn and followed up for covering areas like education, financing for rural housing, formation of SHG and micro-financing, development of handicrafts & rural artisans and extending finance under DRI Scheme.

The Bank has adopted 31 villages in 10 states i.e. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal under UCO Uthaan Scheme.

In these villages, Bank has conducted financial literacy camps to educate the villagers, extended financial support to them and has also initiated developmental activities under Corporate Social Responsibility. Under financial assistance, Bank has given General Credit Cards (GCC) to small traders, Artisan Credit Cards (ACC) to artisans, Kisan Credit Cards (KCC) to farmers, loan to SHGs, loan for doing animal husbandry activities, loan to women & SC/ST beneficiaries. Many small traders have started their own business with the support of Bank loan. Through CSR activities, Bank has given Ceiling Fans, Water purifiers to different schools, Steel Almirahs, Books for school library, School uniform for school going children, installation of hand pumps for drinking water in the villages, installation of Solar street lights in the villages, construction of metallic road.

In two villages, out of above 31 villages, Bank has provided doorstep banking facilities to the villagers of these unbanked villages through Mobile Van. The Van visits these two villages on a predetermined day and time during the week and provides all types of banking facilities to the villagers at their doorstep. There has been increase in the saving habits of the villagers due to this initiative. Through these vans, villagers are also being financially educated. By these activities, there is an all-round development in the adopted villages and the villagers are very much benefitted.

By these efforts, 6568 BPL families, in these 31 adopted villages have been provided with credit assistance by Bank to uplift their livelihood in better way during last 4 years. These BPL families are generating their income by adopting several activities like dairy farming, goat farming, betel leaf cultivation, vegetable growing, cycle repairing, shoe mending, fruit vending, grocery shop, tea stall, beedi making, trolley plying, mason jobs etc.

5.3 During the year 2018-19, Bank has introduced many new schemes to increase agriculture business. Some of the schemes are given below:

- **UCO Food & Agro Processing Unit.-** Financing new/existing Agro & Food Processing units.
- **Two- wheeler, light &Medium Vehicle for farmer.-** The scheme is specially designed to provide hassle free financial assistance for conveyance needs of farmer for farm activities.
- UCO FPC(Farmer Producer Company) & UCO NFPC(UCO Non- Farmer Producer Company) .
- **UCO AMI - Agricultural Marketing Infrastructure.-** The UCO AMI Scheme lays special focus on developing and upgrading Gramin Haats as Gramin Agricultural Markets (GrAMs) through strengthening of infrastructure.

- **यूको बीसी प्लस** - कारोबार प्रतिनिधि चैनल (बीसी) के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों में ऋण सहबद्धता बढ़ाने हेतु यूको बैंक ने मेसर्स अत्याति टेक्नॉलजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है।

इस संबंध में बैंक ने मेसर्स अत्याति टेक्नॉलजीज के साथ दिनांक 31.01.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । यूको बीसी प्लस योजना में निम्नलिखित ऋण उत्पाद कार्यान्वित किए गए हैं :

क) यूको बीसी प्लस - डेरी

ख) यूको बीसी प्लस - फसल उत्पादन

ग) यूको बीसी प्लस - ग्रामीण कारोबार केंद्र

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्राबैंक):

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेग्राबैंक का नाम पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पबंग्राबैंक) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है । दिनांक 31.03.2019 को इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएँ हैं । अन्य प्रायोजित बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक का समामेलन दिनांक 01.01.2019 से पंजाब नैशनल बैंक के साथ हो गया है और उसका नाम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो गया है।

6.1 क्षेग्राबैंकों की पूँजी की स्थिति :

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूँजी संरचना इस प्रकार है : ₹154.51 करोड़ (भारत सरकार), ₹108.16 करोड़ (यूको) एवं ₹46.35 करोड़ (पश्चिम बंगाल सरकार) ।

2018-19 के दौरान क्षेग्राबैंक का कार्यनिष्पादन :

6.1.1 पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक :

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशि ₹5181.30 करोड़ थी जो 8.79 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाती है। 13.25 की वार्षिक संवृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को कुल अग्रिम रु. 2739.53 करोड़ तक पहुँच गया। दिनांक 31.03.2019 को सीडी अनुपात 52.87% था जबकि दिनांक 31.03.2018 को सीडी अनुपात 50.79% था।

दिनांक 31.03.2018 के ₹474.54 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31.03.2019 को सकल अनर्जक आस्ति ₹373.45 करोड़ रही। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को सकल अग्रिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति 13.63% रही जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 19.62% थी। दिनांक 31.03.2019 को क्षेग्राबैंक का शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 9.16% रहा जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 14.85% था। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने ₹25.57 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को इसे ₹39.40 करोड़ की निवल हानि हुई थी। इस तरह दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ₹107.97 करोड़ की संचित हानि घटकर दिनांक 31.03.2019 को ₹82.40 करोड़ रह गई।

6.2 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंर्तगत बैंक ने कई कार्यक्रम बनाए हैं/पहलें की हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ/पहलें निम्नांकित हैं :

क) हमारे बैंक ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। ये 27 संस्थान समर्पित बुनियादी संरचना के साथ ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल का विकास करने एवं उनकी बेकारी और अल्प रोजगारी की समस्या को कम करने के प्रति समर्पित हैं। ग्रामीण युवकों में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए

- **UCO BC PLUS -** UCO Bank has entered in to tie up arrangement with M/s atyati Technologies Private Limited for increase of Credit linkage in Agriculture & Allied Activities under Business Correspondent (BC) Channel.

The Bank has signed MoU with M/s Atyati Technologies on 31-01-2019 in this regard. Following Loan products have been implementedon **UCO BC PLUS** scheme:

a) UCO BC PLUS - DAIRY.

b) UCO BC PLUS - CROP PRODUCTION.

c) UCO BC PLUS - RURAL BUSINESS CENTRE.

6. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2019. Another sponsored RRB, Bihar Gramin Bank has been amalgamated with Madhya Bihar Gramin Bank(sponsored by Punjab National Bank) and a new RRB named Dakshine Gramin Bank (Sponsored by Punjab National Bank) has been formed w.e.f. 01.01.2019.

6.1 Capital Position of RRBs:

The total capital composition of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2019 stood at ₹154.51 crore (Govt. Of India), ₹108.16 crore (UCO) & ₹46.35 crore (West Bengal State Govt.).

Performance of RRB during 2018-19:

6.1.1. Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at ₹5181.30 crore as on 31.03.2019, registering growth of 8.79 percent. Total advance reached a level of ₹.2739.53 crore with an annual growth of 13.25 percent as on 31.03.2019. CD ratio stood at 52.87% on 31.03.2019 as against 50.79% on 31.03.2018.

The gross NPA stood at ₹373.45 crore as on 31.03.19 vis-a-vis ₹474.54 crore as on 31.03.2018. Gross NPA to Gross Advance stood at 13.63% as on 31.03.2019 as against 19.62% as of 31.03.2018. The net NPA ratio of the RRB stood at 9.16% as on 31.03.2019 as against 14.85% as of 31.03.2018.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net profit of ₹25.57 crore as on 31.03.2019 as compared to net loss of ₹39.40 crore as on 31.03.18, thereby decreasing accumulated loss from ₹107.97 crore as on 31.03.2018 to ₹82.40 crore as on 31.03.2019.

6.2. Corporate Social Responsibility:

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives are as under:

a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 States namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes, with dedicated infrastructures, are devoted to impart training and skill upgradation and to mitigate the unemployment and under employment problems

समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत बैंक द्वारा ये संस्थान स्थापित किए गए हैं । इन आर-सेटी में प्रशिक्षित सभी 17883 अभ्यर्थियों और 7792 हिताधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹98.72 करोड़ की ऋण सहबद्धता मुहैया कराई गई है।

ख) आरसेटी, गोवालपाड़ा, असम को वर्ष 2018-19 के लिए पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों की सर्वोतम आर-सेटी माना गया और उसे दिनांक 5 मई, 2019 को राँची में आयोजित आजीविका एवं कौशल विकास मेला में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

ग) वित्तीय एवं सामाजिक हस्तक्षेप द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के उत्थान के लिए तथा अंगीकृत ग्रामों के समग्र विकास के लिए यूको उत्थान योजना के अंतर्गत बैंक ने अपने 19 अंचलों की 26 शाखाओं के अंतर्गत आनेवाले 31 ग्रामों को अंगीकृत किया है।

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल पर बैंक ने ओडिशा के भद्रक और ढेंकनाल जिलों के 10 ब्लाकों, 5 भद्रक में एवं 5 ढेंकनाल में, 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए हैं। इन वित्तीय सक्षरता केंद्रों का परिचालन व्यय बैंक और नाबार्ड 40:60 के अनुपात में वहन करते हैं।

ङ) पूरे देश में बैंक के 34 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं और वित्तीय साक्षरता अभियान के आयोजन के लिए इसने 28 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की भर्ती की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने 4755 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया और इसके द्वारा 259706 प्रतिभागियों में वित्तीय जागरूकता फैलाई।

च) नाबार्ड की पहल पर जनसंख्या के विभिन्न लक्ष्य समूहों में वित्तीय साक्षरता जागरूकता लाने हेतु हमारे बैंक की सभी ग्रामीण शाखाओं में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) शुरूकिए गए हैं। डिजिटल साक्षरता और ई-लेनदेन करते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे बैंक की 1075 ग्रामीण शाखाओं में 9258 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में हमारे बैंक ने ₹1.13 करोड़ व्यय किए।

7. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) :

बैंक देश की आर्थिक संवृद्धि में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारता है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अंतर्गत ₹23416.16 करोड़ अग्रिम प्रदान किए गए।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसएमई के अंतर्गत की गई पहल :

- उड़ान पोर्टल पर ऋणदाता के रूप में शामिल होने के लिए बैंक ने सीजीटीएमएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु बोर्ड से अनुमोदन लिया है। चूँकि गारंटी प्रारम्भ में दी जाएगी, बैंक शुरूमें ही ऋण देने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

- एमएसएमई के तहत कारोबार बढ़ाने हेतु स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नौ केंद्रों यथा कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीग़ढ, कोयंबतूर और सूरत ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

- नए उत्पाद ई-रिक्शा अर्थात "मुद्रा योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा" का शुभारंभ दिनांक 28.06.2018 को किया गया।

for rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of the initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETI trained 17883 candidates and 7792 beneficiaries have been provided Credit Linkage of ₹98.72 crore during the Financial Year 2018-19.

b) Our RSETI, Goalpara, Assam was adjudged best performing RSETI among North Eastern & Hilly states for the year 2018-19 and was awarded certificate of excellence on Aajeevika Evam Kushal Vikas Mela held on 5th May, 2018 in Ranchi Jharkhand.

c) Bank under UCO Utthan scheme has adopted 31 villages falling under 26 UCO Branches in 19 Zones of the Bank for upliftment of BPL families and all-round development of adopted villages with financial & social intervention.

d) Under the initiative of Reserve Bank of India, bank has set up 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha. The Bank and NABARD bear the cost of operationalisation of these CFLs in 40:60 ratios.

e) Bank has 34 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 29 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2018-19 the Financial Literacy Counsellors have conducted 6008 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 353303 participants.

f) Under the initiative of NABARD, Financial Literacy Awareness Programme (FLAP) has been initiated in all Rural Branches of Our Bank for imparting financial literacy awareness for different target segments of population. Programmes were on digital literacy and safety measures to be adopted while doing e-transaction. Our Bank has 1075 Rural Branches where 9258 FLAPs were organised with contribution from our Bank in these programmes amounting to ₹1.13 crore.

7. MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME):

Bank recognizes importance of MSME sector in economic growth of the country. The advance under Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) as on 31.03.2019 is ₹23416.28 crore.

New Initiatives taken under MSME during FY 2018-19:

- Bank has taken Board approval for signing MOU with CGTMSE for participating as lender on the Udaan Portal. Since guarantees would be extended upfront, Bank can take credit decision right at the beginning.

- SME hubs proposed to be established in nine centres i.e. Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Ahmedabad, Chandigarh, Coimbatore and Surat. SME Hub at New Delhi has already been made functional to augment the business under MSME.

- New product on E-Rickshaw i.e. "E-Rickshaw under Mudra Scheme" has been launched on 28.06.2018.

- बैंक ने वास्तविक हिमाचलवासियों अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए दिनांक 28.11.2018 को "मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना-2018" लागू की।

- मुद्रा के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए यूको प्रधानमंत्री ऋण योजना और "स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए यूको प्रधानमंत्री ऋण योजना" का शुभारंभ दिनांक 29.11.2018 को किया गया।

- बैंक ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के एक प्लेयर आरएक्सआईएल के साथ गठजोड़ किया है और फरवरी 2019 से ऑनलाइन बिल की डिस्काउंटिंग कर रहा है। दिनांक 05.02.2019 से 31.03.2019 की अवधि में इस प्लेटफॉर्म पर रु. 35.45 करोड़ की राशि के कुल 656 बिल खरीदे गए।

- "मुद्रा के अंतर्गत दुपहिया वाहन" को वित्त प्रदान करने की योजना का शुभारंभ दिनांक 22.02.2019 को किया गया।

- लीड्स का सृजन करने तथा टीएटी को घटाने हेतु बैंक ने एक फिनटेक कंपनी psbloansin 59 minutes.com के साथ गठजोड़ किया है।

- Bank introduced "Mukhya Mantri Swavalamban Yojana 2018" scheme for "Bonafide Himachali" i.e. resident of the State of Himachal Pradesh on 28.11.2018.

- New Schemes "UCO PM Credit Scheme for Powerloom Weavers under MUDRA" and "UCO PM Credit Scheme for Powerloom Weavers under Standup India" has been launched on 29.11.2018.

- Bank has tied-up with RXIL, one of the players at TReDS platform and is discounting online bill w.e.f. February 2019. A total of 656 bills were purchased amounting to ₹35.45 crore during 05/02/2019 to 31/03/2019 on this platform.

- Scheme for financing "Two Wheeler under Mudra" launched w.e.f. 22.02.2019.

- Bank has tie-up with www.psbloansin59minutes.com, one of the fintech companies, for generation of leads and reduction of TAT.

8. रिटेल बैंकिंग :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल बैंकिंग के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ इस प्रकार हैं :

8. RETAIL BANKING:

The performance highlights of the bank under retail banking during FY 2018-19 are furnished hereunder:

(₹ करोड़ में/ ₹ in crore)

उत्पाद / Product	मार्च 2017 की स्थिति As on March 2018	मार्च 2018 की स्थिति As on March 2019	% वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष % Growth Y-o-Y
आवास ऋण /Home Loan	12694	13545	6.70%
कार ऋण/ Car Loan	1356	1357	0.07%
वैयक्तिक ऋण/ Personal Loan	464	514	10.78%
अन्य रिटेल ऋण/ Other Retail Loan	7439	7076	-4.88%
कुल रिटेल **/ Total Retail**	**21953**	**22492**	**2.46%**

- कुल रिटेल पोर्टफोलियो में 2.46% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवास ऋण, कार ऋण और वैयक्तिक ऋण श्रेणियों में क्रमशः 6.70%, 0.07% और 10.78% की संवृद्धि हुई है।

- 31 मार्च, 2018 की तुलना में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रिटेल ऋण पोर्टफोलियो (पूल को छोड़कर) के अंतर्गत अनर्जक आस्ति में ₹91.88 करोड़ की कमी आई । इस अवधि में यूको प्रॉपर्टी ऋण को छोड़कर सभी रिटेल ऋण उत्पादों की अनर्जक आस्ति में गिरावट के लक्षण दिख पड़े।

- इस वित्तीय वर्ष में आवास ऋण के अंतर्गत ₹500.00 करोड़ का पूल खाता लिया गया है।

- सिबिल और सीआरआईएफ के माध्यम से ऋण सूचना रिपोर्ट लिए जाने के एकीकरण का कार्यान्वयन एलएपीएस (लैप्स) में किया गया है।

- एलएपीएस (लैप्स) के माध्यम से प्रसंस्करण करने हेतु सात रिटेल ऋण योजनाएँ अनुकूलित की गई हैं।

- Retail loan portfolio registered Y-o-Y growth of 2.46%. There is a growth of 6.70%, 0.07%, and 10.78% in Home loan, Car Loan, and Personal Loan Categories respectively during the FY 2018-19.

- NPA under Retail loan Portfolio (excluding Pool) reduced by ₹91.88 crore during the year ended 31st March 2019 in comparison to 31st March 2018. During this period, NPA in all Retail Loan products, except UCO Property loan, has shown a downward trend.

- Pool account of ₹500.00 crore under Home loan has been sourced during this Financial Year.

- Integration of Credit Information Report pulling through CIBIL and CRIF has been implemented in LAPS.

- Seven Retail loan Schemes have been customised for processing through LAPS.

- बी.एड. की पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा ऋण योजना "मुख्य मंत्री बी.एड. अनुप्रेरणा योजना" चालू के गई है ।

- यूको स्वर्ण ऋण योजना को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने एवं हमारे समकक्ष बैंकों की वैसी ही योजनाओं के समान बनाने हेतु इसे आशोधित किया गया तथा इस पर प्रसंस्करण एवं प्रलेखीकरण प्रभार का अधित्याग किया गया है ।

- मेसर्स प्रसार भारती के कर्मचारियों/सम कर्मचारियों को रियायती दर पर रिटेल ऋण उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स प्रसार भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

- यूको रेंट योजना के अंतर्गत हमारे बैंक की शाखा/एटीएम के मकान मालिकों को प्रसंस्करण प्रभारों में 100% का अधित्याग किया गया ।

- रिटेल ऋणों के प्रसंस्करण को कारगर बनाने तथा टर्न अराउंड समय को घटाने के लिए "रिटेल ऋण हब की संशोधित संरचना एवं परिचालन दिशानिर्देश" का कार्यान्वयन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बेंगलुरु, शिमला और भुवनेश्वर में तीन और आरएलएच स्थापित किए गए ।

- बैंक ने दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक "मानसून ऑफर-2018" चालू किया जिसमें आवास और कार ऋणों के प्रसंस्करण एवं प्रलेखीकरण प्रभारों में 100% अधित्याग किया गया ।

- बैंक ने दिनांक 01.11.2018 से 31.01.2019 तक "ग्रांड फ़ेस्टिव ऑफर -2018" भी चालू किया जिसे आगे दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया जिसमें आवास और कार ऋणों के प्रसंस्करण एवं प्रलेखीकरण प्रभारों में 100% अधित्याग किया गया ।

9. बैंकाश्यूरेंस :

- बैंकाश्यूरेंस कारोबार बढ़ाने के लिए राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या बढ़ाई । ये विनिर्दिष्ट व्यक्ति भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विधिवत प्रशिक्षित और प्रमाणित हैं । शाखाओं/अंचलों में तैनात इन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या मार्च 2018 में 316 थी जो मार्च 2019 में बढ़कर 332 हो गई।

- बैंक जीवन और साधारण बीमा कंपनियों के कारपोरेट एजेंट तथा समूह जीवन बीमा श्रेणी के मास्टर पॉलिसी धारक है।

1. जीवन बीमा चैनल पार्टनर :-

   (क) मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम

2. साधारण बीमा चैनल पार्टनर :-

   (क) मेसर्स रिलायंस जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि.

   (ख) मेसर्स फ्यूचर जेनरल इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लि.

   (ग) मेसर्स लिबर्टी जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि.

3. समूह जीवन बीमा चैनल पार्टनर :-

   (क) मेसर्स कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इन्श्यूरेंस कं. लि.

- बैंक निम्नलिखित म्यूचुअल चैनल पार्टनरों के यूनिटों का भी वितरण करता है :-

- A new Education Loan Scheme "Chief Minister's B.Ed. Anuprerna Yojna" is introduced to cater the financial needs of students domiciled in the State of Tripura who are pursuing B.Ed. course.

- UCO Gold Loan Scheme was modified and Processing & Documentation charges are completely waived in UCO Gold Loan Scheme to make it more competitive and in line with similar scheme of our peer Banks.

- An MOU was signed with M/s Prasar Bharti to provide Retail Loans at concessional rate to Employees/Deemed Employees of M/s Prasar Bharti.

- 100% waiver of processing charges was given to the Land Lords of our Bank's Branch/ATM premises under UCO Rent Scheme till 31.03.2019.

- To streamline processing of Retail Loans and reduce the turnaround time, "Revised structure & Operational Guidelines of Retail Loan Hubs" were implemented. Three more RLHs at Bangalore, Shimla and Bhubaneswar were established during the current Financial Year.

- Bank has introduced "Monsoon Offer-2018" from 01.07.2018 to 30.09.2018 wherein 100% processing and documentation charges are waived in Home and Car Loans.

- Bank has also introduced "Grand festive offer-2018" from 01.11.2018 to 31.01.2019 which is further extended to 31.03.2019 wherein 100% processing and documentation charges are waived in Home and Car Loans.

9. BANCASSURANCE:

- Bank increased the number of Specified Persons (SPs) during the Fiscal 2018-19 for augmenting Bancassurance business. These Specified Persons are duly trained and certified by Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI). Number of Specified Persons posted in Branches/Zones is 316 in March 2018 and subsequently increased to 332 in March 2019.

- Bank is a Corporate Agent for Life and General Insurance Companies and Master Policy Holder for Group Life Insurance category.

1. Life Insurance Channel Partner:-

   (a) M/s Life Insurance Corporation of India

2. General Insurance Channel Partners:-

   (a) M/s Reliance General Insurance Company Co Ltd.

   (b) M/s Future Generali India Insurance Co Ltd.

   (c) M/s Liberty General Insurance Ltd.

3. Group Life Insurance Channel Partner:-

   (a) M/s Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.

- Bank also distributes units of the following Mutual Fund Channel Partners:-

1. मेसर्स कोटक महिंद्रा एएमसी लि.
2. मेसर्स रिलायंस निप्पोन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
3. मेसर्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4. मेसर्स यूटीआईआई एएमसी लिमिटेड
5. मेसर्स एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
6. मेसर्स बड़ौदा एएमसी इंडिया लिमिटेड
7. मेसर्स आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल एएमसी लिमिटेड
8. मेसर्स फ्रैंकलिन टेंपलेशन म्यूचुअल फंड
9. मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड

1. M/s. Kotak Mahindra AMC Ltd.
2. M/s. Reliance Nippon Life Asset Management Limited,
3. M/s. SBI Funds Management Private Limited.
4. M/s. UTI AMC Limited
5. M/s. HDFC Mutual Fund
6. M/s. Baroda AMC India Limited
7. M/s. ICICI Prudential AMC Limited
8. M/s. Franklin Templeton Mutual Fund
9. M/s. Aditya Birla Sun Life AMC Limited

बैंकाश्यूरेंस लाइफ, नॉन-लाइफ एवं म्यूचुअल फंड कारोबार के अंतर्गत कारोबार कार्यनिष्पादनः
Business Performance under Bancassurance Life, Non-Life & Mutual Fund Business:

(01/04/2018 से 31/03/2019) / (01/04/2018 to 31/03/2019)

क्रमांक **Sl**	कंपनी का नाम **Name of the Company**	संगृहीत प्रीमियम (लाख ₹ में) **Premum Collected (₹ in Lakhs)**	अर्जित कमीशन (लाख ₹ में) **Commission Earned (₹ in Lakhs)**	पॉलिसी/फोलियो की सं. **No of Policy/ Folio (₹ in Lakhs)**
1.	मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम M/s Life Insurance Corporation of India	4577.00	274.87	2899
2.	मेसर्स रिलायंस जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Reliance General Insurance Co. Ltd.	1667.00	197.45	283387
3.	मेसर्स फ्यूचर जेनरल इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Future Generali India Insurance Co. Ltd.	803.65	121.83	44859
4.	मेसर्स लिबर्टी जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Liberty General Insurance Co. Ltd.	1758.39	270.49	79222
5.	मेसर्स कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इन्श्यूरेंस कं. लि. M/s. Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.	1279.11	N/A	8896
6.	म्यूचुअल फंड कारोबार Mutual Fund Business	228.72	33.24	798
	कुल कारोबार / Total Business	**10313.86**	**897.88**	**420061**

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकाश्यूरेंस कारोबार से कुल रु. 897.88 लाख का कमीशन अर्जित हुआ ।
  The total Commission earned from Bancassurance Business for FY 2018-19 is Rs 897.88 lakhs.

10. वित्तीय समावेशन :

10.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित/कम बैंक सुविधावाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु पूरे देश में बैंक को 16225 ग्राम आबंटित किए गए हैं । वित्तीय सेवाएँ विभाग के निदेशों के अनुरूप इन ग्रामों को 4066 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया। सार्वत्रिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने हेतु इन 4066 उप सेवा क्षेत्रों में से 3600 उप सेवा क्षेत्र बीसी एजेंटों द्वारा और तैयार 5 ग्रामों (5000 से अधिक आबादी वाले) के बाकी 466 उप सेवा क्षेत्र शाखाओं द्वारा कवर किए जाते हैं। इन आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बैंक ने 3564 बैंक मित्र नियोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा व्यवहृत माइक्रो एटीएम के माध्यम से ₹6281.55 करोड़ के कुल 167.78 लाख लेनदेन किए गए और इस तरह प्रत्येक माह औसतन ₹523.46 करोड़ के लगभग 13.98 लाख लेनदेन किए गए।

10. FINANCIAL INCLUSION:

10.1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY):

Bank has been allotted with 16225 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4066 Sub Service Area (SSA). Out of these 4066 SSAs, 3600 SSAs are covered though BC agents and remaining 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility. Bank has deployed 3564 Bank Mitras in these allotted SSAs. During the FY 2018-19 total 167.78 lacs transactions amounting ₹6281.55 crore averaging every month about 13.98 lacs transactions amounting ₹523.46 crore carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

मार्च 2019 के अंत तक बैंक के 76.43 लाख पीएमजेडीवाई खातों में रु.2221.30 करोड़ जमा थे और प्रत्येक खाते की औसत जमाराशि रु.2906.08 थी । हमने पात्र पीएमजेडीवाई खातेदारों को लगभग 39.98 लाख रुपे कार्ड वितरित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीसी एजेन्टों द्वारा प्रयुक्त माइक्रो एटीएम पर रुपे कार्डों के माध्यम से 1.50 लाख औसत लेनदेन किए गए जिनकी कुल राशि रु.75.70 करोड़ थी ।

10.2 आधार को सीड किया जाना तथा उसका सत्यापन

पुनरीक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पहचान के लिए ग्राहक द्वारा आधार ऐच्छिक रूप से दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है।
31 मार्च 2019 तक 84% सक्रिय कासा खातों में आधार सीड किए गए हैं तथा 52% सक्रिय कासा खातों में आधार प्रमाणन कर दिया गया है। आधार पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवा के माध्यम से ₹5905.90 करोड़ की राशि का अंतरण लाधार्थियों के खाते में किया गया है।

10.3 आधार एनरोलमेंट केंद्र

यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे बैंक में अब तक 300 आधार एनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं जो 10% शाखाओं को कवर करते हैं। 1016 स्टाफ सदस्यों ने प्रचालक तथा पर्यवेक्षक की सर्टिफिकेट परीक्षा में पास की है और 1016 यूजर आईडी हमारे बैंक में सक्रिय किए गए हैं। अभी बैंक केंद्र प्रति सेंटर प्रतिदिन आठ एनरोलमेंट /अपडेशन कर रहा है।

10.4 माइक्रो क्रेडिट -ओवरड्राफ्ट सुविधा

हमारी सभी शाखाओं और अंचल कार्यालयों ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने के लिए आईबीए की विस्तृत दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं। पीएमजेडीवाई खातों में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1055 हो गई है इसमें संस्वीकृत की गई कुल राशि ₹32.38 करोड़ है।

10.5 सामाजिक सुरक्षा योजना

अब तक बैंकविहीन रहे लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने की सरकार की योजना के अंतर्गत बैंक में सुरक्षा पेंशन और बीमा योजनाएं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन शाखाओं और बीसी के माध्यम से किया जा रहा है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 7.95 लाख तथा पीएमएसबीवाई के अतर्गत 15.58 लाख सबस्क्राइबर बीमित हुए हैं। अबतक पीएमजेजेबीवाइ के अंतर्गत 3137 दावे तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 665 दावों का निपटारा किया गया इसके अतिरिक्त अटल पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत 1.99 लाख सब्सक्राइबर इस वर्ष के अंत तक बनाए गए हैं।

10.6 वित्तीय समावेशन प्रकल्प के माध्यम से राजस्व प्राप्ति

वित्तीय समायोजन के अंतर्गत लगातार किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम आए हैं और इन गतिविधियों के माध्यम से बैंक को मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के लाभ मिलना शुरू हो गया है। शाखाओं के संकेंद्रण को समाप्त करने के बाद अंतरण के खर्च में कमी आई है और कासा आधार बढ़ा है। ये कुछ अमूर्त लाभ हैं वित्तीय समायोजन के प्रकल्प के मूर्त लाभों में विभिन्न उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुआ कमीशन लाभ शामिल है। 2018-19 के दौरान बैंक ने पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत ₹193.13 लाख, एपीवाई के अंतर्गत ₹76.34 लाख अर्जित किए। इसी प्रकार इस वर्ष में ₹7.28 करोड़ की राशि डीबीटी /डीबीएलटी के माध्यम से अर्जित की गई है।

11. सरकारी कारोबार

बैंक के सरकारी कारोबार सेल ने लघु बचत योजना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के पेंशन. अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का काम किया।

By end of March 2019 Bank has ₹2221.30 crore deposits in 76.43 lacs PMJDY Accounts with average balance of ₹2906.08. We have distributed around 39.98 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2018-19 average transactions to the order of 1.50 lacs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting to ₹75.70 crore in aggregate.

10.2. Aadhaar Seeding & Authentication:

As per revised guidelines Aadhaar can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various welfare schemes. By 31st March 2019, around 84% operative CASA have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in 52% of operative CASA. Aadhaar based Direct Benefit Transfer worth ₹5905.90 crore was transferred to the accounts of beneficiaries.

10.3. Aadhaar Enrolment Centre:

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centers has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. So far, 1016 staff members (operators/supervisor) have passed the certification exam and 1016 User IDs are activated in our bank. At present Bank is doing about 8 enrolments/updations per day per centre.

10.4. Micro Credit-Overdraft Facility:

Detailed guidelines by IBA for providing Overdraft facility up to 10,000/- has been sent to all branches/zones. Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on 31.03.2019 is 161556 involving aggregating sanctioned amount of ₹32.38 crore.

10.5. Social Security Schemes:

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJBY scheme, 7.95 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 15.58 lakh lives are insured. So far a total of 3137 claims are settled under PMJJBY and 665claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 1.99 lac till year end.

10.6. Revenue generated through Financial Inclusion Project:

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned ₹193.13 lacs in PMJJBY, ₹22.80 lacs in PMSBY and ₹76.34 lacs in APY as commission during FY-2018-19. Similarly an aggregate amount of ₹7.28 crore is earned against DBT / DBTL during the year.

11. GOVERNMENT BUSINESS:

Government Business Cell handle Small Saving deposit schemes, collection of direct and indirect taxes, Central and State Government Pension, Atal Pension Yojna (APY), Sovereign Gold Bonds (SGB) and National Pension System (NPS).

वर्ष 2019 के दौरान सभी ब्रांचों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) खाते तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान पीपीएफ में 9984 (23%) तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 146759 (71%) की वृद्धि हुई।

एपीवाई के अंतर्गत खाते खोलने में भारी वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान 64730 खाते खुले जबकि 2018-19 में 78745 खाते खुले। इस प्रकार 22% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई।

विभिन्न उत्पादों यथा विभिन्न बिक्री कर संग्रहण, सीटीडीबी कर संग्रहण, सीबीईएस कर संग्रहण केंद्रीय तथा राज्य सरकार पेंशन, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीसीएसएस, सावरेन गोल्ड बॉन्ड आदि के माध्यम से बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान 20 करोड़ रुपये क अटर्नओवर कमीशन कमाया।

12. विधिक मामले

बैंकिंग उद्योग से जुड़े विधिक मामलों में लगातार हो रहे परिवर्तन को देखते हुए इस संबंध में निर्वाह किए गए उत्तरदायित्व की भूमिका तथा उसका महत्व अब बहुस्तरीय हो गया है। पीसीए के बैंक पर लागू रहने के कारण अब प्राथमिक फोकस वसूली पर है। विधि विभाग, प्रधान कार्यालय अन्य विभागों के साथ जैसे वसूली, रिटेल आदि के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है बैंक की वसूली संभावनाओं को निखारा जा सके।

परिधि के काम बढ़ रहे हैं। इसमें नीति निरूपित करने के साथ-साथ उस संबंध में अन्य विभागों की मदद करना, तथा समय-समय पर प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्पोरेट विभागों, अंचल कार्यालयों/ शाखाओं से भेजे गए मामलों पर अभिमत देना, वेटिंग करना, मसौदा बनाना, वादों की निगरानी (जहां बैंक एक पार्टी हो) करना वादों को दायर करना, विभिन्न मंचों पर जो वाद लंबित हैं उनकी निगरानी करना तथा बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विधिक मामलों में हो रहे परिवर्तनों का प्रबंधन करना शामिल है ताकि प्रत्येक कदम पर बैंक के हितों की रक्षा हो हो सके।

31 मार्च 2019 तक विधि विभाग, प्रधान कार्यालय ने हाल में ही अधिनियमित बैंक्रप्सी कोड 2016 पर हुए सभी संशोधनों को रेखांकित करते हुए तथा उसके साथ साथ कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, एवं भारतीय इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सीबोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013, सेक्युरिटी इंट्रेस्ट (प्रवर्तन) नियम 2002 आदि के संबंध में ग़जट अधिसूचनाओं के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय इंसाल्वेंसी एड बैंक्रप्सी बोर्ड (आईबीबीआई), कंपनी एक्ट, 2013 सिक्युरेटी इंतरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2001 आदि द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियमों/नियमें पर 20 परिपत्र जिसमें उसने सभी प्रकार के सुधारों को शामिल किया गया है।

अब जबकि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को लुक आउट परिपत्र जारी करने का अनुरोध करने के लिए अधिकृत कर दिया है, इसके देखते हुए "लुक आउट परिपत्र जारी करना विषय पर एक नीति बनाने में विधि विभाग, प्रधान कार्यालय ने मुख्य भूमिका रही है। यही नहीं, बैंक स्टाफ सदस्यों को बैंक के लिए संगत विषयों यथा प्रलेखीकरण, टेंडर की प्रक्रिया आदि पर प्रशिक्षण दिलाने में आवश्यक सहायता दी गई है।

विधि विभाग, प्रधान कार्यालय विभिन्न विधिक मंचों (यथा माननीय सर्वोच्च न्यालय, माननीय उच्च न्यालय ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, उपभोक्ता फोरम) के समक्ष दायर वादों की निगरानी तथा उसमें बैंक के हितों की सुरक्षा करने में योगदान कर रहा है।

13. वसूली :

बैंकिंग उद्योग में पिछले चार वर्षों से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का बढ़ता स्तर बैंक के लिए चिंता का कारण बना हुआ है । हमारे बैंक का सकाल एनपीए स्तर मार्च 2018 के 24.64% से बढ़कर मार्च 2019 में 25.00%

During the 2018-19 all Branches have been authorized for the opening of account under Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samriddhi Accounts (SSA) and Senior Citizen Saving Scheme (SCSS). There was increase in the accounts opened under PPF -9984 (23%) and Sukanya Samriddhi Accounts scheme - 14,675(71%) during the year 2018-19.

There was a substantial increase in accounts opened under APY Scheme, from 64730 during 2017-18 to 78745 during 2018-19 shows 22% Y-o-Y growth.

Bank earned Turn over Commission to the tune of ₹20 crore during 2018-19 on various productsnamely different state tax collections, CBDT tax collections, CBEC tax collections, central and state government pensions, Atal pension Yojna(APY), PPF, Sukanya Samridhi Yojana , SCSS and Sovereign Gold Bond etc.

12. LEGAL MATTERS:

With the ever changing trend of the legal contours concerning the Banking industry, the significance of the role & responsibilities shouldered has been manifold. With the PCA looming over the Bank, the primary focus has been recovery & Law Department, Head Office has been working in tandem with the other departments' viz. Recovery, Retail etc. in augmenting Bank's recovery prospects.

The periphery work has been expanding entailing within its ambit framing of Policies as well as providing tangible assistance to other Departments for the same, rendering opinion as and when referred to from various Corporate Departments of Head Office as well as Zonal Offices / Branches from time to time, vetting, drafting, monitoring of cases (wherein Bank is a party) filed / pending before various fora of Law and adapting the various changes ushered in the legal spectrum involving the Banking Sector, thus ensuring protection of Bank's interest in every step.

As on 31st March, 2019, Law Department, Head Office has issued 20 Circulars, highlighting, all the amendments made to the recently enacted Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 as well as its analogous Regulations / Rules issued thereunder in view of the various Gazette Notifications published in this regard by the Ministry of Corporate Affairs & insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), Companies Act, 2013, Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 etc.

Law Department, Head Office has also been instrumental in framing a policy on 'Issuance of Look out Circulars' after the Ministry of Home Affairs accorded authority to the MD & CEOs of PSBs for making requests for issuance of Look out Circulars. Further, necessary assistance has also been rendered for imparting effective training to Bank's Staff on topics of banking pertinence viz. 'Documentation', Tendering Processes etc.,

Further, Law Department, Head Office has been regularly monitoring cases filed before various fora of Law (viz. Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts, Debts Recovery Tribunal, Debts Recovery Appellate Tribunal, Consumer Forum etc.) and has contributed towards ensuring protection of Bank's interest therein.

13. RECOVERY:

The increasing trend of NPAs in the Banking Industry over last four years has become concern for the Bank. Gross NPA level of our Bank increased from 24.64% in March, 2018 to 25.00% in

हो गया और जीएनपीए की प्रमात्रा क्रमशः ₹30549.22 करोड़ से घटकर ₹29888.33 करोड़ हो गई। एनएनपीए का प्रतिशत पिछले वर्ष के 13.10% से घटकर 9.72% हो गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ₹9082.44 करोड़ नए स्लिपेज का साक्षी रहा है । 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹2991.52 करोड़ की नकदी वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनर्जक आस्ति में कुल ₹5323.72 करोड़ की नकदी वसूली और अपग्रेडेशन हुआ। बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना और अशोध्य ऋणों ऋणों की वसूली ही वह क्षेत्र है जिस पर बैंक ने पूरा ध्यान दिया हुआ है।

13.1 वसूली कार्यनिष्पादन :

संगठन के सभी स्तरों पर संशोधित निपटान योजना, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी, लोक अदालतों, एनसीएलटी, देशव्यापी मेगा वसूली शिविरों, रोड शो, माओ अभियानों, जानबूझ कर चूककर्ताओं की घोषणा आदि से लाभ उठाते हुए वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए।

पिछले तीन वर्षों के जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और कोटि उन्नयन के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

March, 2019 and the quantum of GNPAs has decreased from ₹30549.92 crore to ₹29888.33 crore respectively. The NNPA percentage decreased to 9.72% from 13.10% of previous year.

During the FY 2018-19 the Bank has witnessed fresh slippages of ₹9082.44 crore. Cash Recovery for ₹2991.52 crore for the year ended 31st March, 2019. The total reduction in Cash Recovery & Up-gradation of NPA during FY 2018-19 is ₹5323.72 crore. Maintaining Bank's Asset quality and recovery of Bad debts remain main focus area for the Bank.

13.1. Recovery performance:

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, SARFAESI Act, DRTs, Lok Adalats, NCLT, Country wide mega Recovery Camps, Road Shows, MAO campaigns, declaration of willful defaulters etc. were organized for speedy recovery.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under:

(₹ करोड़ में /₹ in crore)

विवरणParticulars	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
नकद वसूली/Cash Recovery	2038.66	1680.04	2991.52
कोटि उन्नयन/Up gradation	4300.45	2610.08	2332.20
कुल /Total	**6339.11**	**4290.12**	**5323.72**
हानिग्रस्त आस्तियों में वसूली (एमएल एवं तकनीकी राइट ऑफ खाते) Recovery in Loss Assets (ML & Technical Write-off accounts)	139.81	181.56	435.49
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	22540.95	30549.92	29888.33
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	17.12%	24.64%	25.00%
शुद्ध अनर्जक आस्ति/Net NPA	10703.39	14082.07	9649.92
शुद्ध अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	8.94%	13.10%	9.72%

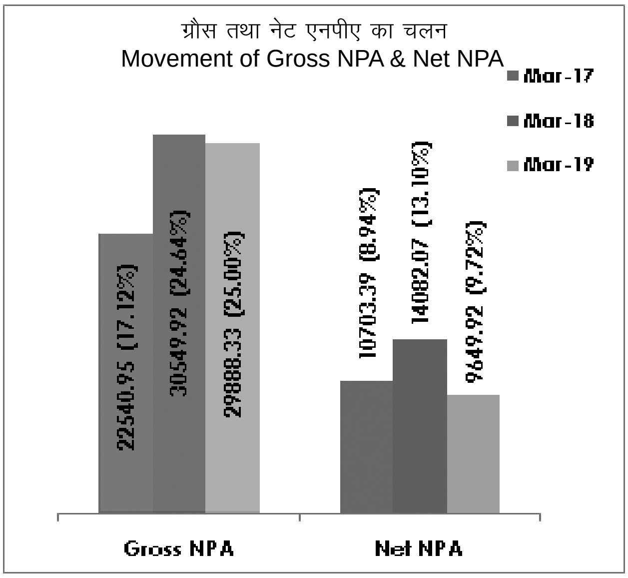

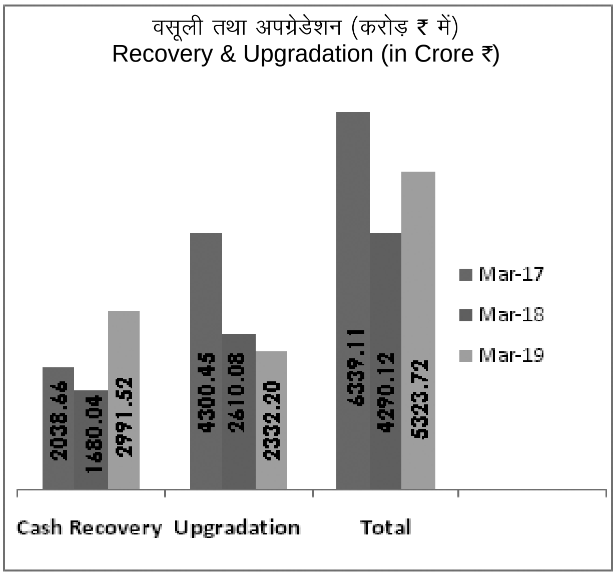

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹6339.11 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली एवं अपग्रेडेशन ₹4290.12 करोड़ का रहा है। बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली पिछले वर्ष के ₹139.81 करोड़ की तुलना में मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹181.56 करोड़ की हुई है।

हानिग्रस्त आस्ति में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। हानिग्रस्त आस्तियों के साथ-साथ तकनीकी एवं विवेकसम्मत रूप से बट्टे-खाते डाले गए खातों में वसूली के लिए बैंक में एक अलग संप्रभाग लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

13.2 कुछ वसूली पहल :

₹25.00 लाख तक की बकाया शेष राशि वाले अनर्जाक आस्ति एवं एमएल खातों के लिए बैंक के पास उदार समझौता निपटान योजना है जिसके तहत शाखा प्रमुखों को अनुमोदन करने की शक्ति दी गई है ताकि प्रस्तावित गैर-विवेकाधीन /गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अनर्जक आस्ति खातों को कवर किया जा सके।

- बैंक ने सभी अंचलों में 144 समूह बनाए हैं। उधारकर्ताओं से संपर्क बनाए रखने, नियमित अंतराल पर वसूली शिविरों का आयोजन करने तथा ओटीएस प्रस्तावों की खोज करने के लिए प्रत्येक समूह में अत्यधिक संकेंद्रित अनर्जक आस्तियों वाली 4-5 शाखाएँ होती हैं। सभी श्रेणियों के अंतर्गत अनर्जक आस्ति वाले पात्र खातों के लिए ओटीएस/समझौता निपटान पर भी बल दिया जाता है।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई करने तथा अनर्जक आस्ति खातों के शीघ्र समाधान हेतु बैंक ने 513 प्रवर्तन एवं वसूली एजेंटों और 1267 कारोबार प्रतिनिधियों को पैनल में रखा है।
- प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से खातों की प्रभावी निगरानी तथा उनके शीघ्र समाधान हेतु विधिक मामलों की निगरानी करने, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित पड़े मामलों के आधारभूत आँकड़े बनाने के लिए बैंक विधिक प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- अड़ियल उधारकर्ताओं के विरुद्ध नियमित आधार पर माओ (एक के विरुद्ध अनेक) दृष्टिकोण अपनाया जाता है और प्रधान कार्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।
- प्रत्येक माह में दो दिन देशव्यापी मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- वाणिज्यिक वाहनों/कारों /ट्रैक्टरों आदि खातों में अखिल भारतीय स्तर पर तिमाही अंतराल पर नीलामी की समान तारीखों को मेगा नीलामी की जाती है।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर की जा रही है। संभावित खरीददारों द्वारा सार्थक खोज करने हेतु नीलाम की जानेवाली पात्र संपत्तियों को आईबीए के कॉमन वेब पोर्टल 'e-B-क्रय' (https://ibapi.in) (भारतीय बैंक संघ की संपत्ति नीलामी सूचना) पर दिनांक 28.02.2019 से से अपलोड किया जा रहा है।
- एनसीएलटी के लिए पात्र खातों का जोरदार तरीके से पता लगाया जा रहा है। एनसीएलटी मामले दायर किए जाने के संबंध में आगे विचार विचार-विमर्श करने हेतु बैंक ने अन्य ऋणदाताओं/ परिचालन लेनदारों, बैंकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा।

एनसीएलटी के अंतर्गत अधिकांश खाते सहायता/बहु बैंकिंग खाते हैं,जिनके समाधान हेतु सहायता संघ आदि के लीडर के साथ परामर्श कर प्रत्येक मामले के आधार पर निगरानी की जाती है। जहाँ हम सहायता संघ के लीडर हैं, वहाँ समाधान हेतु विभाग प्रत्येक खाते पर पूरी बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2019 ₹5323.72 crore as against ₹4290.12 crore for the year ended 31st March, 2018. The recovery in written-off accounts is ₹435.49 crore for the year ended 31st March, 2019 compared to ₹181.56 crore for the previous year.

Recovery in Loss assets has a direct impact upon the profitability and the Bank giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts. A separate vertical in the Bank is monitoring consistently for recovery in loss assets including technically as well as prudentially written-off accounts.

13.2. Some Recovery initiatives:

Bank has liberal compromise Settlement scheme for NPA and ML accounts having O/s Balance up to ₹25.00 Lac under which the branch heads are empowered to approve compromise proposal to ensure more NPA accounts are covered under the proposed non-discretionary/ non-discriminatory OTS Scheme.

- Bank has formed 144 clusters covering all the zones, with each cluster comprising of 4-5 branches of highly concentrated NPA to maintain contact with the borrowers, organize recovery camps at regular intervals and scout OTS proposals. Emphasis is also given for OTS/Compromise settlement for eligible NPA accounts under all categories.
- Bank has empanelled 513 Enforcement & Recovery Agents and 1267 Business Correspondents (BCs) for effective and time-bound enforcement of action under SARFAESI Act and early resolution of NPA accounts.
- Bank has implemented the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring legal matters, creating database of all cases pending before different courts for effective monitoring and early resolution of accounts.
- MAO (Many against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis and being monitored at HO level.
- Countrywide Mega Recovery Camps are being organized on Two days every month.
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being condued on quarterly basis.
- Eligible properties put for auction are uploaded on 'e-B-क्रय' a common web portal of IBA (https://ibapi.in) (Indian Banks Auction Properties Information) for meaningful search by the prospective buyers from 28.02.2019.
- Accounts eligible for **NCLT** are being explored vigorously. Bank is in liaison with other financial creditors on regular basis, for considering the way forward in respect of NCLT cases.

Most of the accounts under NCLT are consortium / multiple banking accounts which are being monitored for resolution on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where we are the leader of the consortium, the department is meticulously following up each and every account for the purpose of resolution.

- जहाँ हमारा बैंक सहायता संघ/जेएलएफ का सदस्य है, वहाँ हम प्रधान कार्यालय से विशेषकर नित्य अंतरालों पर जेएलएफ की बैठक बुलाने और उक्त बैठकों में उचित स्तरों पर हमारे बैंक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित लीडर बैंकों के उच्च प्रबंधन के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को नियमित आधार पर रख रहे हैं।
- एआरसी को बिक्री करने हेतु पात्र अनर्जक आस्ति खातों की पहचान समय-समय पर नियमित अंतराल पर की जाती है। प्रारंभ से ₹6150.99 करोड़ के 434 खातों और दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष में ₹46.24 करोड़ के 2 खातों की बिक्री एआरसी को की गई।
- संबंधित राज्यों की एसएलबीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय ऋण माफी के तहत अपेक्षा के अनुसार अनर्जक आस्ति के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु राज्य-विशेष की योजनाओं यथा 1) केरलराज्य शिक्षा ऋण सहायता, 2) ऋण मोचन योजना-उ.प्र., 3) महाराष्ट्र सरकार की छत्रपति शिवाजीमहाराज स्वेतकारी सम्मान योजना (सीएसएमएसएसवाई-2017) आदि का निरूपण किया गया।

14. ऋण निगरानी :

वर्तमान आर्थिक दशा ने बैंकिंग उद्योग में अशोध्य ऋणों को बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है और नए स्लिपिज पर काबू पाने हेतु दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन द्वारा एनपीए पर अतिसक्रिय रूप से ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है । इस पर नजर रखने की प्रणाली को जोरदार बनाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. बैंक ने रेड फ्लैग्ड एकाउंट (आरएफए)की पहचान के लिए ढाँचा तैयार किया है जो ढाँचे के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण कपट से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) कहे जाने वाले ट्रिगर्स पर आधारित हैं जिनसे खाते को आरएफए चिन्हित किए जाने के छह माह के भीतर उसमें कपट होने या न होने की पहचान की जाती है। ईडब्ल्यूएस की प्रणाली पहचान के संबंध में, संकल्पना -जाँच (पीओसी) कर ली गई है और सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 30.06.2019 के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों पर पड़ने वाले गंभीर दबाव पर विचार करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनःप्रवर्तन और पुनर्वास और एमएसएमई के एककालिक पुनर्रचना हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ढाँचा तैयार किया गया है और इन क्षेत्रों के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्ति के समाधान हेतु लागू किया गया है।
3. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंध के हिस्से के रूप में ₹5 करोड़ और उससे अधिक की चूक की आस्तियों की साप्ताहिक रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज केडिट (सीआरआईएलसी) को की जाती है तथा दैनिक आधार पर उसकी निगरानी की जाती है।
4. दाबावग्रस्त और एनपीए खातों की आधार स्तर पर निगरानी करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनपीए ट्रेकर चालू किया गया है।

कार्य पद्धति में जमीनी स्तर पर सुधार लाने हेतु बैंक ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यनीति बनाई है और दिशानिर्देश दिए हैं :

क) ऋण निगरानी हेतु परिचालन दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है और बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 27.07.2018 को लागू किया गया है ।

ख) टीईवी परामर्शदाताओं के सूचीकरण हेतु नीति में संशोधन किया गया है तथा दिनांक 04.05.2018 को लागू किया गया है

ग) शाखा पदधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रभावी ऋण निगरानी के संबंध में सैंतीस (37) परिपत्र जारी किए गए।

Where our Bank is a member of Consortium / JLF, we are taking up the critical issues from Head Office with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene meeting of JLF at frequent intervals and ensuring our Bank's participation at suitable levels in such meetings.

- Eligible NPA accounts are identified for Sale to ARCs from time to time at regular interval. A total of 434 A/cs amounting to ₹6150.99 crores since inception and 2 accounts sold for ₹46.24 crore during the year ending 31.03.2019.
- State specific Schemes were formulated to widen the scope of NPA recovery as per requirement under Debt Waiver at the State Level through the SLBC of the respective states such as 1) Kerala Govt. Educational Loan assistance, 2) Debt Redemption Scheme - U.P., 3) Chatrapati Shivaji Maharaj Swetkari Sanman Yojna (CSMSSY-2017) of Maharashtra Govt. etc.

14. CREDIT MONITORING:

Present economic situation has accentuated upsurge of bad loans in the banking industry and force banks to deal with NPA more proactively by stressed asset management for arresting fresh slippage. Bank has geared up mechanism of tracking by initiating measures as under:-

1. Bank has put in place framework for identification of Red Flagged Account (RFA) based on triggers known as Early Warning Signals (EWS) as per guidelines on Framework for dealing with loan frauds leading to the identification of the account as fraud or not within the period of six months from date of marking the account as RFA. Regarding System identification of EWS, Proof of Concept (POC) is completed and total process will be completed within 30.06.2019.
2. Considering severe stress in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sectors, Framework for revival and rehabilitation ofMicro,Small and Medium Enterprises and one time restructuring of MSME, formulated in terms of RBI guidelines and has been put in place for resolution of stressed asset under these sectors.
3. As a part of stressed asset management, default assets ₹5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
4. NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

To improve upon functioning at the grass root level,bank has devised furtherfollowingstrategic policy and guidelines:

a) Operational guidelines for Credit Monitoring has been updated and put in place on 27.07.2018 after obtaining approval of the Board.

b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place on 04.05.2018.

c) Based on the feedback received from field functionaries and following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), thirty Seven (37) numbers of circulars issued on effective credit monitoring during Financial Year (FY) 2018-19.

घ) बोर्ड से अनुमोदन लिए जाने के पश्चात दि.15.02.2019 ₹250.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खातों की विशेषीकृत और प्रभावी निगरानी के लिए एजेंसियों को कार्य पर लगाने की शुरुआत की गई।

ङ) स्टॉक और बही ऋण लेखापरीक्षकों के सूचीकरण और नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और दिनांक 10.12.2018 को लागू किया गया।

च) ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक के दबावग्रस्त खातों की सीधी निगरानी कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में उच्च अधिकारप्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा पाक्षिक आधार पर की गई।

15 जोखिम प्रबंधन :

पीएसबी सुधार कार्यसूची के अंतर्गत इज इंडेक्स मे बैंक की स्थिति मे सुधार हुआ है । दिनाक 31.12.2018 को समस्त पीएसबी बैंको मे हमारा बैंक 11 स्थान पर था।

बैक नें निधि में आने वाली विभिन्न प्रकार की अत्यधिक कमी की स्थिति में इसे पूरा करने हेतु आकस्मिक निधीयन योजना बनाई है। इस निधीयन योजना मे निधि के संभावी आक्स्मिक स्रोतों, इन स्त्रोतो से आहरित की जाने वाली अनुमानित राशि, इसे निष्पादित करने की समय सीमा तथा कब और कैसे प्रत्येक कार्यवाही सक्रिय होगी इसके ब्यौरे समाहित हैं।

बैक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)से बाहर निकालने हेतु विभाग ने अन्य कार्पोरेट विभागों से विमर्श कर बैंक के कायाकल्प हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना आरंभ की है। इन रणनीतियों का कार्यान्वयन परिचालन विभागों द्वारा समयबद्ध पद्धति पर किया जा रहा है।

विभाग द्वारा समय-समय पर जोखिम प्रबंधन संबंधी आंतरिक प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन कर बैंक में जोखिम निवारण संस्कृति को अपनाया गया है।

बैंक में जोखिम प्रबंधन के अद्यतन विषयो पर विभाग द्वारा एक मासिक बुलेटिन "द रिस्क मिरर" जारी की जा रही है।

विभाग द्वारा भारिबै, ऋण लेखा परीक्षा एवं पीसीए द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत धोखाधड़ी जोखिम, जोखिम न्यूनीकरन योजना पर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

ऋण एवं परिचालन जोखिम के क्षेत्र में औद्योगिक स्तर पर श्रेष्ठ पद्धति की पहचान की गई है एवं बैंक में समयबद्ध तरीके से इनके कार्यान्वयन की शुरूआत की गई है। बैंक के समस्त दिशा निर्देशों की पुनर्समीक्षा / पुनर्विचार किया गया।

धोखाधड़ी / अधिक मूल्य के एन पी ए के मूल कारणों के विश्लेषण किए जा रहे हैं। धोखाधड़ी / गिरावट के संकेत को रोकने हेतु सम्बद्ध दिशानिर्देशो / प्रणाली एवं पद्धति मेँ अपेक्षित परिवर्तन किए गए हैं ।

कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु हमारे ऋणों की कीमतों को आर ए आर ओ सी दस्तावेजों से जोड़ दिया गया है। विभिन्न वर्गों मे बैंक की जोखिम वहन क्षमता का उल्लेख आई सी ए ए पी दस्तावेजों में किया गया है।

ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली का ऑनलाईन मॉड्यूल लागू किया गया है।

d) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above ₹250.00 crore has been introduced on 15.02.2019 after obtaining approval of the Board.

e) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place on 10.12.2018.

f) Stressed accounts of ₹5.00 crore and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnightly basis.

15. RISK MANAGEMENT:

The Score of our Bank under EASE index under PSB Reform Agenda has improved. As on 31.12.2018, our Bank's position is 11th among all PSBs.

Bank has a Contingency Funding Plan to manage a range of scenarios of severe liquidity stress. The funding plan contains the details of potential contingency sources, estimated amount which can be drawn from these sources, lead time needed and procedure detailing when and how each of the actions will be activated.

In order to bring our Bank out of Prompt Corrective Action (PCA), the department in consultation with other Corporate Department, has initiated various Turn Around Strategies and Action Plans. The Strategies are being implemented by the functional Departments in a time bound manner.

The risk culture in Bank is being developed by the Department by conducting in- house Training / workshop programme related to Risk Management in Bank, from time to time.

The Department has come up with a monthly Bulletin namely "The Risk Mirror", containing latest topics on Risk Management in Bank.

The Department has developed Standard Operating Procedure (SOP) on Fraud Risk, Risk Mitigation Plan (RMP) under Risk Based supervision by RBI, Credit Audit and PCA.

Best practices at Industry level in Credit & Operational risk areas have been identified and their implementation in the Bank in a time- bound manner has been initiated. All the Policies of our Bank have been revisited / reviewed.

Root cause analysis of frauds/ large value NPA accounts is being carried out. Necessary changes in the respective policies / system & procedures to curb the recurrences of fraud/slippage are being done.

Our pricing of loan to Corporate Borrowers is linked with RAROC document. The risk appetite of the Bank on different segments is also captured in ICAAP Document.

The online module for Credit Audit system has been implemented

16 सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैकल्पिक वितरण प्रणाली :

क) चालू वर्ष में प्रारम्भ हुई नई परियोजनाएँ / एप्लिकेशन

1 शीघ्र आपदा वसूली (एनडीआर) - हानि को रोकने की अत्यावश्यकता एवं तुरंत वसूली को सक्रिय करने तथा महत्वपूर्ण खातों के व्यावसायिक परिचालन को जारी रखने के लिए एन डी आर साईट के कार्यान्वयन को 12 दिसंबर, 2018 तक पूरा किया गया।

2 एटीएम/डेबिट कार्ड

- एनएफसी सक्रिय संपर्क रहित एनसीएमसी कार्यप्रणाली युक्त डेबिट कार्ड की शुरुआत की गई।
- एटीएम स्विच स्तर पर फ्रौड रिस्क प्रबंधन समाधान कार्यान्वित किया गया।
- प्रिंटेड पिन युक्त नए डेबिट कार्ड से ई कॉमर्स लेनदेन के अस्वीकृत होने पर ग्राहक को एसएमएस (क्यों की पहली बार एटीएम का उपयोग करना आवश्यक)

3. एम बैंकिंग

- यूको कंटेनर ऐप–जिसमे मोबाईल बैंकिंग, यूपीआई, यूको पे +, एम पास बुक, यूको सेक्योर एक साथ उपलब्ध हैं–की शुरुआत।
- ऋणवसूली के प्रयास में सहायता हेतु क्लस्टर एप की शुरुआत।
- भीम यूको यूपीआई एप आई फोन /आई पैड हेतु एपल स्टोर को उपलब्ध करवाए गए।
- http://bbps.ucobank.com पर बीबीपीएस प्री लॉग इन कार्यान्वित किया गया।
- यूपीआई एप को यूपीआई 2.0 में अपग्रेड किया गया।
- ईएएसई विशिष्टताओं यथा एफडी को बंद करना ,प्रधान मंत्री बीमा /जीवन ज्योति योजना, टी डी एस /फॉर्म 16 प्रमाण पत्र जारी करना कार्यान्वित किया गया।

ई बैंकिंग

- ईएएसई विशिष्टताओं यथा 15जी/15 एच फ़ॉर्म जमा करना ऋण पर ब्याज प्रमाण पत्र, शिकायतों का अनुवर्तन ,टीडीएस फॉर्म 16 प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि।
- महाराष्ट्र कर के संग्रहण हेतु महाराष्ट्र जीआरएएस ट्रेजरी के साथ एकीकरण।
- ग्राहक के पंजीकृत मेल आई डी पर लेनदेन संबंधी एलर्ट।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ई बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन लेनदेन सुविधा का आरंभ।
- ऑनलाईन खोले गए एफडी में ई बैंकिंग के माध्यम से नामांकन की सुविधा।
- शुल्क एवं निधियों के संग्रहण हेतु स्मर्टी पे मॉड्यूल में 21 नए कॉलेजों/स्कूलों को शामिल किया गया।

16. INFORMATION TECHNOLOGY & ALTERNATIVE DELIVERY CHANNELS:

A. New Projects/Applications launched in Current Financial Year

1. Near Disaster Recovery (NDR)- Implementation of NDR site has been completed on 12th December, 2018 for zero data loss during exigencies and to enable quick recovery and continuity of critical business operations.

2. ATMs/Debit Cards -

- Introduction of NFC enabled Contactless Debit Card equipped with NCMC functionality.
- Implementation of Fraud Risk Management (FRM) Solution at ATM Switch level.
- SMS to customers on decline of Ecommerce transaction using new Debit Card with Printed PIN (as First time usage in ATM is required)

3. M-banking

- Introduction of UCO container app--having Mobile banking, UPI, UCOPay+, mpassbook, UCOSecure together
- Implementation of Cluster app for assistance in Loan Recovery efforts
- BHIM UCO UPI app made available in Apple Store for iPhone / iPad users.
- BBPS pre-login implementation with URL https://bbps.ucobank.com.
- Upgradation of UPI app to UPI 2.0
- Implementation of EASE features like FD Closure, RD closure, PAN seeding, submission of Form 15G/H, Enrolment for Pradhan Mantri Suraksha Bima/ Jeevan Jyoti Yojana, TDS/Form 16 certificate issuance etc.

4. E-Banking

- Implementation of EASE features like 15G/15H form submission, Issuance of loan interest certificate, launch/follow up of compliants, TDS/Form 16 certificate issuance etc.
- Maharastra GRAS Treasury integration for collection of Maharashtra Tax
- Transactional Email alert to customer's registered email id.
- Facility of online transaction to Sukanya Samridhi Yojna through e-banking
- Nomination facility feature implemented in e-banking for Online FD opened .
- 21 new college/school have been added in Smarty Pay module for collection of Fee/funds.

ख. वर्तमान परियोजनाओं की विशिष्टताओं /कार्यनिष्पादन में वृद्धि

1 धरलू सॉफ्टवेयर का विकास एवं सीबीएस कस्टमाईजेशन

- एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास

  ➢ हमारे बैंक की वेबसाईट के माध्यम से अशोध्य ऋण की किसी भी राशि के वन टाईम सेटलमेंट ओटीएस आवेदन के प्रसंसकरण हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

  ➢ कर्मचारियों की वित्तीय एवं गैरवित्तीय शिकायतों हेतु एचआर एम एस पोर्टल में व्हिसल ब्लोअर मॉड्यूल।

  ➢ कर्मचारियों के डिमैट खाते खोलने के आवेदन पत्रों , ईक्विटी शेयर आवेदन पत्रों के प्रसंस्करण हेतु यूको इमप्लाई शेयर पर्चेज स्कीम (ईएसपीएस) 2019 तैयार की गई।

  ➢ ग्राहकों द्वारा अप्राधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग हेतु ग्राहकों के लिए ऑन लाइन पोर्टल तैयार किया गया।

  ➢ आई बी ए के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा निवृत कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा बीमा आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एप्लिकेशन मॉड्यूल बनाया गया।

  ➢ भविष्य निधि विभाग ,प्रधान कार्यालय हेतु एच आर एमएस एप्लीकेशन मे सेवा निवृति पर भविष्यनिधि/ पेन्सन विकल्प के निपटान हेतु दोहरी प्रमाणीकरण प्रणाली (मेकर एवं चेकर)

सीबीएस कार्यप्रणाली का अनुकूलन

  ➢ मोटर गाड़ियों की सड़क दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के हिताधिकारियों को प्राप्य राशि के संवितरण हेतु फिनेकल में मोटर एक्सीडेंट एनयुटी डिपोजिट मोड्यूल कार्यान्वित किया गया।

  ➢ अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर प्रत्येक व्यक्तिगत चेकबहियों पर यादृछिक संख्या (गुप्त कूट) एवं क्रमसंख्या सम्मिलित की गई।

  ➢ ए ई पी एस एस एच जी लेनदेन की दोहरी आधार प्रमाणीकरण हेतु कस्टमाइजेसन किया गया।

2 ग्रिड चेक ट्रांकेसन प्रणाली एवं एनएसीएच :

दिनांक 31.03.2019 तक तीन ग्रिड (उत्तरी ग्रिड -132 केंद्र ,दक्षिणी ग्रिड -200 केंद्र एवं पश्चिमी ग्रिड 124 केंद्र) के अंतर्गत 465 केन्द्रों मे सीटीएस सक्रिय किया गया।

3 स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एल ए पी एस)

- 7 नई खुदरा ऋण योजनाओं (यूको टॉप अप /गोल्ड /सेक्यूरिटीज / टू व्हीलर/शोप्पर/रेंट /प्रॉपर्टी ऋण) को लैप्स मे सम्मिलित किया गया।
- सीबील एवं कृफ के माध्यम से संभावी ग्राहक के पूर्व में लिए गए ऋण से संबन्धित सूचना को प्राप्त करने की सुविधा को कायान्वित किया गया।
- छात्रों/उधार्कर्ताओं द्वारा विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण हेतु ऑन लाईन आवेदन को प्राप्त करने हेतु वीएलपी विद्यालक्ष्मी पोर्टल एवं लैप्स का एकीकरण किया गया ।

B. Performance/Feature enhancement of existing projects

1. In-house software development and CBS Customizations:

- **Application Software Developments**

  ➢ Implementation of ONLINE module for One Time Settlement (OTS) of bad loan through our Bank's website for processing of OTS application of any amount.

  ➢ Whistle Blower Module under HRMS portal for employees to lodge financial and non-financial complains.

  ➢ The UCO Employee Share Purchase Scheme (ESPS) 2019 application was developed for processing of employees DEMAT a/c opening applications, processing of Equity share applications.

  ➢ Online Portal for customer for reporting unauthorized transaction by customers.

  ➢ Development of online application module for Retirees to apply Medical Insurance as per the guidelines provided by the IBA

  ➢ Development of Provident Fund (PF) Management module in HRMS application for settlement of PF/ Pension optee after retirement for Head Office PF Department with Dual authentication (Maker & Checker) system

- **Customisations in CBS Environment**

  ➢ Implementation of Motor Accident annuity deposit module in FINACLE towards disbursement of compensation to the beneficiaries of motor vehicle road accidents

  ➢ Incorporation of additional security features such as Random number (Secret Code) and Sequence number in each cheque leaf of personalized chequebook.

  ➢ Customizations for Dual Aadhaar authentication for AEPS SHG Transactions.

2. Grid Cheque Truncation System & NACH:

As on 31.03.2019, 465 centres are live under CTS under three Grids (Northern Grid - 132 centres, Southern Grid - 200 centres & Western Grid -124 centres).

3. Lending Automation Processing System (LAPS):

- Incorporation of 7 new retail schemes (UCO top-up/Gold/ Securities/Two Wheeler/Shopper/Rent/Property Loan) in LAPS.
- Implementation of facility to pull Credit Information Report (CIR) from CIBIL & CRIF Highmark of the customer thereby getting to know the credit history of the prospective borrower.
- Integration of LAPS with Vidya Lakshmi portal (VLP) for receiving education loans from online applications applied by the student/borrower.

- एटीएम ,यूपीआई,आइ एम पी एस ,एन पीसीआई , एन एफ एस,पी एफ एम एस चैनलों के माध्यम से डेटा की बढती प्रमात्रा के सहज परिचालन हेतु वैकल्पिक वितरण प्रणाली में अनेक चैनल,अंश एवं खाते जोड़े गए ।

4. सरकारी व्यवसाय मॉड्यूल (जीबीएम)

- समस्त शाखाओं को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)जमा हेतु अंतर्शाखा लेन देन सहित पूर्णतः प्रयोजनमूलक रूप से सक्रिय किया गया।
- 308 शाखाओं में सीबीडीटी एवं 26 सीबीआईसी शाखाओं में सीबीआईसी सक्रिय किया गया।
- पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य के कर ऑन लाईन एवं ऑफलाईन जमा दोनो स्थतियों में चालू किए गए एवं तत्संबंधी समेकित डेटा भरिबैं को ई. कुबेर फाईल फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया।
- जी बी एम में अंतर बैंक प्रमाण पत्र जमा करने एवं पावती की विशिष्टता उपलब्ध होने के कारण पेंशनर अब अपना जीवन तथा अन्य प्रमाण पत्र किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं।
- जीबीएम में पेंशन एवं पीपीएफ खातों में आधार सीडिंग की जा सकती है।

5. एटीएम :

- दिनांक 31.03.2019 तक बैंक में 2358 एटीएम (ऑनसाईट - 2047 एवं 311 ऑनसाईट)। विभाग नें एटीएम हेतु वर्ष 2018-19 में अग्रलिखित कार्रवाई की –
- ईवीएम सक्रिय एटीएम का माईग्रेसन पूर्ण हुआ।
- परिचालन लागत को कम करने के लिए समस्त अलाभप्रद / न्यून लेनदेन वाले एटीएम को बंद कर दिया गया।
- न्यून लेन देन वाले एटीएम को आय की प्राप्ति हेतु नए संभाव्य अधिक लेनदेन वाले स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया।
- बारंबार खराब होने वाले समस्त पुराने एटीएम को नवीनतम रूप विन्यास युक्त एटीएम से प्रतिस्थापित किया गया।
- नवीनतम एंटीफ्रॉड उपायों से अद्यतित करने हेतु वर्तमान एटीएमों में सुधार किए गए।
- शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों से समायोजन रिपोर्ट संग्रह करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए मासिक एटीएम समायोजन /नकद स्थति की प्रस्तुति हेतु एक पोर्टल (एटीएम समायोजन रिपोर्ट हेतु एकीकृत पोर्टल) तैयार किया गया।
- 500 एटीएम खरीद कर स्थापित किए गए।

6. नेट वर्क

- समस्त शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रॉक्सी समाधान के माध्यम से नियंत्रित वातावरण में इंटरनेट उपयोग की सुविधा।
- कुंभ मेला एवं सरस मेला में मोबाईल एटीएम हेतु 4 जी एलटीई (वायरलेस) के माध्यम से सफलतापूर्वक नेटवर्क उपलब्ध करवाया गया।
- वीसैट शाखाओं की कनेक्टीविटी सुधारने के लिए पूल बैंडविथ बढ़ाई गई।

7. कॉल सेंटर :

- एजेंटों की संख्या बढने से कॉल सेंटर की कार्य पद्धति में सुधार हुआ। अनसुने फोनकॉल्स की संख्या कम हुई।

- Implementation of multiple channels, multiple ports, multiple Accounts for ADC channel for smoother transaction to cater to increasing volume of data through ATM, UPI, IMPS, NPCI, NFS, PFMS channels.

4. Government Business Module (GBM):

- All the branches are enabled to handle Public Provident Fund (PPF) scheme with full functionality including Intersol transactions.
- CBDT is enabled in 308 branches and CBIC is enabled in 26 branches.
- State taxes of West Bengal and Odisha are enabled in both offline and online mode and the data put together is submitted to RBI in the e-kuber file format.
- Pensioner can submit his/her Life and other certificates from any branch as GBM has the inter sol certificate submission feature with acknowledgement.
- Aadhaar number can be seeded in GBM for Pension and PPF accounts.

5. ATM:

- As on 31.03.2019, Bank has 2,358 ATMs (Onsite - 2,047 and Offsite - 311). Department has taken below mentioned initiatives in the area of ATMs during FY 2018-19 -
- EMV Enabled ATMs migration completed
- Closure of all loss making/ low hit ATM sites to reduce operational cost
- Relocation of ATMs from low hit sites to new potential sites where more hit/ revenue can be achieved.
- Replacement of all obsolete ATMs ,which undergo frequent breakdown with new ATM machines with latest configuration
- Modification in existing ATMs to get them updated with latest Anti fraud measures
- To simplify the process for collecting reconciliation report from zones and branches a portal (name as Unified Portal For ATM Reconciliation Report) developed for submission of monthly ATM recon/ cash status.
- Procurement and installation of 500 ATMs

6. Network:

- Internet access in controlled environment using Proxy solution in all branches and offices
- Successfully provided network through 4G LTE (Wireless) for Mobile ATM during Kumbh Mela & Saras Mela.
- For improving connectivity of VSAT branches, pool Bandwidth has been increased.

7. Call Centre:

- Function of call centre improved by increasing number of agents. Abandoned call percentage decreased to markable point.

8. आधिकारिक फेसबुक /ट्वीटरः

- बैंक के डीजीटल उत्पादों को ग्राहकों में प्रोमोट करने हेतु बैंक का आधिकारिक फेस बुक, ट्वीटर पृष्ठ एवं यू ट्यूब चैनल बनाए गए।

9. स्विफ्ट /एसएफएमएस :

- स्विफ्ट एवं फिनेकल के मध्य एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) को लागू किया गया।
- बाह्य एलजी /बीजी संदेशों हेतु फिनेकल एवं एसएफएमएस के मध्य एसटीपी लागू किया गया।

10. भीम आधार पे

- भीम आधार लेन देन हेतु देय एवं प्राप्य को बैंक ने सफलतापूर्वक लागू कर लिया है।
- एनपीसीआई से प्रमाणन पर “ऑथ 2.0” प्लेटफॉर्म का उपयोग पंजीकृत डिवाईस हेतु करने की प्रक्रिया आरंभ।

11.भारत क्यू आर

- बैंक नें भारत क्यू आर V 1.1 एवं तत्पश्चात V 4.0 को सफलता पूर्वक लागू कर लिया है ।

17. सीआईएसओ कार्यालय :

- महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्यो को प्रभावित करने वाले साईबर खतरे से उबरने एवं प्रतिरोध हेतु त्वरित पहचान ,सूचना का आदान-प्रदान, स्विफ्ट प्रत्युत्तर, सुधारात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में साईबर संकट प्रबंधन योजना है।
- साईबर सुरक्षा हेतु बैंक की आवश्यकताओं ,संबद्ध नियम एवं विनियम के अनुसार निर्देश एवं सहायता उपलब्ध करवाने हेतु बैंक की साईबर सुरक्षा दिशा- निर्देश एवं सूचना सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार की गई है ।
- कार्मिकों हेतु साईबर जोखिम जागरूकता कार्यशालाएं एवं कार्यक्रमों का आयोजन, उपयोग के विभिन्न स्तरों पर जगरूकता बढाने हेतु किया गया।
- शाखाओं एवं कार्यालयों द्वारा साईबर घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु तैयारी एवं कुशलता के मूल्यांकन हेतु टेबल टॉप अभ्यास एवं मॉक अभ्यास करवाए गए।
- ग्राहकों को साईबर जोखिम एवं खतरे की चुनौतियों के संबंध में जागरुक करने हेतु फेस बुक एवं ट्विटर के माध्यम से साईबर सुरक्षा मानक आभ्यास एवं सुरक्षा टिप्स जारी किए गए।
- विभिन्न प्रकार की साईबर सुरक्षा के भेदन एवं इनके परिणाम एवं श्रेष्ठ अभ्यास के संबंध में कार्मिकों को जानकारी प्रदान करने हेतु साईबर सुरक्षा बही प्रकाशित की गई है।
- विभिन्न प्रकार की सलाह यथा साप्ताहिक साईबर सुरक्षा शृंखला,ए से जेड अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार साईबर सुरक्षा शब्दावली, जानकारी रखें- सुरक्षित रहें शृंखला द्वारा कार्मिकों की जानकारी को संवर्धित किया गया। अगस्त, 2018 में प्रौद्योगिकी सुरक्षा जागरूकता माह आयोजित किया गया जिसमें नियमित रूप से समस्त कर्मचारियों को तस्वीर युक्त संदेश परिचालित किए गए।

18. ग्राहक सेवा :

ऑन लाईन शिकायत दायर करने हेतु जनता के लिए एसपीजीआरएस मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष 2018-19 में प्राप्त

8. Official Facebook/Twitter:

- Creation of Bank's official Facebook and Twitter pages and YouTube Channel for promotion of digital products of bank to customers

9. SWIFT/SFMS:

- Implementation of STP (Straight Through Processing) between SWIFT and Finacle
- Implementation of STP between Finacle and SFMS for outward LC/BG messages.

10. BHIM Aadhaar Pay:

- Bank has successfully implemented Payable and Receivables for BHIM Aadhaar Transactions.
- On boarding of Bank on "Auth 2.0" Platform for usage of Registered Devices after certification with NPCI.

11. Bharat QR:

- Bank has successfully implemented Bharat QR v 1.1 and subsequently v 4.0.

17. CISO OFFICE:

- Bank has Cyber Crisis Management Plan in place to ensure rapid identification, information exchange, swift response and remedial actions to mitigate and recover from cyber threats impacting critical business functions.
- Bank has Cyber Security Policy and Information Security Policy in place to provide direction and support for cyber security in accordance with business requirements, relevant laws and regulations.
- Cyber risk awareness workshops and programmes have been conducted for employees for disseminating awareness at different user level.
- Table top exercises and mock drills have been carried out to assess the preparedness and efficiency of Branches and Offices in reporting cyber incidents.
- Cyber security best practices and safety tipsare shared through Facebook and Twitter to help customers be aware of the challenges of cyber risks and threats.
- Cyber Security Handbook has been published to spread awareness amongst employees with different types of cyber security breaches, their consequences and best practices.
- Employee awareness has also been enhanced through various kind of advisory viz Cyber Security Thought of the Week series, Cyber Security words covering alphabets from A to Z, Be Aware Be Secure Series. Information Security Awareness Month has also been celebrated in August 2018 where regularly pictorial messages were circulated to all employees.

18. CUSTOMER SERVICE:

Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) is available for the public to lodge complaints online. 98.30% of

कुल शिकायतों में से 98.30ऽ शिकायतों का निवारण किया गया । वर्ष 2018 -19 में आरटी आई के अंतर्गत कुल 1125 आवेदन प्राप्त हुए । आर टी आई के अंतर्गत 220 अपील दायर किए गए।

the total complaints received during the financial year 2018-19 have been redressed. Under RTI, a total of 1125 applications were received, during FY 2018-19. There were 220 appeals made under RTI.

19 एम आई एस एवं एडीएफ

19. MIS & ADF Cell:

आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ विभिन्न सांविधिक निकायों इत्यादि को रिपोर्टिंग हेतु बैंक में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) संप्रभाग है।

Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc.

हमारे बैंक में उपलब्द्ध समस्त विच्छिन्न प्रणालियों यथा फिनेकल (देश एवं विदेश), जीबीएम, लैप्स, देसी ट्रेजरी, ई बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, एम वॉलेट इत्यादि को एम आई एस-ए डीएफ के साथ एकीकृत किया गया तथा अब इससे संस्था को डेटा विश्लेषण,कार्य नीति आयोजना, व्यवसायिक योजना की तैयारी, इसका कार्यान्वयन एवं उच्च प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेने हेतु एक साथ सूचना उपलब्द्ध हो रही है।

MIS-ADF is integrated with all the discrete systems available in our Bank, viz. Finacle (Domestic and Overseas), GBM, LAPS, Domestic Treasury, E-Banking, Mobile Banking, M-Wallet etc. and performing as a one stop solution for providing information to the organization for the purpose of data analysis, strategic planning, evolving the business plans, its implementations and TOP Management level decision making.

भारिबैं को विवरणियां / डेटा यथा बीएसार,एसआईबीसी, एनआरडीसीएसआर इत्यादि प्रस्तुत करने हेतु बैंक नें बिना किसी मानविय हस्तक्षेप एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म, के माध्यम से एम आई एस एवं एडीएफ के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास किया है। नियंत्रण, निगरानी एवं व्यवसाय मानक की दैनंदिन रिपोर्टिंग हेतु व्यवसायिक संप्रभागों को ऋण, जोखिम प्रबंधन,वसूली, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय एवं वित्त को आंतरिक रिपोर्ट उपलब्द्ध करवाई जा रही है।

Bank has developed reporting system under MIS ADF for submission of RBI returns/data viz. BSR, SIBC, NRDCSR etc. without any manual intervention through XBRL platform. Internal reports made available for business verticals - Credit, Risk Management, Recovery, Treasury, International, Overseas and Finance for control, monitoring and reporting day to day business parameters.

डीजिटल चैनलों के निष्पादन की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक रूप से की जा रही है।

Digital channel performance reporting to Ministry of Electronics & Technology, Govt. of India on daily basis.

बैंक द्वारा विभिन्न ऋण ब्यूरो यथा सिबिल ,क्रिफ हाई मार्क इक्विटेक्स को दैनिक /मासिक आधार पर उपभोक्ता, वाणिज्यिक वं स्वयं सहा समूह से संबंधित डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

Bank is reporting data related to consumer, commercial and SHG segments on daily/ monthly basis to different Credit Bureau like CIBIL, CRIF Highmark, Equifax.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ सीआइएमएस केंद्रीय सूचनाप्रबंधन प्रणाली को कयान्वित करने की परियोजना प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अंतर्गत भारिबैं की 117 विवरणियों को समयबद्ध योजना के अनुसार स्वचालित किया जाएगा।

Implementation of Centralised Information Management System (CIMS) project launched by RBI is under process. Under this project 117 RBI returns to be automated in a time bound manner.

20. कॉर्पोरेट संसूचना

20. CORPORATE COMMUNICATION:

बैंक नें अपनी उच्च स्तरीय पारदर्शिता तथा हितधारकों को सूचना में संगति एवं बैंक की वेब साईट के माध्यम से रियल टाईम सूचना सहित समय पर स्पष्ट सुसंगत, विश्वसनीय सूचनाओं को जारी कर पुनः सुदृढ कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बनाई है। बैंक का उद्देश्य संधारणीय, सुसंगत एवं प्रासंगिक संदेशों तथा कर्मचारियों को सूचना के बाह्य एवं आंतरिक माध्यमों के सम्यक मिश्रण से सूचित एवं राजी कराते हुए बैंक की गतिविधियों एवं विकास में शामिल करनाहै।

Bank reinforces strong corporate reputations through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

बैंक ने अपनी विश्व स्तरीय वित्तीय संस्थान की इमेज को बनाने एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु विभिन्न चैनलों यथा प्रिंट मीडिया,आउट डोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सी एस आर गतिविधियों के माध्यम से एवं हितधारकों के मध्य अपेक्षित सूचना का प्रसार करने की कई पहल की है।

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, Sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

क) प्रचार अभियान

a) Publicity Campaigns :

प्रिंट मीडिया :

Print Media:

प्रिंट मीडिया जना साधारण से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। कॉर्पोरेट संसूचना विभाग नें संपूर्ण वर्ष 2018-19 में जोरदार अभियान चला कर इसका प्रभावी उपयोग किया। देयताएं उत्पाद एवं परिसंपत्तियां उत्पाद यथा होम लोन, यूको कार लोन, मॉनसून ऑफर एवं उत्सव ऑफर यूको होम, यूको कार ऋण के लिए, पीएम एमवाई, स्टैंड अप इंडिया, 59 मिनट

Print Media is an effective medium to connect to masses. Corporate Communications Department has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the FY 2018-19. Liability products and Asset products viz. UCO Home Loan, UCO Car Loan, Monsoon Offer & Festival offer for UCO Home & Car loan, PMMY, Stand Up India,

में पीएसबी ऋण, केसीसी इत्यादि का वर्ष के दौरान अधिक प्रचार किया गया।

इसा अवधि में वैकल्पिक वितरण प्रणाली के मध्यम से लेन देन किए जाने एवं बैंकिंग को अधिक व्यक्तिगत एवं ग्राहकोन्मुख बनाने हेतु यूको पे ,ई बैंकिंग इत्यादि का प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत अधिक प्रचार किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर एवं दैनिक समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए।

आउट डोर मीडिया :

बाजार में एक सुदृढ ब्रैंड वैल्यू को स्थापित करने में आउट्डोर मीडिया के अंशदान कम नही आंका जा सकता। आउट्डोर मीडिया प्रचार मूलतः होर्डिंग्स, कियोस्क, वॉल पेंटिंग, बैनर, प्रायोजन, एवं बगीचों/पार्कों इत्यादि की साजसज्जा, कार्यक्रमोंके प्रायोजन, स्वास्थ्य जांच शिविर, खेल कूद के कार्यक्रमइत्यादि से संबंधित प्रस्तावों के माध्यम से किया गया।

ग्रामीण प्रचार :

अखिल भारतीय अवस्थिति एवं ग्रामींण क्षेत्र में अधिक शाखाओं के होने के कारण ग्रामीण प्रचार यूको बैंक के प्रचार अभियान का अभिन्न है। पूरे भारत मे स्थित अंचल कार्यालयों के माध्यम से बैंक की निगरानी में अनेक ग्रामीण प्रचार अभियानों चलाए गए। बैंक के उत्पादों एवं एवं सेवाओं के संबंध में जागरूकता हेतु रिक्शे से उदघोषनाएं करवाई गई एवं वॉल पेंटिंग, ऋण मेले इत्यादि लगाए गए।

ख) 76वां स्थापना दिवस का आयोजन

बैंक ने 6 जनवरी 2019 के देश की सेवा में गौरवशाली 75 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर संपूर्ण देश एवं अंतर राष्ट्रीय केंद्रों पर बहुत जोश एवं उत्साह के साथ आयोजन किए गए। बैंक के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों नें जोश के साथ प्रधान कार्यालय -॥ सॉल्टलेक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज तक एक वाकाथन में भाग लिया। पूरे देश की शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यथा वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि आयोजित्किए गए। इस शुभ अवसर पर एम डी एवं सी ई ओ द्वारा साईबर सुरक्षा पर एक बही एवं एम बैंकिंग एप का लॉच भी किया गया।

ग) जन संपर्क

- **प्रेस मीट :**

जनसंपर्क को सुदृढ करने हेतु सूचनाओं को जारी करना एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की कवरेज यथा वित्तीय परिणाम ,पुरस्कार एवं सम्मान ,नई शाखा शुभारंभ इसकी पूर्वापेक्षी होती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कॉर्पोरेट संसूचना विभाग नें तिमाही एवं वार्षिक परिणाम एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर प्रेस मीट आयोजित किए।

विभाग नें संपूर्ण वित्तीय वर्ष में वित्तीय परिणामों एजीएम, ईजीएम एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रेसविज्ञप्ति जारी की।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

सीएसआर गतिविधियों से बैंक के मूर्त मूल्य सृजन में संवृद्धि होती है तथापि सीएसआर ग्राहको एवं अंततः में समाज के मस्तिष्क में एक सकारात्मक छवि का सृजन करता है यह वर्तमान एवं भावी ग्राहकों में निष्ठा एवं अपनत्व का सृजन करता है।

psbloanin59minutes, KCC etc. were prominently promoted during the period.

With a thrust on routing the transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) and making banking more personalized and customer-oriented, UCO Pay+, E-Banking etc. were widely publicized through Print Media during the period.

Publication of financial results in leading national and local dailies was also carried through Print Media.

Outdoor Media:

The contribution of Outward Media towards establishing a strong brand value in the market cannot be underestimated. Outdoor media publicity is basically done through hoardings, kiosks, wall paintings, banners, sponsorship and beautification of gardens/ parks etc. Proposals related to sponsorship of events, health check-up camps, sporting events etc. are also done from time to time.

Rural Publicity:

Rural publicity is an integral part of publicity-campaign for UCO Bank having pan-India and strong rural presence. Bank has promoted and monitored various rural publicity campaigns through zonal offices located across the country. Wall-Paintings, announcements by Rickshaw, Loan fairs etc. were carried out for promoting awareness about products and services offered by the Bank.

b) Celebration of 76th Foundation Day:

The Bank completed 75th glorious years of service to the nation on 6th January, 2019. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Employees and executives of the Bank jubilantly participated in a Walkathon from Head Office II, Salt Lake to Central Staff College. Zonal Offices and branches across the country organised different activities viz. planting saplings, blood-donation camp, health check-up camp etc. A booklet on Cyber Security & Updated M Banking App were also launched by the MD & CEO on this auspicious occasion.

c) Public Relations:

- **Press Meet :**

Dissemination of information and coverage of important events and occasions viz. Financial Results, Awards & Recognition, Opening of new branch is prerequisite for strengthening the public relations. During the FY 2018-19, Corporate Communications Department organised Press Meets for declaration of quarterly and yearly financial results and other important events.

Department has also arranged for press-release of financial results, AGM & EGMs and other important events in leading national and local newspapers throughout the Financial Year.

Corporate Social Responsibility :

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

घ) यूको टावर :

बैंक आंतरिक परिचालन हेतु गृह पत्रिका "यूकोटावर" भी प्रकाशित करता है जहां सभी घटकों को इसमें प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । यूको टावर का उद्देश्य बैंक के समस्त आयोजनों एवं गतिविधियों की जानकारी समस्त कर्मचारियों को देना है।

21. मानव संसाधन:

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कई सेल हैं जो विभाग के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। सामंजस्यपूर्ण तथा उत्पादक वातावरण में काम हो सके इस लिए वर्ष 2018-19 में सभी सेलों ने मिलजुल कर कार्य किया । प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया ताकि स्टाफ सदस्यों के कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि हो।

21.1 जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 23133 है इसमें विदेशी शाखाओं में कार्य करनेवाले कर्मचारी भी शामिल हैं। कुल स्टाफ संख्या में शामिल हैं 12088 अधिकारी, 7456 लिपिक, 1671 अधीनस्थ कर्मचारी तथा 1918 हाउसकीपिंग स्टाफ। सकल स्टाफ की संख्या में अनुसूचित जाति (4759) तथा अनुसूचित जनजाति (1946) दोनों मिलकर 28.98% हैं। इसके अतिरिक्त 31.03.2019 को बैंक की सेवा में ओबीसी की संख्या 4261 थी। अल्पसंख्यक समुदाय के 1486 सदस्य थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 को कार्यबल में महिला कर्मचारियों (5787) का हिस्सा 25.02% रहा।

21.2 आईआर नेगोशिएशन कक्ष:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच स्वस्थ औद्योगिक संबंध प्राय बने रहे। वर्ष 2018-19 में आवधिक अंतराल पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकों तथा विमर्शों का आयोजन हुआ। इसमें पारस्परिक सहयोग तथा समादर की प्रवृति बनी रही।

21.3 आरक्षण कक्ष :

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कर रह रहा है। अजा/अजजा/अपिव/अन्य प्रकार से समर्थ व्यक्तियों तथा बैंक के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को प्रदान के गए आरक्षण एवं अन्य शिथिलताओं के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार वितीय वर्ष 2018-19 की आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान बैंक ने अजा/अजजा/अपिव/ तथा पीडब्ल्यूडीए कोटि 928 कर्मचारियों (अजा- 337, अजजा-178, अपिव-39, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण -22) को पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण दिया। हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा के नॉडल बैंक के नाते हमारा बैंक पूर्व भर्ती प्रशिक्षन प्रदान करता है। बैंक के अजा/अजजा तथा अपिव के कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर तथा अंचल कार्यालय (जहां आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं) स्तर पर उन कर्मचारियों के कल्याण संगठनों के साथ नियमित रूप से आवधिक बैठकें की जातीं हैं। इन बैठकों में इन कोटि के कर्मचारियों की शिकायतें सुनी जातीं हैं तथा उसके बाद बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उनका निपटान किया जाता है।

आरक्षण कक्ष ने माननीय अध्यक्ष (केंद्रीय केबिनेट मंत्री के समकक्ष)., राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डा. नन्द कुमार साईं के साथ कोलकाता में 25.02.2019 को एक बैठक की। अन्य दो गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ वित्तीय सेवा विभाग से दो अधिकारी इस बैठक में शरीक हुए।

d) UCO TOWER :

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21. HUMAN RESOURCE:

Human resources Management Department Comprises of various Cells looking after different segments of the department. All these cells worked in tandem during FY 2018-19 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshops were organised for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

21.1. Manpower:

The total staff strength as on 31st March, 2019 stood at 23133, including employees serving overseas. The total staff strength comprises of 12088 Officers, 7456 Clerks, 1671 Subordinate Staff and 1918 House-keeping Staff. The percentage of Scheduled Castes (4759) & Scheduled tribes (1946) taken together in the total staff strength is 28.98%. Besides, there are 4261 OBC employees in service of the Bank as on 31st March, 2019. 1486 employees belong to the Minority Communities. The total workforce constitutes 25.02% women employees (5787) as of 31st March, 2019.

21.2. IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2018-19.

21.3. Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation policy of Government of India. Reservation and other relaxations and concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled Persons and Ex-Servicemen employees of our bank are strictly adhered. During internal promotion process for the FY 2018-19, as per GOI guidelines, Bank has imparted Pre-promotion Training to 928 employees (SC - 337, ST - 178, OBC - 391 and PH - 22) belonging to SC/ST/OBC and PWDA category. Our Bank, being the Nodal Agency in two state i.e. Shimla and Odisha, provides pre - recruitment training. In order to address the issues of SC/ST and OBC employees of the bank, regular periodical meetings are being held at Apex level as well as at Zonal office level (where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. The grievances of such category of employees are heard in such meetings and subsequently grievances are redressed as per Bank's policy guidelines.

The reservation cell hosted a review meeting with Dr. Nand Kumar Sai, the Hon'ble Chairman (Status of Union Cabinet Minister), National Commission for Scheduled Tribes at Kolkata on 25.02.2019. Two officials from DFS along with other dignitaries also participated in the meeting.

21.4. भर्ती कक्ष :

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक नें 465 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की। इन 465 परिवीक्षाधीन अधिकारियों में 77 अजा, 24 अजजा, 168 अपिव,10 वीआई, 2 एचआई तथा 6 ओसी के प्रत्याशी थे। इन सबमें 131 महिलाएं थीं। वर्ष 2018-19 में 541 क्लर्कों की भर्ती भी हुई। इनमें 85 अजा, 60 अजजा, 112 अपिव,4 वीआई, 1 एचआई तथा 5 ओसी तथा 57 पूर्व सैनिक प्रत्याशी थे। इन सबमें 156 महिलाएं थीं। सीआरपी VII आरक्षित सूची के तहत वर्ष 2018-19 में 18 परिवीक्षाधीन अधिकारिओं तथा 46 क्लर्कों की भर्ती करने तथा वर्ष 2019-20 में सीआरपी VIII के तहत 550 परिवीक्षाधीन अधिकारी तथा 600 क्लर्कों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। करार के आधार पर आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करने की प्रकिया पर भी बैंक विचार कर रहा है।

21.5. प्रशिक्षण कक्ष :

एक अत्यंत गतिशील उद्योग का अंश होने के कारण हमारे संगठन को भी अपने कार्यबल को लगातार परिवर्तित होते जा रहे परिवेश के साथ बने रहने के उद्देश्य से उन्हें उनके क्षेत्र में सतत प्रशिक्षण देते रहना होता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्पोरेट विज़न तथा मिशन की संगति में तथा सर्वोच्च प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सिस्टम को सुस्थिर करने तथा इसे एक दृढ़ एमआई एस प्लेटफार्म के रूप में रूपांतरित करने के लिए एचआरएमएस में उपलब्ध औनलाइन प्रशिक्षण माड्यूल में अनेक महत्वपूर्ण आशोधन किए गए। प्रमाणित पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्षमता वर्धन पर नीति बनाई गई तथा स्टाफ सदस्यों को मानदेय/प्रोत्साहन देकर उन्हें इनमें भागलेने के लिए जोरदार अपील की जा रही है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर क्षमता वर्धन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 334 कर्मचारियों को मानदेय/प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

प्रभावी ज्ञानार्जन प्रक्रिया के माध्यम से मानव संसाधन का लगातार विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंक नें अपने कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हमारे बैंक के सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता तथा दुर्गापुर, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नै, अहमदाबाद, जयपुर तथा चंडीगढ़ में स्थित 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 197 कार्यपालक, 9058 अधिकारी, 3085 क्लर्क 402 अधीनस्थ कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए। अंचल कार्यालर स्तर पर आयोजित किए जानेवाले लोकेशन तथा कैंप आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3857 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए। इस वर्ष भी हमने अपने कार्यपालकों तथा अधिकारियों को सुप्रतिष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों यथा एनआईबीएम, एएससीआई, आईआईबीएम, आदि में भेजा। इन वाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 565 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए जिससे उनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की धार आई।

वित्त वर्ष 2018-19 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किए गए। यथा वरिष्ठ तथा उच्च कार्यपालकों के लिए साइबर सुरक्षा तथा साइबर जोखिम जागरूकता कार्यक्रम, जोखिम अधिकारियों के लिए जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम, ईरान कारोबार कर रहे अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए कार्यशाला। ताजातरीन खोजों को अंगीकार करके हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लगातार विकसित कर रहे हैं ताकि वांछित कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

22. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित निरीक्षण शुरु किए जाने तथा बासेल - III को अंगीकार किए जाने के बाद लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग के प्रकार्य में भारी परिवर्तन हुआ है। नीतियों प्रक्रियाओं के सम्यक रूप से अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा आंतरिक नियंत्रण को चुस्त

21.4. Recruitment Cell:

Bank has recruited 465 Probationary Officers during the year 2018-19. These 465 Probationary Officers comprise of 77 SCs, 24 STs, 168 OBCs, 10 VIs, 2HIs and 6 OCs, out of which 131 are females. 541 clerks have also been recruited during the year 2018-19 of which 85 SCs, 60 STs, 112 OBCs, 4VIs, 1HIs, 5OCs and 57 EXSs out of which 156 are females.Bank also proposes to recruit 18 Probationary Officers and 46 Clerks under CRP VII reserve list for 2018-19 and 550 Probationary Officers and 600 clerks for 2019-20 under CRP VIII. Bank has initiated the process for appointment of Internal Ombudsman on contractual basis.

21.5. Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programmes in the concerned Fields. Training programmes are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

During the FY 2018-19, Several important modifications were carried out in Online Training Management Module in HRMS to stabilize the system and transforming it into a robust MIS platform. Policy on Capacity Building through Certified courses was formulated and being implemented with vigour to encourage our Staff members by payment of honorarium/incentives to them. In FY 2018-19, Total of 334 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses as per RBI guidelines on Capacity Building.

Bank has already initiated the process of implementing E-Learning for its employees to ensure continuous development of Human Resources through effective learning process. In FY 2018-19, 197 Executives, 9058 Officers, 3085 Clerks and 402 Sub-Staffs were trained in Internal Training programmes conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 7 Regional Training Centres situated at Durgapur, Bhubaneswar, Bhopal, Chennai, Ahmedabad, Jaipur and Chandigarh. Under Locational/Camp based Training programmes conducted at Zonal Level, 3857 employees were trained. This year also we continue to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like NIBM, ASCI, IIBM, etc.in which 565 employees were trained in External Training programmes which helped them in acquiring a global competitive edge.

FY 2018-19 witnessed the introduction of some important Training programmes like Cyber Security and Cyber Risk Awareness programmes for Senior Mgmt as well as Top Management, Risk Management programme for Risk Officers, Workshop for Officers/ Executives handling Iran Business, GST & MSME related Workshops. We are continuously evolving our Training Department with the adoption of latest inventions to develop sustainable solutions so as to fulfil the desired Corporate expectations.

22. AUDIT & INSPECTION:

After the introduction of Risk Based Supervision of Banks by RBI and adoption of Basel-III norms, the function of Inspection & Audit has undergone a sea change. Along with traditional functions of ensuring proper follow up of policies & procedures,

करने के पारंपरिक प्रकार्य के साथ-साथ लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग बैंक द्वारा दैनानुदिन के कार्यकलाप में उठाए जा रहे जोखिम की माप करता है। इस प्रकार लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग के द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों, प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

जोखिम के आधार पर शाखाओं तथा अन्य सेवा आउटलेट के किए जार हे नियमित निरीक्षण 2014 में अंगीकार किए गए। बैंक अब जोखिम आधारित ऑनलाइन समवर्ती लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन लेखापरीक्षा मॉड्यूल पर चला गया है।

31.03.2019 को विभाग नें आरबीआईए में शून्य अतिदेय रिपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त किया है।

निरीक्षण विभाग में स्थित ऑफसाइट सर्वीलांस सेल को मज़बूत किया गया है। 21 प्राचलों में सिस्टम जेनेरेटेड एलर्ट निकलते हैं। शाखाओं द्वारा इन एलर्टो को निपटाने की दर 86% पर पहुंच गई है। एलर्ट जेनेरेट करने के अतिरिक्त यह सेल बैक एंड डाटा माइनिंग करके अनेक आंतरिक खातों, संदेहास्पद लेनदेनों की निगरानी भी करता है।

इस वर्ष के दौरान आरबीआईए 2191 शाखाओं में पूरी की गई है। 878 शाखाए/ कार्यालय समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं।

23. सतर्कता विभाग

I. निवारक सतर्कता के लिए संगठन के द्वारा उठाए गए कदम

वर्ष 2018-19 के दौरान निवारक सतर्कता के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाएः

- ग्राहक से आवेदन तथा केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त हो जाने पर संबंधित शाखा प्रधान/उप शाखा प्रधान द्वारा दार्मेंट खातों को सक्रिय किया जाता है तथा शाखा प्रधान के खाता सक्रियकरण की रिपोर्ट अगले दिन जेनरेट की जाती है।
- उधारकर्ता कंपनियां जो तुलनपत्र तथा अन्य वितीय विवरणियां शाखा को प्रस्तुत करतीं हैं उसका मिलान कंपनियों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास रखे गए विलेखों से किया जाता है।
- कोई केडिट निर्णय लिया जाए इससे पहले भावी/विद्यमान उधारकर्ता के विगत के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के सीएफआर पोर्टल से जानकारी ली जाती है।
- शाखा स्तर पर संदेहास्पद लेन-देन/क्रियाकलाप की आवधिक जांच-पड़ताल फील्ड सतर्कता अधिकारी को भेजकर कराई जाती है।
- स्टाफ सदस्यों/ग्राहकों/जन सामान्य के बीच जागरूकता के लिए आवधिक रूप में शाखा/कार्यालय स्तर पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

II. संगठन द्वारा किए गए सिस्टमिक सुधार

- सीबीएस प्लेटफार्म पर तथा बैंक के इंटरनेट साइट पर टिकर के रूप में निवारक सतर्कता उपायों पर फ्लेश संदेश दिया जाता है।
- कपट के संभावित खतरे से बचने के लिए कार्यालय/सीबीएस प्रणाली में बायो मेट्रिक प्रवेश शुरूकिया गया है।
- क्लोन किए गए चेकों के द्वारा ग्राहक के खाते को अनधिकृत रूप से डेबिट किए जाने से बचने के लिए सीटीएस चेकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

strengthening the internal control, the Inspection & audit measures the risk the Bank faces in day to day operations. Hence the policies, process followed up by the Inspection & audit department have undergone significant changes.

The risk based regular inspection of branches and other service outlets have been adopted since 2014. The Bank has switched over to Risk based online Concurrent Audit and Management Audit Modules.

The department has achieved ZERO overdue reports in RBIA as on 31-03-2019.

The Offsite surveillance Cell in the Inspection Department has been strengthened. The system generated alerts are being generated in 21 parameters. The disposal of alerts by branches has reached 86%. Apart from alert generation this cell is also monitoring various internal accounts, suspicious transactions through back-end data mining.

During the year RBIA has been conducted in 2191 branches. 878 branches / offices are under Concurrent Audit.

23. VIGILANCE DEPARTMENT:

I. Preventive Vigilance initiative taken by the organisation

Following preventive vigilance initiatives have been taken by the Bank during the year 2018-19.

- Dormant accounts are made active by the respective BH/ ABH on receipt of application and KYC documents of customers and report on dormant accounts activation is generated on the next day for perusal of the Branch Head.
- The Balance sheets and other financial statements submitted by the borrower companies to the bank are compared with the one submitted with the Registrar of the Companies (ROC)
- Antecedents of the prospective/ existing borrowers checked with CFR portal of RBI before taking any credit decision.
- Periodic investigations are done in suspicious transaction/ activities at branch level by deploying Field Vigilance Officer.
- Programmes on vigilance awareness programs are undertaken at periodic interval at branches / offices to create awareness among the staff members/ customers/ general Public.

II. Systemic improvements undertaken by the organization

- Flash messages on preventive vigilance measures displayed as a ticker in CBS platform and on the intranet site of the bank to avert frauds.
- Use of Bio-metric access to office/ CBS system has been introduced to prevent possible fraud threat.
- Additional security features in CTS cheque is being incorporated to prevent unauthorised debit from customers account by cloned cheque.

- आरटीजीएस/एमईएफटी/ अथवा बाहरीचेकों के माध्यम से किए जानेवाले विप्रेषण में कपट के एघटनाओं को निर्मूल करने के लिए वह पुष्टिकरण जो पहले बाद के अवसर पर/दिन के अंत में हुआ करता था, उसे अब प्रोसेस के साथ ही, सुरक्षा के एक और कवच के रूप में शामिल कर दिया गया है। अब इस पुष्टिकरण के बाद ही लेनदेन संभव होगा।

- कार्यनीति आयोजन विभाग को निदेश दिए गए हैं कि वे फिनाकल सिस्टम नें अद्यतन नमून अकार्ड अपलोड करें, पुराने नमूना कार्डों को ढंक दें ताकि कौन नया कार्ड है इस संबंध में कोई भ्रम न रह जाय।

- स्टाफ सदस्य के खाते में किसी प्रकार के संदेहास्पद लेनदेन को देखने के लिए लिए हमारी सलाह पर प्रधान कार्यालय, निरीक्षण विभाग में एक ऑफसाइट सर्विलांस सेल बनाया गया है।

III. व्हिसिल ब्लोवर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई पहल

स्टाफ सदस्यों के लिए किसे एस्टाफ सदस्य/स्टाफ सदस्यों के समूह के अनाचारपूर्ण/सुश्कृतपूर्ण कार्यों के विषय में किसे एजानकारे एको अपलोड करने/शेयर करने के उद्देश्य बैंक के आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल (www.ucoonline.in) में व्हिसिल ब्लोवर पोर्टल बनाया गया है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके।

व्हिसिल ब्लोवर पोर्टल पर की गई सभी शिकायतें बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा ही देखी जा सकतीं हैं, किसी दूसरे द्वारा नहीं।

वस्तु की गोपनीयता तथा शिकायतकर्ता के एपहचान किसी को नहीं बताई जातीं।

IV. वर्ष 2018-19 के दौरान संगठन में आचारपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देने के लिए संगठन द्वारा की गई गई पहल

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग समय-समय पर परिपत्र/सूचनाएं देकर सभी स्टफ सदस्यों से कार्यालय परिसर में आचारपूर्ण व्यवहार करने क अनुरोध करता रहता है।

V. सतर्कता के क्षेत्र में कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्निलिखित कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

- To further stem the possibility of fraud in the remittance through RTGS/ NEFT or payment of outstation cheques, the process of verification which used to take place at a later stage/ at the end of day, had been added with the process as a second tier confirmation only after which transaction will take place.
- Instructions were given to Strategic Planning Department for uploading the latest specimen card in Finacle System, masking the old specimen signature, so as to avoid any confusion about which card is the latest.
- Under our advice an offsite surveillance cell was constituted at Head Office, Inspection Department to look after the accounts of the staff for any suspicious transactions.

III. Initiative taken by the organization for strengthening Whistle Blower Mechanism

Whistle Blower portal has been introduced in bank's internal HRMS portal (www.ucoonline.in) for staff members for uploading/ sharing of details of unethical/ malafide misconducts by any employee/ group of employees so that timely corrective action may be taken.

All the complaints made through Whistle Blower portal are accessible to the Chief Vigilance Officer of the Bank only and not to anyone else.

Confidentiality of the contents and identity of the complainant are not disclosed to anyone.

IV. Initiative taken by the organization for inculcating ethical behavior in the organization during the year 2018-19

Human Resource Department issues circulars/ notices from time to time advising all the staff members on ethical behavior within the officer premises.

V. Workshop/ training programmes undertaken in area of vigilance

The following workshops/ training programmes have been conducted in area of vigilance during the current year:

कार्यक्रम का नाम/Name of the Program	संस्थान/Institute	अवधि/Duration
फील्ड सतर्कता अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला One day Workshop for field Vigilance Officer (FVOs)	सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता Central Staff College Kolkata	4 अगस्त 2018 4th August 2018
सतर्कता जागरूकता पर कार्यशाला Workshop on Vigilance Awareness	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर Regional Training Centre Bhubaneswar	3 नवंबर 2018 3rd November 2018
सतर्कता प्रशासन पर सकारात्मक दृष्टिकोण Positive Approach to Vigilance	सेंट्रल स्टाफ कालेज Central Staff College	9-10 फरवरी 2018 9th -10th February 2018
निरोधक सतर्कता तथा अनुशासन मामलों पर एक दिवसीय कार्यशाला One Day work shop on Preventive Vigilance and Disciplinary matters	सेंट्रल स्टाफ कालेज Central Staff College	7 जनवरी 2019 7th Jan 2019

इसके अलावे, बैंक सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता तथा सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जानेवाले प्रत्येक कार्यक्रम में निरोधात्मक सतर्कता तथा केस स्टडी पर एक सत्र शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त अधिकारियों तथा कार्यपालकों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में सतर्कता विषय पर आधारित कार्यक्रमों में भेजा है। इन संस्थानों में सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद, इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, कोलकाता, एनआईबीएम, पुणे और अन्य संगठन शामिल हैं।

24. राजभाषा

बैंक ने संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए। बैंक ने हिंदी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों के कार्यान्वयन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की। इस अवधि में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 07.05.2018 को देहरादून अंचल के अधीन श्रीनगर शाखा का निरीक्षण किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में राजभाषा का उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने हेतु पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। यूको बैंक इस समिति का संयोजक है । हमारे वाराणसी, इंदौर, धर्मशाला, हैदराबाद, जोधपुर, पुणे, बंगलुरु, रायपुर एवं भुवनेश्वर अंचल कार्यालयों तथा अहमदाबाद अंचल के अंतर्गत हिम्मतनगर शाखा, वाराणसी अचंल के अंतर्गत इलाहाबाद एवं गाजीपुर शाखाओं को अपने-अपने नगरों में राजभाषा के प्रभावी कार्यनिष्पादन हेतु संबंधित नराकास के पुरस्कार प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त वाराणसी अंचल की ई-पत्रिका "काशी अमृत", चंडीग़ढ अंचल की ई-पत्रिका "संकल्प", इंदौर अंचल की ई-पत्रिका "मालवांचाल" एवं नई दिल्ली अंचल की ई-पत्रिका "यूको इंद्रप्रस्थ" को संबंधित नराकासों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के तत्वावधान में एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नराकास (बैंक), कोलकता के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों के लिए दिनांक 10.12.2018 से 14.12.2018 तक पाँच दिवसीय उच्चतर अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हमारे सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में किया गया। अंचल कार्यालय, पटना द्वारा दिनांक 5.12.2018 को "डिजिटल इंडिया में भारतीय भाषाओं की भूमिका" विषय पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन पटना में किया गया।

फरवरी, 2019 में "भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान" विषय पर अखिल भारतीय यूको बैंक अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) द्वारा 15 मार्च, 2019 को कोलकता में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि हमारा बैंक इस समिति का संयोजक और हमारे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे अंचल कार्यालय, भागलपुर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भागलपुर के संयोजन का भार सौंपा गया।

25. अनुपालन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिदेश पाकर हमारा बैंक अनुपालन प्रकार्य को पूरी समर्पण भावना के साथ पूरा करता है। बैंक के नेटवर्क पर सभी स्तरों पर

Apart from that Bank has introduced one session on preventive vigilance and case study in all the training programmes conducted at Central Staff College and other Regional Training Centres across the country.

In addition Bank has nominated officers/ executives to different training programmes on vigilance matters organised by CBI Academy, Ghaziabad, International Management School, Kolkata, NIBM Pune and in other organizations.

24. OFFICIAL LANGUAGE:

The Bank was proactive in implementation of the Official Language policy of the Union Government. The Bank also made suitable follow-up for implementation of the Annual Programme Hindi issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India with regard to the use of official Language. During the period under review, the sub committees of the Parliamentary Committee on Official Language visited ourSri Nagar branch under our Deharadun Zone on 07.05.2018.

Town Official Language Implementation Committee, Kolkata was awarded First Prize amongst the TOLICs in Eastern Region by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India for excellence in implementation of Official Language during the Year 2017-18. UCO Bank, Head Officeis the convener of this committee. Varanasi, Indore, Dharmshala, Hyderabad, Jodhpur, Pune, Begaluru, Raipur and Bhubaneswar Zonal Offices and Allahabad and Ghazipur branches under Varanasi Zone as well as Himatnagar branch, under Ahmedabad Zone bagged prizes for their commendable performance in the field of Official Languages implementation in their respective cities. Besides, Varanasi Zone's e-magazine Kashi Amrit, Chandigarh Zone's e-Magazine Sankalp, Indore Zone's e-magazine Malavanchal and New Delhi Zone's e-magazine UCO Indraprastha have been awarded by the respective TOLICs.

Under the aegis of Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata an Advanced Translation Training Programme was organised from 10.12.2018 to 14.12.2018 with support from Central Translation Bureau, Department of Official Language, Home Ministry, and Government of India. The programme was organised for the OL officers of the member Banks at our Central Staff College, Kolkata. A State-level Hindi seminar on "Role of Indian Languages in Digital India" was organized in Patna on 5.12.2018 by the Zonal Office, Patna.

An All India UCO Bank Inter-Bank Hindi Essay Competition was organized on "Contribution of PSU Banks to the Economy of India" in February, 2019. The Official Language Conference was organized in Kolkata on March 15, 2019 by the Town Official Language Implementation Committee (Bank). It is worth mentioning that UCO bank was the convener of this committee.

Zonal Office, Bhagalpur has been made Convener of Town Official Language Implementation Committee, Bhagalpur by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, and Government of India.

25. COMPLIANCE DEPARTMENT:

Our Bank carries out the Compliance Functions mandated by the Reserve Bank of India with enormous dedication. An enviable

अति उत्तम ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने की चेष्टा की जाती है। इस बात पर विशेष ध्यान दिता जाता है कि केवाईसी/एएमएल मामलों की रिपोर्टिंग, एसटीआर (संदेशास्पद लेनदेन रिपोर्ट) सीटीआर (नकदी लेनदेन रिपोर्ट) सीबीडब्ल्यूटीआर (सीमापार वायर अंतरण रिपोर्ट) सीएफटी (आतंक को धन प्रदान करने से रोकना) आदि को विनियामओं, भारत सरकार के प्राधिकारों, सेबी, पीएमएलए अधिनियम 2002 रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में बविहित FIU-IND को रिपोर्ट करने के काम में लगातार पूर्णता लाने पर ज़ोर दिया जाता है।

अनुपालन तथा केवाईसी/एएमएल नीतियों का यदि को कमी रह गई हो तो उसे दूर करने के लिए आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा निदेशक मंडल द्वारा उसका अनुमोदन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 842 शाखाओं में अनुपालन टेस्ट जाँच की गई तथा सभी शाखाओं/कार्यालयों को अनुपालन कार्य को समय पर पूरा करने की आवश्यकता के प्रति संवेदित किया गया। विनियामक/सांविधिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने से पहले महत्वपूर्ण मामलों पर समुचित स्तर पर विमर्श किया जाता है और इस प्रकार प्रणाली के एप्रभाविता बढ़ाई जाती है।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन एवं सुदृढ़ अनुशासन अनुपालन संस्कृति के विकास हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण तथा अनुपालनात्मक प्रकायों पर जोखिम प्रबंध तथा निरीक्षण विभाग के साथ आवधिक बैठकें होती हैं।

26. बैंक की भावी योजनाः

विवर्धित संपर्क तथा सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी कर रहा है। हमारे बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि हम अन्य बैंकों की तुलना में ईएएसई इंडेक्स में अपना कार्यनिष्पादन सुधारें। बैंक ने संकल्प लिया है कि वह 2019-20 में पीसीए से बाहर आएगा तथा लाभ कमाना शुरु करेगा। इसके लिए बैंक ने अलग-अलग कार्यनीति बनाई है। इसके अंतर्गत i) वसूली ii) संसाधन तथा iii) रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) पर फोकस किया जाएगा। अनवरत प्रयास करते हुए प्रति तिमाही 2000 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। बैंक का मंत्र है वसूली, वसूली एवं वसूली। ग्राहकों की शिकायत पर कार्रवाई करने में किसी प्रकर की कोताही नहीं बरती जाएगी। हालांकि अनुपालन तथा नियंत्रण प्रणाली पर पोरी तरह से अमल किया जाएगा तथा कॉस सेले के माध्यम से प्रति ग्राहक बैंकिंग उत्पादों तथा वैकल्पिक वितरण चैनलों का प्रसार किया जाएगा। भविष्य के लिए बैंक की योजना 'संकल्प 2020' में अभिव्यक्त है। इसमें इस वित्त वर्ष के दौरान ही बैंक की कायापलट तथा लाभप्रदता की स्थिति की प्राप्त की बात कही गई है।

ग्राहक का अर्जन, वितीय समावेशन के माध्यम से सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, ऋण निगरानी प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करना, विभिन्न उपाय करके स्लिपेज को रोकना बैंक की चिंता के अन्य क्षेत्र हैं।

एचआर के माध्यम से विभेदक बैंकिंग, बेहतर उत्पादकता के साथ बेहतर कर्मचारी संबंध तथा बेहतर ग्राहक सेवा 2019-20 में बैंक की प्राथमिकता होगी।

27. निदेशक मंडल :

27.1. कार्पोरेट अभिशासनः

बैंक श्रेष्ठ कार्पोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यदक्षता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सर्जित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूँकि बैंक श्रेष्ठ अभिशासन के प्रति वचनबद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हैं, को पहचानने एवं

level of customer service is being ensured at all levels of Bank's Network. Emphasis is being laid on continuous perfection in reporting of KYC/AML issues, STRs (Suspicious Transactions Report), CTRs (Cash Transaction Reports), CBWTRs (Cross Border Wire Transfer Reports, CFT (Combating of Finance for Terrorism), etc., to the Regulators, Govt. Of India Authorities, SEBI, FIU-IND, under PMLA Act 2002, as Reporting Entity (RE).

Compliance & KYC/AML Policies are being revisited / reviewed periodically and approved by the Board of Directors to mitigate breaches in Compliance Functions if any. During FY 2018-19, Compliance Test Checking (CTC) was undertaken in 843 Branches and all Branches/Offices have been sensitized about the need for ensuring timely Compliance functions. Critical issues are being discussed at appropriate levels before being reported to the Regulatory/Statutory Authorities, thus enhancing the system efficacy.

Periodic interactions with Risk Management Department and Audit & Inspection Department, is being done on critical control and compliance functions as a part of effective Risk Management and development of robust Compliance Culture.

26. FUTURE PLAN OF BANK:

Department of Financial Service is monitoring performance of all public sector Banks through Enhanced Access and Service Excellence (EASE) . To improve performance in EASE Index among other banks is the main objective of our bank. Bank has Sankalp for the year 2019-20 to come out of PCA and start earning Profit. For this Bank has prepared different strategies focussing more on i) Recovery ii) Resources & iii) Retail, Agriculture and MSME(RAM) .Recovery of at least ₹2000 crore per quarter through relentless efforts, and Bank mantra is recovery, Recovery and recovery. Zero tolerance on customer complaints through, strict adherence to compliance and control system and deepening products per customer through cross selling our banking products and also marketing of Alternate delivery channels. The future Plan of bank is reflected in SANKALP '2020' which envisages turn around of the bank ensuring profitability this financial year.

Customer acquisition, Promoting Govt. Flagship programme through Financial Inclusion, Revamping Credit Monitoring System and restricting Slippages, through different measures are other important areas of Banks concern.

HR strategy through differentiated Banking, better employee relationship with better productivity and improved customer service will be the priority of the bank for 2019-20.

27. Board of Directors:

27.1. Corporate Governance:

Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the

उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विश्वास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निवेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने का तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

27.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन:

- श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 02 नवंबर, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए यूको बैंक के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए ।
- श्री आनंद मधुकर दिनांक 04 दिसंबर, 2018 से अगले आदेश तक यूको बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए।
- श्री अमित चटर्जी दिनांक 01 मार्च, 2019 से एक वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए।

27.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 14 बैठकें हुई। इस अवधि में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी जा रही है:

Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have respectable position in the society at large.

27.2. Changes in the Board of Directors:

- Mr Atul Kumar Goel is appointed as Managing Director & CEO on the Board of UCO Bank w.e.f November 02, 2018 for a period of three years.
- Mr Anand Madhukar was nominated as Government Nominee Director on the Board of UCO Bank w.e.f December 04, 2018 till further orders.
- Mr Amit Chatterjee was nominated as Part-time Non-official Director on the Board of the Bank w.e.f March 01, 2019 for a period of one year.

27.3.Meetings of the Board of Directors:

During the FY 2018-19, fourteen meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. Sl.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	11
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	8
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	4
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	2
5.	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति/Share Transfer Committee of the Board	2
6.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	3
7.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	4
8.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee)	1
9.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति/Remuneration Committee of the Board	1
10.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	4
11.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	6
12.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	6
13.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	5
14.	निदेशक मंडल की ईएसपीएस समिति Committee of Directors on ESPS	1
15.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board	0

27.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों

27.4. Statement of Directors' Responsibility:

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended

के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं। कारोबार का व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए हैं।

28 आभार

बोर्ड नए निदेशकगण श्री के. राजीवन नायर एवं डॉ. आशीष साहा का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझाव की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ऐ. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28 मई, 2019

March 31, 2019. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

28. Acknowledgements:

The Board welcomes the new Directors, Mr K Rajivan Nair, Dr. Asish Saha and looks forward to their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other financial institutions and correspondent banks for their co-operation.

The Board of Directors expresses its gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the staff unions/associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank.

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2019

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2019

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड **Business Parameters**	मार्च 2019 **March 2019**	मार्च 2018 **March 2018**	मार्च 2017 **March 2017**	मार्च 2016 **March 2016**	मार्च 2015 **March 2015**	मार्च 2014 **March 2014**	मार्च 2013 **March 2013**
कुल जमा/Total Deposits	197907	181849	201285	207118	214337	199534	173431
कुल अग्रिम/Total Advances	119573	123990	131655	135508	151812	153163	131569
कुल कारोबार/Total Business	317480	305839	332940	342626	366149	352697	305000
निवेश/Investment	83810	72590	74768	84512	69231	67846	52515
ब्याज आय/Interest Income	14331	14020	16326	18561	19359	18230	16752
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	10019	10895	12509	13713	13797	12171	12170
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	4311	3125	3817	4848	5562	6059	4582
परिचालन लाभ/Operating Profit	2760	1334	2926	3603	4910	4940	3357
निवल लाभ/Net Profit	-4321	-4436	-1851	-2799	1138	1511	618
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	60.42	68.18	65.41	65.43	70.83	76.76	75.86

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2019

विवरण / Particulars कारोबार मानदंड/**Business Parameters**	मार्च 2019 **March 2019**	मार्च 2018 **March 2018**	मार्च 2017 **March 2017**	मार्च 2016 **March 2016**	मार्च 2015 **March 2015**	मार्च 2014 **March 2014**	मार्च 2013 **March 2013**
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	27.21	20.64	20.70	24.05	26.04	30.99	25.88
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	5.07	5.37	5.83	6.11	6.35	6.17	7.12
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	9.52	8.69	9.60	10.17	9.92	9.91	10.63
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	1.84	1.32	1.56	2.16	2.35	2.82	2.34
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	10.70	10.94	10.93	9.63	12.17	12.68	
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	102.81	98.40	107.26	111.35	121.24	121.87	116.95
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	13.69	12.74	13.48	13.81	15.51	15.28	13.43
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	25.00	24.64	17.12	15.43	6.76	4.32	5.42
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	9.72	13.10	8.94	9.09	4.30	2.38	3.17
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25	0.48	0.70	0.33
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	12.82	31.53	48.50	75.71	107.91	104.85	97.19
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	-11.16	-25.23	-13.29	-26.03	11.20	*19.44	*6.28

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

कारोबार दायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

खंड क : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि.त्रै.म.सरणी, कोलकाता– 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2018-19
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	यूको बैंक बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। देश भर में फैली 3086 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ यूको बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की संवृद्धि में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है - कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आदि, इस मिशन के साथ कि कारोबार और लाभप्रदाता में निरंतर वृद्धि होती रहे, सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियाँ पूरी की जा सकें, अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल मानव संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान की जाए। UCO Bank is established under Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. UCO Bank with a network of more than 3086 branches spread across the country, participate actively in the growth of all segments of the economy- Agriculture, Industry, Trade & Commerce, Service Sector, Infrastructure Sector etc., with a mission to achieve sustained growth of business and profitability and fulfilling socio-economic obligations with excellence in customer service by making use of state-of-the-art technology and skilled human resources.
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष प्रचालन शामिल हैं। UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking and Treasury Operations.
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कपनी का कारोबार होता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3086 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर दो विदेशी शाखाएँ हैं। As on 31.03.2019, UCO Bank has a net-work of 3086 branches spread across India and 2 overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/ International	यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देशी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है। UCO Bank has clients in National and International locations.

खंड ख : दिनांक 31.03.2019 कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY AS ON 31.03.2019

1.	प्रदत्त पूँजी / Paid up Capital	₹5423.39 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर (आईएनआर) / Total Turnover (INR) :	₹317479.79 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल हानि (आईएनआर) Total Loss after taxes (INR) :	₹4321 करोड़ / crores
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय (सीएसआर) कर के बाद लाभ का प्रतिशत Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹8.18 करोड़ / crores
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

खंड ग : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं **?** Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबारदायित्व में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- नाम : श्री चरण सिंह
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

SECTION D : BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- Name : Shri Charan Singh
- Designation : Executive Director

b) Details of the BR head

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री टी बी नेगी
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	033 44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri T B Negi
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	033 44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई की गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यत: भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं। The Business Responsibility Policies of the Bank are generally formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/ अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes
6.	नीति के ऑनलाइन देखी जानेवाली लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://www.ucobank.com/about-us
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हाँ। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारक समूहों के साथ की जानेवाली बैठकों में हितधारकों को इन नीतियों के बारे में अवगत कराया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are kept informed about these policies at the meetings with the relevant internal and external stakeholders groups.
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.

3. बीआर से संबंधित अभिशासन/Governance related to BR

कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक । Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year	वार्षिक/ **Annually**
क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है? Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक है http://www.ucobank.com/about us Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is http://www.ucobank.com/aboutus

खंड ड. : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के 'कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट' भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता गठित की है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वाह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार के संबंध में मूलत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक :http://cvc.nic.in/ man04.pdf) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्येश्य से बैंक ने बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति बनाई है जिसके माध्यम से उचित सेवा, डेलिवरी एवं मेकानिजम की समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है।

ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी नीति की समीक्षा और बैंक द्वारा दी जा रही ग्रहाक सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है ताकि बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण के सर्वोच्च तंत्र द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की जांच की जा सके।

SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of Corporate Governance standards are specified in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf) in relation to ethics, bribery and corruption.

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, Internal Banking Ombudsman (IO) has been appointed by the Bank to examine all the complaints which were rejected or partially accepted by the highest level of Bank's internal redressal machinery.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर प्रतिक्रिया: Response to principle-wise performance :

क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों, एनजीओ/अन्य तक भी है? Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं । बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है। The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.
पिछले वित्तीय वर्ष में से कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितना प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?	वित्तीय वर्ष (2018-19) के दौरान 21470 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से (98.31%) का संतोषजनक समाधान किया गया। During the financial year 2018-19, 21470 customer complaints were received, out of which (98.31%) were satisfactorily resolved.

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।

बैंक तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए अपने उत्पादों एवं सेवाओं में लगातार नवोन्मेष करता रहा है ताकि समाज की बदलती ज़रूरतों एवं ग्राहकों की पसन्द का ध्यान रखा जा सके । इस दिशा में बैंक द्वारा किए जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- एक नई शिक्षा ऋण योजना "मुख्यमंत्री बी.एड. अनुप्रेरणा योजना" को त्रिपुरा राज्य के छात्रों की जो बी.एड. कोर्स ले रहे होंगे उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।
- बैंक ने एमएसएमई को व्यापार वित्त को प्रोत्साहित करने के लिए 28.06.2018 को ई-रिक्शा के मामले में "मुद्रा योजना के तहत ई-रिक्शा" नामक एक नया उत्पाद शुरू किया है।
- हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए 28.11.2018 से "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2018" शुरू की गई है।
- "मुद्रा के तहत पावर लूम बुनकरों के लिए यूको पीएम केडिट योजना" और स्टैंडअप इंडिया के तहत पावर लूम बुनकरों के लिए यूको पीएम केडिट योजना जैसी नई योजनाएं 29.11.2018 से शुरूकी गईं हैं।
- बैंक ने टीआरईडीएस प्लेटफ़ॉर्म के एक भागीदार, आरएक्सआइएल के साथ एक टाई-अप किया है और फरवरी 2019 से ऑनलाइन बिल डिस्काउंट कर रहा है। इस प्लेटफार्म पर 05.02.2019 से 31.03.2019 के दौरान रु. 35.45 करोड़ के कुल 656 बिलों की खरीद की गई
- सड़क दुर्घटना से ग्रस्त लोगों के लिए दो नए उत्पाद यथा मोटर दुर्घटना दावा सावधि जमा खाता और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एसबी खाता, दुर्घटना राशि के मुआवजा संवितरण के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरुकिया गया है।
- और अधिक सुरक्षित लेनदेन के लिए ग्राहकों को ईएमवी चिप-आधारित कार्ड दिए गए हैं।

Principle 2:Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

Bank has variety of financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment. Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology. Few of the measures taken up by the Bank in this direction are as under:

- A new Education Loan Scheme "Chief Minister's B.Ed. AnuprernaYojna" is introduced to cater the financial needs of students domiciled in the state of Tripura who are pursuing B.Ed. Course.
- Bank launched new product on E-Rickshaw i.e. "E-Rickshaw under Mudra Scheme" on 28.06.2018 to encourage trade finance to MSMEs.
- Mukhya Mantri Swavalamban Yojana 2018 scheme for "bona fide Himachali" i.e. resident of the state of Himanchal Pradesh was introduced on 28.11.2018.
- New scheme "UCO PM Credit Scheme for Power Loom weavers under MUDRA" and UCO PM Credit Scheme for Power Loom Weavers under Standup India have been launched on 29.11.2018.
- Bank tied up with RXIL, one of the players at TReDS platform and is discounting online bill w.e.f. February 2019. A total of 656 bills were purchased amounting to ₹35.45 Crore during 05.02.2019 to 31.03.2019 on this platform.
- Two new products Motor Accident claim term deposit account and Motor accident claim tribunal SB account are launched for disbursement of compensation amount in a phased manner to the victims of Road accident.
- EMV Chip-based cards to customers for more secure transactions have been introduced.

- 05.02.2019 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान बैंक ने "यूको रुपे उत्सव ऑफ़र" शुरू किया, जो ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों को पीओएस और ई- कामर्स पर डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है ताकि डिजिटल बैंक की और प्रगति हो।
- बैंक के डिजिटल उत्पादों को ग्राहकों के बीच लोकप्रिय करने के लिए बैंक की आधिकारिक फेस बुक, ट्विटर पेज और यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है।
- कस्टमर केयर सेल के लिए यूको सिक्योर एडमिन पोर्टल लागू किया गया है।
- बैंक ने 4 मार्च, 2019 को भारत सरकार के "वन नेशन वन कार्ड" योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स) के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए पायलट लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया।
- किसी भी राशि के ओटीएस आवेदन के प्रसंस्करण के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल।
- बैंक ने निम्नलिखित नई सुविधाओं की शुरूआत के साथ अपने ई-बैंकिंग समाधान को आगे बढ़ाया है:
  - ➢ महाराष्ट्र कर संग्रह के लिए महाराष्ट्र जीआरएएस ट्रेजरी एकीकरण।
  - ➢ ग्राहक के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर लेन-देन संबंधी ई-मेल अलर्ट।
  - ➢ ई-बैंकिंग के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा।
  - ➢ खोले गए ऑनलाइन एफडी के लिए ई-बैंकिंग में नामांकन सुविधा शुरू की गई।
  - ➢ खोले गए ऑनलाइन एफडी के लिए ई-बैंकिंग में नामांकन सुविधा शुरू की गई।
  - ➢ शुल्क / निधियों के संग्रह के लिए स्मार्टी पे मॉड्यूल में 21 नए कॉलेज / स्कूल जोड़े गए।
- बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग समाधान में नीचे दी गई नई सेवाएं शामिल कीं हैं :
  - ➢ यूको कंटेनर ऐप - जिसमें है मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, यूको पे +, एमपासबुक, यूको सेक्योर का एक साथ होना।
  - ➢ वसूली प्रयासों में सहायता के लिए क्लस्टर ऐप चालू किया जाना।
  - ➢ आईओएस भीम यूको यूपीआई नया ऐप एप्पल स्टोर पर जारी किया गया ।
  - ➢ यूपीआई ऐप को यूपीआई 2.0 में उन्नत किया गया।
  - ➢ यूआरएल https://bbps.ucobank.com से बीबीपीएस के साथ पूर्व-लॉगिन कार्यान्वयन।
  - ➢ 15जी/15/एच, पैन अपडेशन, सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते को बंद करना अब संभव।

- Bank launched "UCO RuPay Utsav Offer" during the period 05.02.2019 to 31.03.2019to motivate customers and staff members to use Debit cards at PoS and E- commerce to progress towards a digital bank.
- Bank's official Facebook and Twitter pages and YouTube channel has been created to promote digital products of Bank to customers.
- UCO Secure-Admin portal for customer care cell has been implemented.
- Bank has participated in the pilot launch of NCMC (National Common Mobility Cards) by Honourable Prime Minister on 4th March, 2019 for promotion of "One Nation One Card" scheme of Government of India.
- ONLINE module for One Time Settlement (OTS) through our Bank's website for processing of OTS application of any amount.
- Bank has enhanced its e-banking solution with introduction of the following new features:
  - ➢ Maharastra GRAS Treasury integration for collection of Maharashtra Tax.
  - ➢ Transactional e-mail alert to customer's registered e-mail id.
  - ➢ Facility of online transaction to Sukanya Samridhi Yojna through e-banking
  - ➢ Nomination facility feature implemented in e- banking for Online FD opened.
  - ➢ Nomination facility feature implemented in e-banking for Online FD opened.
  - ➢ 21 new colleges/schools have been added in Smarty Pay module for collection of fee/funds.
- Bank has come up with the below mentioned newly added services in its mobile banking solution:
  - ➢ Introduction of UCO container app- having Mobile Banking, UPI, UCOPay+, mpassbook, UCOsecure together.
  - ➢ Cluster app implementation for assistance in recovery efforts
  - ➢ New IOS BHIM UCO UPI app released on Apple Store
  - ➢ Upgradation of UPI app to UPI 2.0
  - ➢ BBPS pre-login implementation with URL https://bbps.ucobank.com
  - ➢ Implementation of 15G/15/H, PAN updation, closure of FD/RD

सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन पर जवाबः / Response to principle-wise performance:

अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया हैः List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :	बैंक के उत्पाद और सेवाओं से समाज को कोई खतरा नहीं होता। बल्कि वे देश को रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास प्रदान करने में समाज के लिए सहायक होते हैं । कुछ ऋण उत्पाद पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि की गतिविधियों में शामिल अक्षय ऊर्जा (हरित ऊर्जा) कंपनियों को वित्त प्रदान करना शामिल है। Products & Services of the Bank do not pose any risk to the society at large. Rather they would be helpful to the society in providing employment opportunities and economic development of the country. Few loan products are designed to address environmental concerns which include finance to renewable energy (green energy) companies involved in the activities of Wind Mills, Solar Energy etc.
ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें : उत्पाद की इकाई (वैकल्पिक) डालेंः For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) : i) मूल्य शृंखला भर में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान कमी? Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) कम उपयोग किया जाना। पिछले वर्ष की तुलना में। Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	लागू नहीं / Not Applicable लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रीसायकल करने का कोई तंत्र है? यदि हॉ तो, उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें। Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	बैंक एक विनिर्माण इकाई नहीं है और इसके कार्यालयों में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन कचरे के निपटान की प्रक्रियाओं का पालन करके किया जाता है। Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.

सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।

यूको बैंक का विजन है कि यह अपने कर्मचारी के लिए ऐसा कार्यस्थल दे जिस पर उन्हें गर्व हो। इस दृष्टि से बैंक काम करता है तथा अपने कर्मचारी सदस्यों और उनके कल्याण को सर्वाधिक महत्व देता है।

समानता का सिद्धांत :

बैंक की सेवा में भर्ती के लिए चयन का मूल आधार मेधा और सक्षमता होता है। सभी अभ्यर्थियों का निर्णय मेधा के आधार पर किया जाता है। पदोन्नति की प्रक्रिया में जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म और विकलांगता, यदि हो, से ऊपर उठकर सभी अभ्यर्थियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों और बैंक की निर्धारित नीति के अनुसार समान अवसर दिया जाता है।

कर्मचारी संख्या :

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या 23,138 जिसमें से 5787 महिलाएँ तथा 485 विकलांगकतायुक्त हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक बाल श्रम, बलात श्रम या भुगतान पर अथवा बेगार, किसी भी रूप में अनैच्छिक श्रम द्वारा काम नहीं लेता है। हम समय-समय पर सरकार के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं।

सभी कर्मचारियों को इसकी छूट है कि वे जिस किसी भी यूनियन का सदस्य बनें या न बनें। परंतु अधिकांश कर्मचारी किसी न किसी यूनियन के सदस्य हैं।

कर्मचारी लाभ और कार्य-जीवन संतुलन :

अपने कर्मचारी के प्रति अपने विज़न को साकार करने के लिए बैंक अनेक कर्मचारी कल्याण योजनाएँ संचालित करता है। इनमें से कुछ हैं भविष्य निधि, उपदान, पेंशन, चिकित्सा लाभ, एलटीसी/एलएफसी, रियायती ब्याज दर पर अग्रिम, जमा पर उच्चतर ब्याज दर, हॉलिडे होम, आदि। इस मामले में कर्मचारी और उसके पारिवारिक सदस्य, दोनों की कल्याण योजनाएँ शामिल हैं, जैसे यूको डायमंड जुबली स्कॉलरशिप योजना और पुरस्कार योजना। इनके अलावा बैंक के पास महिला अधिकारी के लिए विकल्प की नीति है जो विवाहित अधिकारी के मामले में अपने जीवन संगी के साथ रहने अथवा अविवाहित अधिकारी के मामले में अपने अभिभावकों के पास रहने के लिए पदस्थापनागत बदलाव द्वारा अपने पसंदीदा अंचलों में जाने का है। कल्याणकारी अवसर, खासकर कैन्टीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती आदि है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने कर्मचारी सदस्यों के साथ स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, बैंक का स्थापना दिवस मिलकर मनाता है।

कार्यपरक वातावरण :

हालांकि बैंक अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वच्छ, मानवीय दृष्टि से गरिमापूर्ण कार्यस्थल वातावरण प्रदान करता है, परंतु खासकर महिला अधिकारियों के लिए बैंक ने यौन उत्पीड़न निवारण समिति के साथ शिकायत निवारण प्रणाली भी गठित की है जिसके द्वारा इन मामलों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। ऐसे उपायों के चलते कर्मचारी बैंक में अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सुरक्षित महसूस करते हैं।

कार्यदक्षता एवं स्पर्धात्मकता उन्नयन :

प्रशिक्षण मानव संसाधनों के व्यवहार और दृष्टिकोण को समुचित रूप देने के अतिरिक्त उनको पर्याप्त कार्यपरक ज्ञान और दक्षता से लैस करने का एक साधन है। प्रशिक्षणगत जरूरत का आकलन कर तदनुसार सभी कर्मचारियों को बाह्य संस्थानों और बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों, दोनों ही में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बैंक में कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक में एक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज और चंडीग़ढ, भोपाल, दुर्गापुर, जयपुर, चेन्नै, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद सहित 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। इनके अलावा, उभरती जरूरतों को पूरा करने या क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए स्थानिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इससे कर्मचारियों को अपना ज्ञान अद्यतन करने

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

One of the Vision of UCO Bank is to become a place of pride for its employee. With this vision Bank function and gives utmost importance to its staff members and their wellbeing.

Principal of equality:

During recruitment in Bank's service merit and competency is the core criteria for selection. All candidates are judged according to merit. In promotion process equal opportunities is being given to all applicants irrespective of caste, creed, gender, race, religion and disability, if any, as per GOI guidelines and laid down policy of the Bank.

Employee Strength:

As on 31st March, 2019, the total count of employees is 23,138 out of which 5,787 are women employees and 485 are persons with disability. It is needless to mention that Bank does not engage child labour or any form of involuntary labour paid or unpaid. We adhere to the Government guidelines issued from time to time.

There is liberty to all employees to be a member of any union or not. However, most of the employees are member of some union.

Employee Benefits and Work life balance:

To enact the vision of the bank for its employee, Bank runs several employee welfare schemes. It includes Provident Fund, Gratuity, pension, medical benefits, LTC/LFC, concessionary interest rate advance, higher interest rate on deposits, holiday homes etc., are few to site. In this ordeal it includes both the welfare schemes of employee as well as their family members namely UCO Diamond jubilee Scholarship scheme and Prize Scheme. Besides this Bank has a policy for option provided to lady officer for change of posting to their choice zones for joining spouse/in-laws/parents. These welfare measures specially canteen subsidy, education, medical & hospitalization etc. Besides this Bank along with its staff members celebrate Independence Day, Republic Day, Bank's foundation Day together.

Working Environment:

Though Bank provides safe, hygienic, humane dignified work place environment to all its employee but specially for lady employees Bank has established Sexual Harassment Redressal Committee as well as Grievance Redressal system for all who have made complain regarding these matters. These measures enable employees to feel safe and secure in discharging their responsibilities at Bank.

Skill and competence upgradation :

Training is a tool to equip the human resources with adequate job knowledge and skill besides shaping their behaviour and attitude. Training need is being assessed and accordingly all the employees are imparted with training at both external Institute and Bank's training centres. Bank has one Central Staff College situated at Kolkata Salt Lake and 7 Regional Training Centres at Chandigarh, Bhopal, Durgapur, Jaipur, Chennai, Bhubaneswar and Ahmedabad. Besides this, to meet emerging demands or region specific training, locational training is also carried out. This enables the employees to keep their knowledge updated as well

और अपने कौशल का विकास करने का अवसर मिलता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 17164 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

सिद्धांत 4: कारोबारों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवाचारिता बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाएन्टों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

as sharpen the skills. Total 17164 numbers of employees have been trained in Financial Year 2018-19.

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake holders vizInvestors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया:/ Response to principle-wise performance:

क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हाँ। Has the company mapped its internal and external stakeholders?	हाँ / Yes
उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है? Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?	हाँ / Yes
क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे एवं सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, गैर-संस्थागत उधारदाताओं के कर्जदार संकटग्रस्त किसानों, विकलांगता युक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों आदि की आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के सकल लक्ष्य के दायरे में ही ऐसे हितधारकों को ऋण का समुचित और बराबरी का हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। Several initiatives aiming at economic prosperity of the weaker sections of society viz small and marginal farmers, artisans, scheduled castes and scheduled tribes, distressed farmers indebted to non-institutional lenders, persons with disabilities, minorities etc., are taken through extending fair and equitable portion of credit to these stakeholders within the overall target of Priority Sector.

सिद्धांत 5 : कारोबार को चाहिए कि वह मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।

बैंक मानवाधिकारों का सम्मान करता है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के आत्म–गौरव का विधिवत आदर करता है। बैंक ने न्यायसंगत कार्यपद्धति संहिता अपनाई है जिसमें अच्छी एवं न्यायसंगत बैंकिंग कार्यपद्धतियाँ, सेवाओं और उत्पादों में पारदर्शिता जैसे पहलू शामिल हैं। बैंक की नियुक्ति नीति में बाल श्रम, बलात श्रम की नियुक्ति/या उनसे काम लेने को अनुमति नहीं है। इसके अलावा बैंक में प्रधान कार्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति है। बैंक जाति, पंथ, लिंग या संप्रदाय के आधार पर किसी भी कर्मचारी या ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं करता तथा इस मामले में सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights.

Bank respects human rights and acts without discrimination duly respecting the dignity of every individual. Bank adopted Fair Practice Code which covers the aspects like good & fair banking practices, transparency in services and products. The recruitment policy of Bank does not allow recruitment/engagement of Child labour, forced labour. Besides this, Bank has Internal Complaints Committee for Redressal of complaints on Sexual Harassment at Head Office level. Bank does not discriminate either staff or customer on the basis of caste, creed, gender or religion and strictly follows the Govt. Guidelines in this matter.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	लागू नहीं। बैंक में कोई भी अनुंषगी नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	शून्य / Nil

सिद्धांत 6 : कारोबार पर्यावरण का सम्मान, रक्षा और उसे बचाने के प्रयास करें।

यूको बैंक अपनी न्यायसंगत एवं चेतना के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु हर तरह के अवशिष्टों को दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।

सभी जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक चैनेल यथा एटीएम, ई- बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि का उपयोग करते हुए कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रकृति एवं हरियाली का संरक्षण हो सके। ग्राहकों को ई-विवरणी प्रदान किया जा रहा है एवं हितधारकों के साथ ई-पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है फलस्वरूप कागज के उपयोग में काफी कमी आई है।

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण से संबंधित अनापत्तिपत्र प्राप्त करना वांछित है उन्हें वित्तपोषित करते समय बैंक ने उधारकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर जोर डाला। पुनः परियोजना जो टिकाऊ विकास के रूप में पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है उन्हें रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, अपशिष्ट न्यूनीकरण करने एवं प्रदूषण संरक्षण करने पर जोर डाला गया।

बैंक कार्बन के उत्सर्जन और विकिरण से बचने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में एयर कंडिशन मशिनों में इको फ्रेंडली रेफ्रिजेरेंट गैस , ग्रीन जेनेरेटर, सीएफएल लाइट का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से भी पर्यवरण का संरक्षण कर रहा है। बैंक की जिन शाखाओं में बार-बार बिजली कटती रहती है वहां सौर उर्जा का उपयोग किया जा रहा है। बैंक के कुछ फिक्सचरों में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पार्टिकल बोर्ड / पुनर्नवीनीकरण एमडीएफ जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए। बैंक के सभी नए उपक्रमों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बारिश के पानी का संग्रहण किया गया।

Principle 6: Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment

UCO Bank, with due consideration and consciousness towards protecting the environment, is striving for the use of reducing the waste in all fronts.

All depositors are encouraged to do paperless transactions by using electronic channels such as ATM, E-banking, RTGS/NEFT etc. which greatly reduce the use of paper thereby conserving the nature and greenery. The customers are provided with e-statement and efforts are being made for maximising the use of e-correspondence with all stakeholders thus minimising the use of paper.

While financing those projects which require environmental clearances, bank insists compliance, by borrowers, of all related stipulations in order to protect the environment. Further, the projects that show concern for environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimisation and pollution prevention are encouraged.

Bank also involves in the preservation of environment internally by using eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, green generatorsand CFL lights in several of its offices to avoid carbon emissions and radiation. Bank is also exploring the use of solar energy for branches where power failures take place very frequently. Recycled MDF/Particle Boards made of discarded wooden particles are used for the use of bank's furniture at some locations. In all the new ventures of Bank, rain water harvesting is being undertaken to preserve the ground water level.

जेनरेटर जनित प्रदुषण को रोकने के लिए जेनरेटर के स्थान पर हमारा बैंक पावर बैक अप के रुप मैं इंवर्टर का इस्तेमाल शुरू कर रहा है।

Further our Bank is introducing use of Inverters as power back up in place of Generator in Branches/ Offices to prevent pollution caused by the generators.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others.	लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ? Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?	उत्तरः उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ? Does the company identify and assess potential environmental risks?	उत्तर उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?	कोई नहीं / None.
क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ? Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.	लागू नहीं / Not Applicable.
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?	लागू नहीं / Not Applicable.
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं ? Number of show cause/legal notices received from Central pollution control Board/State Pollution Control Board which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	शून्य / Nil

सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।

बैंक नियामक नीति के कार्यकारी ढाँचे के भीतर अपने उत्पादों और सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक विकास की ओर उन्मुख करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने अपने प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचार नीति निर्मित की है। इसमें राष्ट्र के जन-जन के बीच बैंक के उत्पादों, सेवाओं और पहलों आदि को लोकप्रिय बनाने के दिशानिर्देश निहित हैं।

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

Bank designs its products and services within the frame work of the regulatory policy and with the objective to bring in economic development of the country. The Board of the Bank has laid out a Publicity Policy for implementation of the Publicity & PR related activities. It contains the guidelines for popularising the Bank's Products, Services and Initiatives etc among masses across the Nation.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता है : Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :	बैंक भारतीय बैंक संघ का सदस्य है। Bank is a member of Indian Banks' Association.
क्या आपने जनहित की बढ़ोतरी या सुधार के लिए उक्त संगठनों के साथ हिमायत की है/उनके दल में शामिल हुए हैं ? Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good?	बैंक ऐसे संगठनों के साथ नज़दीक से जुड़कर काम करता है तथा आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ निर्मित करने में नीतिनिर्धारकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। Bank closely works with these associations and gives inputs for the policy makers in evolving economic and financial strategies.

सिद्धांत 8 : कारोबार समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को सम्मुख लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शक्ल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" में अब तक 76.43 लाख खाते खोल दिए हैं और ₹ 2221.30 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। इन प्रमंजधयो खातों में औसन 2906.08 रुपये की जमा राशि है।

बैंक ने 162721 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा देते हुए देश के बैंकविहीन लोगों को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने में भारत सरकार की पहल में भाग लिया । इसमें कुल मिलाकर रु. 32.38 करोड़ की राशि लगी।

अब तक बैंक विहीन रही आबादी को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर काम करते हुए, बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा एवं पेंशन उत्पाद यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) प्रस्तुत कीं । पीएमजेबीवाई के तहत, 7.95 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 15.58 लाख लोगों का बीमा किया गया है। पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक कुल 3137 दावों को निपटाया गया है, और 665 दावों को पीएमएसबीवाई के तहत निपटाया गया है। इसके अलावा साल के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 1.99 लाख ग्राहक संख्या पार कर ली गई है।

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में हिस्सा लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को किफायती मकान दिलवाने के लिए उन तक केंद्र द्वारा दी रही सहायता पहुँचाई है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पात्र उधारकर्ताओं को ₹1145 लाख की सहायता दी जा रही है तथा ईएमआई और मूलभूत ऋण रकम को कम रखने के लिए पहले से ही ब्याज दर में प्रतिवर्ष 6.5% की रियायत दी जा रही है। हमारे बैंक ने 521 हितधारकों को मार्च, 2019 तक ₹1145 लाख तक की सहायता दे दी थी।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate saving habit among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 76.43 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "PradhanMantri Jan DhanYojna" and mobilized ₹2221.30 Crore with average balance of ₹2906.08 in these PMJDY accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing micro credit facility to unbanked people of the country through successful implementation of Over Draft Facility to 162721 PMJDY account holders involving aggregate sanctioned amount of ₹32.38 Crores.

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMJBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJBY Scheme, 7.95 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 15.58 lakh lives are insured. So far a total of 3137 claims are settled under PMJJBY scheme, and 665 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 1.99 lakh till year end.

Bank took part in the Pradhan Mantri Awas Yojana launched by Government of India to extend central assistance for economically weaker section / low income group foracquiring affordable houses. Bank has signed memorandum of understanding with National Housing Bank for implementation of this scheme. Assistance of ₹1145 lakh is being extended to the eligible borrowers and concession in interest rate @6.5% per annum is being provided upfront to reduce EMI and principal loan amount. Our Bank assisted to 521 beneficiaries to the tune of ₹1145 lakh upto March, 2019 under the scheme.

Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives areas under:

1. जय भारत हॉकी क्लब, कुरुक्षेत्र हरियाणा के सहयोग से हमारे बैंक ने वित्तीय सहायता देकर हरियाणा में महिला हॉकी टीम को तैयारी , पुष्ट होने और पोषण प्राप्त करने में जिम्मेदारी निभाई है। इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य है ग्रामीण हरियाणा में विद्यमान प्रतिभाओं को तराशना।

2. जयपुर में राजस्थान सरकार के दो विद्यालयों में वंचित समुदाय के बच्चों को निः शुल्क मिड-डे मील प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की । (अक्षयपात्र फाउंडेशन))

3. नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर को दृष्टि बाधित छात्रों के लाभ के लिए एवरेस्ट डीवी 5 ब्रेल एम्ब्रोज़र भारतीय अनुवादक मशीन के लिए अंशदान।

4. कृष्ण बलरामसेवा ट्रस्ट को दूध के संरक्षण और भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए ब्लू स्टार मेक की पूर्व फ्रेब्रिकेट की गई वाक-इन शीत कक्ष की संस्वीकृति।

5. स्वास्थ्य शिविरों की मदद के रूप में सरकारी अस्पताल अलवर को 1500 रंगीन बेड शीट का वितरण।

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी)

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी) देश भर के 27 अग्रणी जिलों में स्थापित हैं। यूको बैंक के तत्वावधान में यूको डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ये संस्थान स्थायी आजीविका के साथ स्वरोजगार लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, प्रेरित और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण परिणाम लाने के लिए, मानक प्रशिक्षण सुविधाएं और इनपुटों को जोखिमधारकों की विविधता के समर्थन के साथ प्रदान किया जाता है। आरसेटी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बैंक और राज्य सरकार के बीच एक थ्री वे की साझेदारी है। कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार एक एकड़ भूमि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक आरसेटी भवन के निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपए का अनुदान देता है। बीपीएल / एसईसीसी ऑटो समावेश सूची के तहत उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की लागत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एनआरएलएम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और इसके निर्धारित नियमों के संशोधित नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। आशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार सेटेलमेंट प्रतिशत तथा ऋण लिंकेज प्रतिशत के साथ प्रतिपूर्ति सम्बद्ध की जाती है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आरसेटीओं के लिए व्यय का विवरण यहां दिया जा रहा है;

(क) राजस्व व्ययः ₹3,96,54,083.08 यह राशि एनआरएलएम से बीपीएल / एसईसीसी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और केवीआईसी / अन्य एजेंसियों से प्राप्तियों के लिए व्यय दावों की प्रतिपूर्ति के साथ नेट की गई है।

(ख) पूंजीगत व्ययः ₹4,77,09,038.92

(राशि वास्तुकारों / ठेकेदार / एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गए बिलों के खिलाफ आरसेटीओं के भवन निर्माण के लिए खर्च की जाती है)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल ₹8,73,63,122 / - (रुपए आठ करोड़ तिहत्तर लाख तिरसठ हजार एक सौ बाईस मात्र) का व्यय किया गया है ।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

वित्तीय साक्षरता के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का पता

1. In collaboration with Jai Bharat Hockey Club, Kurukshetra Haryana. Our bank has undertaken the responsibility of grooming, nurturing and nourishing the women hockey team in Haryana by contributing financial support. The sole aim is to churn out talents available in rural Haryana.

2. Bank has extended financial support for providing free of cost Mid -day meal to under privileged children in 2 numbers of Govt. school in Jaipur Rajasthan (AkshayPatra foundation)

3. Contribution for Everest DV5 Braille Embosser Indian Translator Machine for betterment of the blind students to NetraheenVikasSanasthan, Jodhpur

4. Sanction of Blue Star make Prefabricated walk in cold room for setting up a cold storage unit for preservation and storage of milk to Krishna BalaramSeva Trust.

5. Distribution of coloured Bed sheets (1500 no.) to Govt. Hospital Alwar, for supporting organization of health camps, assistance to hospital.

RURAL SELF EMPLOYMENT INSTITUTES (RSETIS)

Rural Self Employment Institutes (RSETIs) established in 27 lead districts across the country and managed by UCO Development Trust under the aegis of UCO Bank are operating with objectives of identifying, training, motivating & facilitating unemployed youth to take up Self Employment with sustainable livelihood. To bring in quality outcome, standardised training infrastructure and inputs are provided with the support of stake holder's multi diversity. RSETI is a three way partnership between the Ministry of Rural Development, Govt.Of India, the Bank and the State Govt. As per the programme State Government provides land measuring around one acre and MoRD, Govt. of India gives a Grant-in-aid of ₹1 .00 Crore for construction of each 'RSETI Building. The cost of training for candidates under BPL/SECC Auto Inclusion list are reimbursed as per revised rule of MoRD, GoI and its stipulations, under flagship programme NRLM of Govt. of India through SRLM. In the modified standard operating procedure reimbursement is linked with settlement percentage and credit linkage percentage.

The details of expenditure for RSETIs incurred during the FY 2018-19 re mentioned hereunder;

(A) Revenue Expenditure: ₹3,96,54,083.08

The amount is netted with the reimbursement of expenditure claims from NRLM for trainings to BPL/SECC candidates and receivables from KVIC/other agencies)

(B) Capital Expenditure: ₹4,77,09,038.92

(The amount is expended against Building Construction of RSETIs against the bills raised by architect/ Contractor/agencies)

As stated above, the total amount of expenditure incurred is ₹8,73,63,122/- (Rupees Eight Crore Seventy Three Lakh Sixty Three Thousand One Hundred and Twenty Two only) during the FY 2018-19.

Centre for Financial Literacy (CFL)

To explore innovative and participatory approaches to financial

लगाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन वर्षों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशन निधि के समर्थन से नौ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 80 सीएफएल स्थापित करने का निर्णय लिया है। पायलट प्रोजेक्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए एनजीओ / एजेंसियों के सहयोग से बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। बैंक परियोजना की समग्र व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि चिन्हित गैर सरकारी संगठन आबंटित ब्लॉकों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का निष्पादन करेंगे।

इस संबंध में डीएचएएन फाउंडेशन के सहयोग से यूको बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के निष्पादन करने वाले बैंक के रुप में चुना गया है। आरबीआई ने भद्रक जिले के तहत पांच ब्लॉक और उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के तहत पांच ब्लॉकों को सीएफटी परियोजना की स्थापना के लिए यूको बैंक को आवंटित किया है। यूको बैंक ने इस उद्देश्य के साथ सीएफएल परियोजना शुरू की है:

- घरेलू बजट बनाने और वित्तीय लेनदेन का अभिलेख बनाने की आदत को विकसित करने के लिए।
- बचत खाते में लेन-देन को प्रोत्साहित करना और बैंक में सावधि जमा/आवर्ती जमा में जमा करके सक्रिय बचत करना।
- जब भी आवश्यकता हो लोगों को वित्तीय संस्थानों से उधार लेना सुनिश्चित करना।
- बैंकिंग और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना अर्थात एनईएफटी, आरटीजीएस, आइएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि।
- लोगों को जीवन बीमा और पेंशन संबंधी उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उत्पाद, प्रक्रिया और वित्तीय साक्षरता के संरक्षण पर लक्षित समुदाय के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना।

सीएफएल बजट की स्थापना के लिए सीएपीईएक्स और ओपेक्स के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के माध्यम से आवंटित किया गया था, जिसमें यूको बैंक को संचालन व्यय का 40% वहन करना पड़ता है और 60% नाबार्ड द्वारा वहन किया जाएगा। परिचालन व्यय के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए धन फाउंडेशन को प्रेषित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

literacy, RBI has decided to commission a pilot project for three years and setting up 80 CFLs at block level across nine states with support from Financial Inclusion Fund through NABARD. The pilot project will be implemented by banks in collaboration with NGOs/Agencies identified by RBI. The banks would be responsible for overall governance of the project whereas the identified NGOs will execute the project as per stipulated guidelines in the allotted blocks.

In this regard UCO Bank has been selected as one of the bank to execute the pilot project in collaboration with DHAN Foundation. RBI have allotted five blocks under Bhadrak district and five blocks under Dhenkanal district of Orissa to UCO Bank for setting up of CFL project . UCO Bank has undertaken the CFL project with the objective as follows:

- To inculcate the habit of making a household budget and recording financial transaction.
- Encourage transaction in savings account and active saving by depositing in bankthrough Fixed Deposit/Recurring deposits.
- Ensure people to borrow from Financial Institutions whenever required.
- Create awareness about grievance redress mechanism in banking & Banking Ombudsman. Encourage transaction through electronic means viz. NEFT, RTGS, IMPS, Internet banking, mobile banking, UPI etc.
- Encourage people to get Life Insurance and Pension related products.
- To facilitate in enhancing Knowledge, Attitude and Behaviour of target community on Product, Process and Protection of Financial Literacy.

In connection to the setting up of CFL budget was allotted for CAPEX and OPEX by RBI through NABARD wherein UCO bank has to borne 40% of operation expense and 60% will be borne by NABARD. The details of amount remitted to Dhan Foundation for the FY 2018-1 9 for operational expenditure is as follows:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए (सीएफएल) ओपेक्स /(CFL) OPEX for FY 2018-19

धन फाउंडेशन को विप्रेषित राशि AMT. REMITED TO DHAN FOUNDATION	नाबार्ड से प्राप्त दावा राशि (व्यय का 60%) CLAIM FROM NABARD (60% OF EXP.)	यूको बैंक का अंशदान (व्यय का 40%) UCO BANK CONTRIBUTION (40% OF EXP.)
₹ 65.00 lacs	₹ 39.00 lacs	₹ 26.00 lacs

वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी)

वित्तीय साक्षरता वित्तीय उत्पादों की मांग बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस पर विचार करते हुए नाबार्ड ने बैंकों के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न लक्षित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता जागरूकता प्रदान की है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लक्षित समूह वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोग, वयस्क, किसान, स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, एसएचजी और उद्यमी थे। कार्यक्रम ई-लेन-देन करते समय अपनाए जाने वाले डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा उपायों पर होंगे।

यूको बैंक ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) शुरू किया है जो निम्नानुसार हैः

- बीएसबीडी खाते, एसबी, आवर्ती और सावधि जमा खाते खोलना।
- रूपे डेबिट कार्ड और रुपे किसन कार्ड जारी करना और सक्रिय करना।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन। पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी / आरटीजीएस, आईएमपीएस, बीएचआईएम-यूपीआई, आदि के लिए पंजीकरण करके इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

मासिक आधार पर प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा एफएएलपी आयोजित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए नाबार्ड से पूर्व मंजूरी लेनी होती है और अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर होता है और इस प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम जारी नहीं किया जाएगा। एफएलपी के लिए अनुदान सहायता संरचना इस प्रकार हैः

1. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित कार्यक्रमों के लिए खर्च का 100% या 5000 रुपये प्रति कार्यक्रम की सहायता इसमें जो भी कम हो।
2. 100% व्यय या ₹6250 प्रति कार्यक्रम की सहायता इसमें जो भी कम हो उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगा।
3. प्रति कार्यक्रम किए गए व्यय के 60% की सहायता या, उपर्युक्त सभी के अलावा अन्य सभी राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए 5000 रूपये जो भी कम हो।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूको बैंक का खर्च इस प्रकार हैः

Financial Literacy Awareness Programme (FLAP)

Financial literacy is an important tool for creating demand for financial products. Considering this NABARD imparts financial literacy awareness through banks to different target segments of population. The target group for conducting programmes were newly inducted people in financial system, adults, farmers, school children, senior citizen, SHGs and Entrepreneurs. Programmes will be on digital literacy and safety measures to be adopted while doing e-transaction.

UCO Bank has undertaken the Financial Literacy Awareness Programme (FLAP) with the following objectives which is as follows:

- Opening of BSBD accounts, SB, Recurring and Term deposit accounts.
- Issuance and activation of Rupay Debit cards and RupayKisan cards.
- Enrolment for social security schemes viz. PMJJBY, PMSBY and APY.
- Encourage transactions through electronics means by registering them for Internet Banking, Mobile Banking, NEFT/ RTGS, IMPS, BHIM-UPI, etc.

Grant assistance is provided for conducting FLAP by each rural branches on monthly basis for which prior sanction has to be taken from NABARD and the grant is on reimbursement basis and no advance will be released for the purpose. The structure of grant assistance for FLAP is as follows:

1. Support of 100% of expenditure or ₹5000 per programme whichever is less for programmes conducted in J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chattishgarh, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands.
2. Support of 100% of expenditure or ₹6250 per programme, whichever is less, would be available for programmes conducted in North Eastern states.
3. Support of 60% of the expenditure incurred per programme or, ₹5000 whichever is less for programmes conducted in all other states apart from the one mentioned above.

For the FY 2018-19 UCO Bank's expenditure for conducting Financial Literacy Awareness Programmes is as follows:

क्रम सं SI No	कुल ग्रामीण शाखाएं Total Rural Rural Branches	एफएलएपी की संख्या (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए) No of FLAP conducted (for FY2018-19)	एफएलएपी के आयोजन में कुल व्यय Total Expenditure for conducting FLAP	नाबार्ड से प्राप्त/ प्राप्तव्य अनुदान Grant received/'ll be received from NABARD	यूको बैंक का अंशदान UCO Bank contribution
कुल/TOTAL	1075	9258	₹362. 94 lacs /लाख	₹248. 99 lacs/लाख	₹113. 94 lacs /लाख

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

वित्तीय साक्षरता केंद्र बिल्डिंग ब्लाक हैं जो वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को जमीनी स्तर पर शुरु करते हैं । बैंक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हैं और एफएलसी ईको-सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक

Financial Literacy Centre (FLC)

Financial literacy centres are the building blocks that initiates the financial literacy activities at the ground level. Banks are providing basic infrastructure and strengthening the FLC Eco-system. RBI

ने बैंकों के एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे।

यूको बैंक के पास 7 राज्यों में फैले हुए अग्रणी जिले हैं। इन जिलों में से अभी 29 एफएलसी काम कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता उपभोक्ताओं को औपचारिक उत्पादों और प्रदाताओं के लाभों को समझने और उन विकल्पों को अपनाने में सक्षम बनाती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और पैसे के लिए अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एफएलसी विभिन्न लक्षित समूहों के लिए एक उनकी आवश्यकता के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाता है। किसान, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, स्कूली बच्चे, एसएचजी, वरिष्ठ नागरिक आदि के रूप में वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता की पहल करने में प्रमुख हितधारक है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के 7 प्रमुख जिलों में 29 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता काम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफएलसी पर वित्तीय साक्षरता काउंसलर के वेतन के लिए किया गया कुल व्यय इस प्रकार हैः

had issued operational guidelines for conduct of financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks.

UCO bank has lead districts spreading over 7 states. Out of these districts 29 FLCs are functioning at present. Financial literacy enables consumers to understand the benefits of formal products and providers and to make choices that fit their needs and represent good value for money. FLC adopts a tailored approach for different target groups viz. Farmers, micro and small entrepreneurs, as school children, SHGs, senior citizens etc. Financial literacy counsellors are heading the Financial literacy centres (FLCs) is the key stakeholder in driving the financial literacy initiatives at the ground level. 29 financial literacy counsellors are working in 7 lead districts of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan and Odisha.

The total expenditure towards salary for financial literacy counsellor at FLCs for the FY 2018-19 is as follows:

क्रम सं Sl. No.	वित्तीय साक्षरता परामर्शियों की संख्या No. of Financial Literacy counsellors	यूको बैंक द्वारा प्रदत्त राशि (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए) Amount paid by UCO Bank (for FY 2018-19)
1	29	₹87 lakhs/लाख

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर उत्तर : / Response to principle-wise performance:

क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का विशेषीकृत कार्यक्रम/ पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। Does the company have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्वयं का फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से चलाई जाती हैं? Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है? Have you done any impact assessment of your initiative?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि आइएनआर में और चालू परियोजनाओं के विवरण? What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above

सिद्धांत 9: व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उसे उसका मूल्य प्रदान करना चाहिए

ग्राहक को उनकी नब्ज समझकर उसे मुदित करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए बैंक ने अपने ग्राहकों की अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जो कुछ अनुभव किया है, उसे गौर से सुना है।

क्षेत्र में, ग्राहकों का सामना करने वाले शाखा कर्मचारी हमारी सेवाओं / उत्पादों / चैनलों के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और राय के बारे में हमे जानकारी देते हैं। ग्राहक हमें अपने बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन फीडबैक को संकलित करते हैं और सुधार के सुझावों पर तुरंत अमल करते हैं। इनके अलावा, ग्राहक हमें लिखते भी हैं, जो उन्हें समझने का एक अच्छा माध्यम होता है। हमारे असंख्य ग्राहक हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के बारे में हमारे अधिगम के समृद्ध स्रोत हैं। बैंक नियमित ग्राहक मिलन भी आयोजित करता है।

बैंक के पास ग्राहकों के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा सेल उपलब्ध है । ग्राहकों के लिए बैंक के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। ग्राहकों की शिकायतों के समय पर और कुशल निपटान की सुविधा के लिए, बैंक के पास एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे “मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली” (एसपीजीआरएस) कहा जाता है। बैंक ने उन लोगों की एक समर्पित टीम ख़ड़ी की है जो अपने समर्पित प्रयासों से शिकायत समाधान में तेजी ला रहे हैं।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to us, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust Grievance Redressal mechanism for customers.To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has an integrated Grievances Redressal system called the "Standardized Public grievance Redressal system" (SPGRS). Bank has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their dedicated efforts.

सिद्धांत-वार प्रदर्शन का जवाब: :/ Response to principle-wise performance:

वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं। What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.	केवल 370 यानी 1.69% ग्राहक शिकायतें वित्त वर्ष 2018-19 में लंबित हैं। Only 370 i.e.1.69% of customer complaints are pending for FY 2018-19.
क्या कंपनी स्थानीय कानूनो की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, उत्पादों के लेबलों पर उत्पाद की जानकारी, प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/ मंतव्य (अतिरिक्त जानकारी)। Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या पिछले पांच वर्षो के दौरान प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें। Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	शून्य / Nil
क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण कराया है? Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पेज के माध्यम से और प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के विषय में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहता है। Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अवश्कताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लाज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहयोग समितियां (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग तथा विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11. 2016 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking,(iii)co-operative, (iv) economics,(v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other directors are appointed/ nominated under various sections viz., 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2019:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं उनकी संख्या* No. of Committee of the Board of UCO Bank on which a member*	अन्य कंपनियों में निदेशक पद संभाल रहे हैं Directorship in other Companies	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर No. of Shares of UCO Bank held by the Director as on 31.03.2019
1.	श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2018	07	-	-
2.	श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh Executive Director	10.03.2015	10	-	-
3.	श्री आनंद मधुकर सरकार की नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar Govt. Nominee Director	04.12.2018	09		
4.	डॉ. अरविंद शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Arvind Sharma RBI Nominee Director	23.02.2015	04	-	-
5.	श्री अनिल शर्मा सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. Anil Sharma Part time Non-Official Director under Chartered Accountant Category	26.07.2016	09	-	-
6.	डॉ. आशीष साहा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Dr. Asish Saha Part time Non-Official Director	27.12.2017	09	-	-
7.	श्री अमित चटर्जी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Amit Chatterjee Part time Non-Official Director	01.03.2019	08	-	-
8.	श्री के राजीवन नायर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	02.12.2017	08	-	100

* बीएलसीएसी के अतिरिक्त /Other than BLCAC.

2.2.1 निदेशक मंडल में नवनियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

26 दिसंबर 1964 को जन्मे श्री अतुल कुमार गोयल ने 02 नवंबर 2018 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाला। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल आनर्स के साथ कॉमर्स में स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य हैं। इसके साथ वे एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के नाते श्री गोयल ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यथा बड़े कारपोरेट, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय आयोजना और निवेशक संबंध के साथ साथ सपोर्ट सेवा, कारोबार प्रक्रिया रूपांतरण, अनुपालन आदि में काम किया है। अपने समृद्ध अनुभव और ज्ञान से उन्होंने बड़े कार्पोरेट और तुलन पत्र प्रबंधन विभागों में अमित सेवा दी है । इलाहाबाद बैंक में श्री ए के गोयल ने अनेक महत्वपूर्ण विभागों में जिसमें बैंकिंग परिचालन, खासकर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्य किया है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल कार्यालय के प्रधान का भी कार्यभार निभाया है।

श्री अतुल कुमार गोयल ने आइबीए के कराधान समिति के सदस्य रहने के अलावा प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें एनआईबीएम, पुणे, आईएमटी, दिल्ली शामिल है, के द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने काफराल के द्वारा देश और विदेश में आयोजित अनेक कार्यक्मों में भाग लिया है।

श्री आनंद मधुकर, निदेशक

30 नवंबर, 1972 को जन्मे श्री आनंद मधुकर आईआरपीएस (भारतीय रेल कार्मिक सेवा) के 1997 बैच अधिकारी हैं। अभी वे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में उन्होंने 4 दिसंबर 1918 को कार्यभार संभाला। श्री मधुकर ने हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने यूसीएलए, बर्कले विश्वविद्यालय से नीति तथा अभिशासन में एक अल्पावधिक पाठ्यक्रम भी किया है तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नेगोशिएशन कौशल का पाठ्यक्रम भी किया है।

श्री आनंद मधुकर को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का 21 वर्षो का सुदीर्घ अनुभव है। इनमें कुछ इस प्रकार हैः

1. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर डिवीजन। प्रायः 22000 कर्मचारियों के मानव संसाधन विभाग के प्रदान का दायित्व निभाया है।
2. रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व रेलवे के अध्यक्ष के रूप समूह डी के लिए प्राप्त प्रायः 8 लाख आवेदकों से में करीब 2500 भर्तियां कीं हैं।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय में निदेशक (एसीसी) के रूप में उन्होंने सीपीएसई,पीएसबी, स्वशासी निकायों, ट्रिब्यूनलों में वरिष्ठ नियुक्तियां सम्पादित की हैं। इस क्रम में उन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्र करने तथा भारत सरकार की मानव संसाधन नीतियों को विहंगम दृष्टि से देखने का अवसर मिला है। उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें वर्ष 2008-09 का रेल मंत्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

श्री अमित चटर्जी, निदेशक

श्री अमित चटर्जी भारत सरकार के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे भारतीय राजस्व सेवा के 1979 बैच के अधिकारी रहे हैं। नीति संबंधी मामलों को निर्देशित करने का उनका व्यापक अनुभव है और उन्होंने वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शक्ति और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों में उच्च पदों पर कार्य किया है।

2.2.1 Brief Profiles of the new directors appointed on the Board:

Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO

Born on December 26, 1964,Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank on November 02, 2018. Prior to his elevation as MD & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India.

Shri A K Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

As Executive Director in Union Bank of India, Shri Goel handled almost all key portfolios like Large Corporate, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. Through his rich knowledge and experience, his contribution especially to Large Corporate and Balance sheet Management department is immeasurable. During his stint at Allahabad Bank, Shri A K Goel handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO). He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank.

Shri A K Goel has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi apart from member of Taxation Committee in IBA. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

Shri Anand Madhukar, Director

Born on November 30, 1972, Shri Anand Madhukar is an IRPS (Indian Railway Personnel Service) Officer of 1997 Batch. At present, he is posted as Officer on Special Duty in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He has joined Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f December 04, 2018. Shri Madhukar holds a Masters Degree in History from Hansraj College, Delhi University. He has also pursued short term courses on Ethics and Governance from UCLA, Berkeley and on Negotiation Strategies from London School of Economics.

Shri Anand Madhukar has experience of around 21 years and has held several significant positions which include:

1. Senior Divisional Personnel Officer of Chakradharpur Division of South Eastern Railway heading HR functions for approximately 22,000 employees.
2. As Chairman of Railway Recruitment Cell of South Eastern Railway handled Group D recruitment for app. 2500 vacancies having 8 lakhs applicants.
3. As Director (ACC) in DOPT handled senior appointments in CPSEs, PSBs, Autonomous Bodies, Tribunals etc. requiring approval of the Appointments Committee of the Cabinet, getting a bird's-eye view of the HR policies of the Govt. of India in the process. He was awarded with Minister of Railways Award for outstanding performance for the year 2008-09.

Shri Amit Chatterjee, Director

Shri Amit Chatterjee is a retired Senior Government of India Officer and was earlier with the Indian Revenue Service (1979 Batch). He has extensive background in directing policy matters and has held senior positions in the Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Power and Ministries of Commerce & Industry.

श्री अमित चटर्जी को लगभग 35 वर्षों का व्यापक पेशेवर अनुभव है जिसमें 15 वर्ष तक भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का अनुभव भी शामिल है। इसके पहले वे मुख्य आयुक्त आयकर, मुंबई और दिल्ली, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अवर सचिव ऊर्जा मंत्रालय थे। इन विभिन्न पदस्थापनाओं ने उन्हें अनेक राज्यों में काम करने का अवसर दिया। वे राज्य हैंः गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उन्होंने निर्वाचन आयोग के चुनाव पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में विभिन्न राज्यों में यथा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ समूहों में काम किया है। इस प्रकार उन्हें व्यापक विषयों पर काम करने का अवसर मिला। जैसे प्लांटेशन सेक्टर को रिजूवनेट करने, चाय/कॉफी/रबर/तंबाकू/मसाले जैसी फसलों के छोटे उत्पादकों को सहायता पहुंचाने; फसल बीमा के माध्यम से काम करने; रोपण क्षेत्र में फसल बीमा, वित्त मंत्रालय के अधीन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण; आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर की विशेष धाराओं की प्रभाविता का अध्ययन; छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कार्पोरेट नीति बनाने; तथा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि का गठन करने; जल विद्युत क्षेत्र में शक्ति प्रतियोजनाओं के द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधीयन; बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का संयुक्त क्षेत्र कार्यान्वयन; भारत सरकार में राजभाषा पर संसदीय समिति के परामर्शी दल; अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लधु अंदमान के आर्थिक पिछड़ेपन के आकलन के क्षेत्र में काम करने का अनुभव शामिल है।

श्री अमित चटर्जी मॉडर्न स्कूल दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक प्रतिष्ठा के साथ अर्थशास्त्र में उपाधि प्राप्त की है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने फैकेल्टी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली से एमबीए (वित्त) में उपाधि तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली से लोक प्रशासन में एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने देश - विदेश की व्यापक यात्राएं कीं हैं।

श्री अमित चटर्जी ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसमें शामिल है वाटरहन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेंसिलवेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका; जार्जटाउन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूके; नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी; नेशनल अकाडेमी आफ डायरेक्ट टैक्सेस, नागपुर तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलुरु शामिल है। उन्होंने काफराल, मुंबई तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद के साथ-साथ सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम इन आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर बोर्ड मेंबर्स ने भाग लिया है।

इन सब चीजों के अतिरिक्त श्री अमित चटर्जी निम्नलिखित कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे हैंः

i. देना बैंक, स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार के नामिती - जनवरी 2016 से जनवरी 2019

ii. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय) के नामिती, अनुशासन संबंधी बोर्ड बैंच 2016 से 2019

iii. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा अनुशासन मेकामिज़्म तथा आईसीएआई/आईसीएसआई/आईसीएमए - 2018 के पेशेवरों की कार्यप्रणाली का रिव्यू करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्य।

iv. केसीएस फाउंडेशन दिल्ली जो दिल्ली और उत्तराखंड में वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित एक एनजीओ है, के सदस्य।

Shri Amit Chatterjee has professional expertise and special skills acquired over 35 years of experience in the Government of India, including 15 years at Joint Secretary level and above. He was earlier posted as Chief Commissioner of Income Tax Mumbai/Delhi, Joint Secretary Ministry of Commerce, Director Ministry of Corporate Affairs and Under Secretary Ministry of Power. His postings have taken him to various states including Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra and NCT Delhi. He has also served in the Election Commission of India as Election Observer in various states including Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

During his service period, he has served on various Committees and Expert Groups, covering a wide range of subjects like Rejuvenation of the Plantation Sector and Small Growers of Tea/Coffee/Rubber/Tobacco/Spices; Crop Insurance for the Plantation Sector; Computerization of the Direct Tax and Indirect Tax Departments in the Ministry of Finance; Assessing the Efficacy of specific Sections of Direct Tax Laws under the Income tax Act; Development of Corporate Policy for protection of Small Investors and Setting up of Investor Education and Protection Fund; Bilateral/Multilateral Funding of Power projects in the Hydro Electric Sector; Joint Sector Implementation of Large Hydro Electric Projects; Advisory Board to Parliamentary Committees on Implementation of Official Language Policy in the Government of India; Assessment of Economic Backwardness of Little Andaman Island in the Andaman and Nicobar Group of Islands.

Shri Amit Chatterjee is an alumnus of Modern High School Delhi and holds the degrees of BA (Hons) Economics St Stephen's College Delhi, MA Economics Delhi School of Economics, MBA (Finance) Faculty of Management Studies Delhi & MPhil (Public Administration) Indian Institute of Public Administration Delhi. He has widely travelled in India and abroad.

Shri Amit Chatterjee has attended several professional programmes at prestigious institutions including Wharton Business School, University of Pennsylvania USA, Georgetown University USA, London School of Economics UK, National Academy of Administration Mussoorie, National Academy of Direct Taxes Nagpur and Indian Institute of Management Bangalore. He has also attended several professional programmes with the Centre for Advanced Financial Research & Learning (CAFRAL) Mumbai and the Institute for development and Research in Banking Technology (IDRBT), Hyderabad, including Certification Programme in IT and Cyber security for Board members.

Shri Amit Chatterjee has been, inter alia, associated with the following advisories/directorships:

i. Dena Bank (Independent Director nominated by Government of India) (January 2016 - January 2019).

ii. Institute of Chartered Accountants of India (Government of India, Ministry of Corporate Affairs Nominee on Disciplinary Board/Bench) (2016-19).

iii. Member High Level Committee constituted by Ministry of Corporate Affairs to Review the Disciplinary Mechanism & Functioning of Professionals of ICAI/ICSI/ICMA - 2018.

iv. CKS Foundation Delhi (NGO dedicated to education for underprivileged children in Delhi & Uttaranchal).

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

श्री अजय व्यास को भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ सं. 4/ 5/ 2018 - बीओ.I दिनांक 03.04.2019 के माध्यम से निदेशक के रूपमें नियुक्त किए गए हैं। यह अधिसूचना अवर सचिव भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। श्री अजय व्यास ने दिनांक 03.04.2019 को कार्यभार ग्रहण किया।

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Shri Ajay Vyas, has been appointed as Executive Director on the Board of our Bank by Government of India, vide Notification No. F.No.4/5/2018-BO.I dated 03.04.2019 issued by the Under Secretary to the Government of India, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and Mr. Ajay Vyas took the office on 03.04.2019.

2.2.2 दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा दिए हुए निदेशकगण

2.2.2 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2019:

क्र.सं. SI No	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निम्नलिखित तारीख से समाप्त निदेशक पद Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री आर के टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (सेवानिवृत्त) Shri R K Takkar, MD & CEO (Retired)	02.11.2015	01.11.2018	07
2	श्री जी सुब्रह्मनिया अय्यर, कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त) Shri G Subramania Iyer, Executive Director (Retired)	01.02.2016	30.04.2018	09
3	श्रीमती सिंधु पिल्लई, निदेशक (डीएफएस की अधिसूचना दिनांक 04.12.2018 के अनुसार सेवा अवधि समाप्त) Ms Sindhu Pillai, Director (tenure ended as per DFS Notification dated 04.12.2018)	30.12.2015	04.12.2018	09

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 14 बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 14 (fourteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

12.04.2018	27.04.2018	11.05.2018	26.06.2018	27.07.2018	10.08.2018	27.09.2018
30.10.2018	12.11.2018	27.11.2018	20.12.2018	17.01.2019	08.02.2019	23.03.2019

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेश मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम (तीन) निदेशकों की जगह 05 (पांच) निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the variouscommittees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with 5 (five) directors as against minimum of 3 (three) directors stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all

है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में सनदी लेखाकार श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, सरकार के नामिती निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यपालक निदेशक श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर समिति में आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में इस समिति की 6 बैठकें आयोजित की गईं।

12.04.2018	11.05.2018	26.06.2018	10.08.2018
27.09.2018	12.11.2018	28.11.2018	08.02.2019

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छः महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव।

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है।

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव, और

iv) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ऐ. के. गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, श्री अमित चटर्जी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं श्री रजीवन नायर निदेशक शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 11 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB, at present, comprises Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category as its Chairman, and Shri Charan Singh, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director as its members. During the period under review, 8 (eight) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Clause 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

12.04.2018	11.05.2018	26.06.2018	10.08.2018
27.09.2018	12.11.2018	28.11.2018	08.02.2019

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c)of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970and two directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

i) High value credit/loan, compromise and write-off proposals,

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and

iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB, at present, comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Charan Singh, Executive Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Shri AmitChatterjee, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director appointed under shareholder category as its members.

3.2.3 During the period under review, 11 (eleven) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

12.04.2018	27.06.2018	27.07.2018	10.10.2018	30.10.2018	27.11.2018
20.12.2018	17.01.2019	07.02.2019	07.03.2019	23.03.2019	

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 यह समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती हैं जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ऐ. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा, एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत श्री रजिवन नायर निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

12.04.2018	27.06.2018	27.11.2018	24.03.2019

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा - धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का त्वरित निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

3.4.2 वर्तमान में शेयरधारक संबंध समिति में समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 बैठक दिनांक 27.09.2018 को आयोजित की गई थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण किया गया।

3.5 निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति:

3.5.1 यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतरण आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए/गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है।

3.5.2 वर्तमान में शेयर अंतरण समिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह तथा सनदी लेखाकार श्रणी के अंतर्गत निदेशक श्री अनिल शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.5.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 02 बैठकें दिनांक 26.06.2018 **एवं** 24.03.2019 को आयेजित की गईं।

3.6. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बोड की पारिश्रमिक समिति कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन राशि की हकदारी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

3.6.2 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति में (i) सरकार के नामिती निदेशक (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक और (iii) दो अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.6.3 समिति में सभी भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री अनंद मधुकर, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक, डॉ. अरविद शर्मा, सीए श्रेणी के अंतर्गत, निदेशक श्री अनिल शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साह, शेयर धारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के. राजिवन नायर, निदेशक शामिल है।

3.6.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दि. 27.07.2018 को आयोजित हुई थी।

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB, at present, comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, and ShriCharan Singh, Executive Director, Dr. AsishSaha, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

12.04.2018	27.06.2018	27.11.2018	24.03.2019

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Stake Holders' Relationship Committee of the Board is constituted under the Chairmanship of Non-executive Director for speedy redressal of complaints/ grievances of shareholders/ investors, like, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee, at present, comprises Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category as its Chairman, and Shri Charan Singh, Executive Director of the Bank, as its members.

3.4.3 During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 27.09.2018. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.5 Share Transfer Committee of the Board:

3.5.1 The Committee is constituted to approve and affect transfer/ transmission/ transposition etc. of Bank's shares held in physical form as also approval on the requests/ proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/ misplaced/ stolen.

3.5.2 The Committee, at present, comprises ShriCharan Singh, Executive Director of the Bank, and Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category as its members.

3.5.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee were held on the dates 26.06.2018 and 24.03.2019.

3.6 Remuneration Committee of the Board (RCB):

3.6.1 The Remuneration Committee of the Board evaluates the performance of the Bank's whole time directors for the purpose of determining their entitlement to performance-linked incentives.

3.6.2 As per Government of India guidelines, shall consist of (i) Government Nominee Director, (ii) RBI Nominee Director, and (iii) two other Part-time Non-official directors.

3.6.3 The Committee, at present, comprisesShriAnandMadhukar, Govt. Nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Shri Anil Sharma, Director under CA category, Dr. AsishSaha, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category.

3.6.4 During the period under review, 1(one)meeting ofthe Committee was held on 27.07.2018.

3.7. बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति :

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री के. के. गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह, एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, डॉ. आशीष साह एवं शेयरधारक श्रेणी के. अंतर्गत श्री के. रिजवन नायर निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें दिनांक 27.07.2018, 27.11.2018 और 24.03.2019 को आयोजित की गईं।

3.8. निदेशक मंडल की नामांकन समिति :

3.8.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एव सही स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

3.8.2 फिलहाल निदेशक मंडल की नामांकन समिति में श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक, श्री अनिल शर्मा, सीए श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, डॉ. आशीष साह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.8.3 आवश्यकता अनुसार बैठक की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की कोई भी बैठक नहीं आयोजित की गईं।

3.9. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.9.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.9.2 समिति का उद्देश्य:

i) जनसेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.9.3 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ऐ. के. गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह,सरकार के नामिती निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं श्री के. राजिवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 बैठकें इन तारीखो को हुई:

27.04.2018	10.08.2018	28.11.2018	07.02.2019

3.7 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving Rs.1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 At present, the Committee comprises of Shri A. K. Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman,ShriCharan Singh, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr AsishSaha, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates 27.07.2018, 27.11.2018 and 24.03.2019.

3.8 Nomination Committee of the Board:

3.8.1 The Nomination Committee of the Board is constituted in compliance with the directives of Reserve Bank of India that undertakes the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors/ persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.2 At present, the Nomination Committee of the Board comprises ShriAnandMadhukar, Govt. Nominee Director, Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category, Dr. AsishSaha, Part-time Non-official Director, ShriAmitChatterjee, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Shareholder Director as members of the Committee.

3.8.3 The frequency of the meeting is as and when required. During the period under review, no meeting of the Committee was held.

3.9 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.9.2 Objectives of the Committee:

i) To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.9.3 At present, the Committee comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, ShriCharan Singh, Executive Director, Sri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.9.4 During the period under review,4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

27.04.2018	10.08.2018	28.11.2018	07.02.2019

3.10 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (बोर्ड की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.1 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ऐ. के. गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं; कार्यपालक निदेशक, श्री चरण सिंह, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं डॉ. आशीष साहा, अंशकलिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप मे शामिल हैं।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टॉफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

उपर्युक्त मद सीधे वोर्ड से संबंधित है और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नही हुई।

3.10.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 07.02.2019 को समिति की 1 (एक) बैठक आयोजित हुई।

3.11. निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.11.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

3.11.2 वर्तमान में इस समिति में सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, सरकार के नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर, निदेशक श्री अनिल शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत, श्री अमित चटर्जी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के. राजिवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें दिनांक 27.04.2018, 27.07.2018, 28.11.2018 एवं 24.03.2019. को आयोजित की गई।

3.12. एनपीए वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.12.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.1 At present, the Committee comprises of ShriAtul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, ShriCharan Singh, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. AsishSaha, Part-time Non-official Director as its members.

3.10.2 Objectives of the Committee:

i) To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,

iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,

iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and

v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.10.3 During the period under review,1 (one) meeting of the Committee was held on 07.02.2019.

3.11 IT Strategy Committee of the Board:

3.11.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.11.2 At present, the Committee comprises Shri Charan Singh, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director, Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category, Shri Amit Chatterjee, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.11.3 During the period under review 04 (four) meetings of the committee were held on the dates 27.04.2018, 27.07.2018, 28.11.2018 and 24.03.2019.

3.12 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.12.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.12.2 वर्तमान में इस समिति में, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ऐ.के.गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, श्री आनंद मधुकर, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री अमित चैटर्जी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 6 (छह) बैठकें 27.04.2018, 27.07.2018, 27.11.2018, 17.01.2019, 07.02.2019 एवं 24.03.2019. को आयोजित की गई।

3.13 अपील मामलों के बोर्ड की निपटान समिति:

3.13.1 अनुशासन प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए यह समिति अपील मामलों के निपटान गठित की गई है।

3.13.2 वर्तमान में अपील मामलों के निपटान की समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा, गैर-सरकारी निदेशक, श्री अमित चटर्जी अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 पिछले वर्ष के दौरान समिति की 6 (छह) बैठकें 27.04.2018, 27.07.2018, 10.08.2018, 27.09.2018, 07.02.2019 एवं 23.03.2019. को आयोजित की गई।

3.14 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.14.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) और इसके अतिरिक्त इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं जो जान-बूझकर चूक करनेवाला घोषित करने हेतु जान-बूझकर चूक करने वाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों को सुनिश्चित करते हैं।

3.14.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं एवं श्री अनिल शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं श्री अमित चटर्जी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.14.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तिन 05 (पाँच) बैंठकें क्रमशः 12.04.2018, 27.06.2018, 27.09.2018, 27.11.2018 एवं 24.03.2019 को आयोजित की गई।

3.15 ईएसपीएस पर निदेशकों की समिति

3.15.1 यूको बैंक एसपीएस को अंतिम रूप देने के लिए तथा यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना 2019 के अंतर्गत निर्गत किए जाने वाले शेयरों की कीमत तय करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को लेकर निदेशकों की एक समिति गठित की गई।

3.15.2 इस समिति में श्री अनिल शर्मा, चार्टर्ड एकांटेंट कोटि के अंतर्गत नामित निदेशक, श्री आशीष साहा, गैर सरकारी निदेशक तथा श्री राजीवन नायर, शेयर धारक कोटि के अंतर्गत नामित निदेशक शामिल थे।

3.15.3 समीक्षाधीन अवधि में इस समिति की बैठक दिनांक 17.01.2019 को सम्पन्न हुई। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Charan Singh, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri Amit Chatterjee, Part-time Non-official Director as its members.

3.12.3 During the period under review, 6 (six) meetings of the committee were held on dates 27.04.2018, 27.07.2018, 27.11.2018, 17.01.2019, 07.02.2019 and 24.03.2019.

3.13 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.13.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.13.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Shri Anil Sharma,Director under Chartered Accountant Category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri Amit Chatterjee, Part-time Non-official Director as its members.

3.13.3 During the period under review, 6 (six) meetings of the Committee were held on the dates 27.04.2018, 27.07.2018, 10.08.2018, 27.09.2018, 07.02.2019 and 23.03.2019.

3.14 Review Committee (Willful Defaulters):

3.14.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.14.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, and Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri Amit Chatterjee, Part-time Non-official Director as its members.

3.14.3 During the period under review, 05 (five) meetings of the Committee were held on the dates 12.04.2018, 27.06.2018, 27.09.2018, 27.11.2018 and 24.03.2019.

3.15 Committee of Directors on ESPS:

3.15.1 A Committee of Directors comprising of part time non official directors is constituted by the Board of the Bank for finalizing UCO Bank ESPS 2019 and pricing of the equity shares to be issued under the UCO Bank Employees Share Purchase Scheme 2019.

3.15.2 The committee comprises of Shri Anil Sharma, Director under Chartered Accountant category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Sri Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.15.3 During the period under review the committee met on 17.01.2019. All the members were present at the meeting.

4 निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

	Meetings of the									
निदेशक का नाम	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी (मानव मामले संसाधन समिति) HR related issues of the Bank (HR Committee)	
Name of Director	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	6	6	6	6	2	2	2	2	1	1
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	14	13	11	10	4	4	4	4	1	1
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	4	3	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	0
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	14	13	11	10	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	14	14	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	14	11	11	11	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	4	3	1	1
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	1	1	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	14	9	7	6	4	3	4	3	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri R. K. Takkar, Erstwhile MD & CEO	8	7	5	5	2	2	2	2	0	0
श्री जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Shri G. S. Iyer, Erstwhile Executive Director	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
सुश्री सिंधु पिल्लई निदेशक Ms. Sindhu Pillai Erstwhile Director	10	6	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	3	2	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0

निदेशक का नाम Name of Director	बैठक/Meetings of the एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की आईटी कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंधी समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	4	4	2	2	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	6	5	3	3	8	8	4	4	2	2
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	3	1	1	0	1	0	1	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	8	7	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	8	8	4	4	2	2
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	5	5	2	2	2	2	2	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	1	1
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	3	3	3	1	4	4	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri R. K. Takkar, Erstwhile MD & CEO	2	2	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Shri G. S. Iyer, Erstwhile Executive Director	1	1	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	0	0
सुश्री सिंधु पिल्लई निदेशक Ms. Sindhu Pillai Erstwhile Director	3	2	2	1	7	4	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee of the Board		निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committiee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committiee of the Board		निदेशक मंडल की अपिल मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	2	2
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	2	2	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0	0	0	2	2	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	6	5	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	2	2	1	1	0	0	6	6	5	5
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	0	0	6	4	5	5
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0	1	0	1	1
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri R. K. Takkar, Erstwhile MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	3	3
श्री जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Shri G. S. Iyer, Erstwhile Executive Director	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
सुश्री सिंधु पिल्लई निदेशक Ms. Sindhu Pillai Erstwhile Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	1	0	0	3	3	1	0

नोट/Notes:

1. *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैंठकें / No. of meetings held during the tenure of the Director
2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	**तारीख एवं दिन** Date and Day	**समय** Time	**स्थान** Venue
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	7 मई, 2018 7th May, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
13वीं वार्षिक आम बैठक 13th Annual General Meeting	29 जून, 2016 29th June, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	मिनि ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यु, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata – 700046
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	17 सितंबर, 2016 17th September, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	5 नवंबर, 2016 5th November, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
14वीं वार्षिक आम बैठक 14th Annual General Meeting	28 जून, 2017 28th June, 2017	10.30 बजे 10.30 A.M.	इस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर (ईजेडसीसी), आई बी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्टलेक, कोलकाता - 700 006 Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC), IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata - 700 006
15वीं वार्षिक आम बैठक 15th Annual General Meeting	27 जून, 2018 27th June, 2018	10.30 बजे 10.30 A.M.	मिनि ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यु, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata – 700046
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	20 फरवरी, 2019 20th February, 2019	11.00 बजे 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलिपुर कोलकाता - 700 027 Basha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	25 मार्च, 2019 25th March, 2019	11.00 बजे 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलिपुर कोलकाता - 700 027 Basha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए दिनांक 26.10.2017 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई थी। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तक बैंक को केवल एक नामांकन श्री के.राजीवन नायर का प्राप्त हुआ। चुंकि बैंक को केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ, अत: यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 66 (1) के तहत श्री राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना गया। दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था।

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 27 जून, 2018 को मिनि ऑडिटोरियम, साइंस सीटी हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यु, कोलकाता - 700 046 में संपन्न हुई थी। श्री आर. के. टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री चरण सिंह, कार्यपलक निदेशक एवं श्री अनिल शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

4.1.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) दिनांक 7 मई, 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेवी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹41.47 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 22,54,64,190 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

ii) दिनांक 17 सितंबर, 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को ₹41.45 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 18,69,72,255 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

iii) दिनांक 05 नबम्बर 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 37.74 प्रति शेयर निर्गममूल्य पर 7,17,00,000 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

iv) 28 जून, 2017 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए। इन विशेष संकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों ने i) फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/अर्ह सांस्थिक प्लेसमेंट तथा/या अन्य पूँजी उत्थापन विकल्पों के माध्यम से 10 रुपये प्रत्यक के 70,00,00,000 एक्विटी शेयर जारी करने ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारियों को 5,00,00,000 एक्विटी शेयर जारी करने iii) भारत सरकार को अधिमानिता के आधार पर 1150 करोड़ रुपये के उनके पूँजी अवदान के लिए 37.44 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 30,71,58,119 (तीस

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 26.10.2017 for election of one shareholder director from amongst the shareholders other than Central Government under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received only one nomination from Shri K. Rajivan Nair before last date fixed for filing nomination. Since Bank has received only one valid nomination, Shri Rajivan Nair is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003.Extraordinary General Meeting scheduled on 12th December, 2017 stand cancelled since there is no other agenda to be transacted at the meeting.

4.1.1. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 27th June, 2018 at Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata - 700046. Shri R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Charan Singh, Executive Director and Shri Anil Sharma, Part-time non official Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

4.1.2. Special Resolutions passed during last three years

i) In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 22,54,64,190 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.47 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulation 2009.

ii) In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on17th September, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 18,69,72,255 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.45 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDE Regulations 2009.

iii) In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 5th November, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 7,17,00,000 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹37.74 per share determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulation 2009.

iv) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 28th June, 2017, three special resolutions have been passed through which the following approvals have been accorded by the shareholders for i) Issue of 70,00,00,000 equity shares of ₹10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options, ii) issue of 5,00,00,000 equity shares to employees under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of upto 30,71,58,119 (Thirty Crore Seventy one lakh Fifty Eight thousand One hundred Nineteen) equity shares to

करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हज़ार एक सौ उन्नीस) तक एक्विटी शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया।

v) जैसा कि 12.02.2018 के डाक बैलट की नोटिस में कहा गया है, बैंक के शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 6507 करोड़ रुपये के प्राप्त कुल पूँजी निवेश की एवज में 31.16 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 208, 82, 54,172 एक्विटी शेयर जारी करने का विशेष संकल्प पारित किया है।

vi) 27 जून, 2018 को शेयरधारकों की सम्पन्न हुई वार्षिक आम बैठक में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/अर्ह सांस्थिक प्लेसमेंट तथा/या अन्य पूँजी उत्थापन विकल्पों के माध्यम से 10 रुपये प्रत्येक के 150,00,00,000 एक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया।

vii) 20 फरवरी 2019 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए हैं। इन विशेष संकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों ने i) भारत सरकार को उनसे प्राप्त 3076 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की एवज में अधिमानिता के आधार पर सेवी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (1) के अनुसरण में 20.95 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 146, 82, 57, 756 एक्विटी शेयर निर्गत तथा आबंटित करने ii) कर्मचारियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारी शेयर खरीद योजना नामतः यूको बैंक ईएसपीएस 2019 के माध्यम से 20,00,00,000 एक्विटी शेयर निर्गत करने ंंं) अर्ह सांस्थिक प्लेसमेंट के माध्यम से 1000 करोड़ की समग्र राशि का एक्विटी शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया।

viii) 25 मार्च 2019 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसके माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक के निदेशक मंडल को अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को उनसे प्राप्त 3330 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की एवज में अधिमानिता के आधार पर सेवी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (1) के अंतर्गत नियत किए गए 19.01 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 175, 17, 09, 626 एक्विटी शेयर निर्गत तथा आबंटित करने में सक्षम बनाया।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) नियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नांकित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

Government of India at an issue price of ₹37.44 per equity share on preferential basis against their capital contribution of ₹1150 crores.

v) Shareholders of the Bank approved special resolution as contained in notice of postal ballot dated 12.02.2018 for issue of 208,82,54,172 equity shares at an issue price of ₹31.16 per share against aggregate capital infusion of ₹6507 Crore received during the financial year 2017-18.

vi) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 27th June, 2018, aspecial resolutionpassedfor issue of 150,00,00,000 equity shares of ₹10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

vii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 20th February, 2019 three special resolutions have been passed through which following approvals have been accorded by the shareholders of the Bank (i) for issue and allot of 146,82,57,756 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹20.95 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of ₹3076 Crore.ii) Issue of 20,00,00,000 equity shares to employees through Employees Share Purchase Scheme namely UCO Bank ESPS 2019 under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of equity shares for an aggregate amount of ₹1000 Crores through Qualified Institutional Placement.

viii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 25th March, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 175,17,09,626 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹19.01 pershare determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of ₹3330 Crore.

5.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In terms of SEBI directives, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

5.1.Remuneration of Directors:

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director& CEO and Executive Director is fixed by the Central Government. Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

5.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

5.3.1 दिनांक 31 मार्च 1919 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानिता के आधार पर आबंटन के द्वारा रु3076 करोड़ तथा रु3300 करोड़ की पूंजी उत्थापित की। इस प्रकार उत्थापित की गई पूंजी का उपयोग कॉमन इक्विटी एंड टियर - I पूंजी के लिए किया गया। बैंक ने पब्लिक अथवा राइट इशु के माध्यम से कोई एक्विटी शेयर जारी नहीं किया।

5.3.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने यूको बैंक एसपीएस 2019 के तहत 18,70,89,228 शेयरों की आबंटन राशि तथा अवेदन प्राप्त किए। इस प्रकार प्राप्त राशि को शेयर आबंटित न किए जाने तक शेयर आवेदन राशि के रूप में रखा गया है।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित मसौदे के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वर्ष के दौरान पूंजी बाजार लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

5.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2019 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https://www.ucobank.com/aboutus /Policies /Related Party Transaction Policy. पर दी गई है।

6.0 अनिवार्य/गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का बैंक ने अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

5.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3.Proceedsfrom Public Issues etc.

5.3.1 During the financial year ended on 31st March, 2019, the Bank has raised ₹3076 Crore and ₹3330 Crore through preferential allotment of equity shares to Government of India. The capital raised was utilised for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier- I capital of the Bank. Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue.

5.3.2 During the financial year 2018-19, Bank has received application and allotment money for 18,70,89,228 shares issued to the employees of the Bank under UCO Bank ESPS 2019 and the money was maintained under share application money pending allotment of shares.

5.4. The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/ regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

5.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2019. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/aboutus / Policies /Related Party Transaction Policy.

6.0. Compliance to Mandatory/Non-Mandatory Requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under :

अपेक्षा / Requirement	अनुपालन / Compliance
बैंक को अपने और शेयरधारकों की ओर से संदर्भ की सहमत शर्तों सहित कार्यपालक निदेशकों को विशेष रिम्युनरेशन पैकेज एवं पेंशन अधिकार तथा अन्य क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में निर्धारण हेतु रिम्युनरेशन समिति गठित करके बैंक की नीति बनानी चाहिए। The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिम्युनरेशन पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने रिम्युनरेशन समिति गठित की है। Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.
व्हिसिल ब्लोअर नीति : अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट या बैंक की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अपनी चिंताओं से अवगत कराने तथा को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक एक प्रणाली विकसित करे है। **Whistle Blower Policy :** The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	बैंक ने एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी वनाई है दी है। लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने में किसी भी कर्मिक को रोका नहीं गया है। The Bank has put in place a Whistle Blower policy. No personnel has been denied access to the Audit Committee.

7.0 संचार के साधन:

7.1 बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2018, 30.09.2018 एवं 31.12.2018 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल ईक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अत: 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

7.0. Means of Communication :

7.1. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank,com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2. As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2018, 30.09.2018 & 31.12.2018 were published within the prescribed time limit in widely circulated English and Bengali dailies.

8.0. General Shareholders Information:

8.1.0. Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders:

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0

8.2.0 स्टाक एक्सचेंजों का सूचीकरण :

बैंक के ईक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

8.2.0. Listing on Stock Exchanges:

The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges:

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कोड Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCOBANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े/मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:

निफ्टी की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. NIFTY

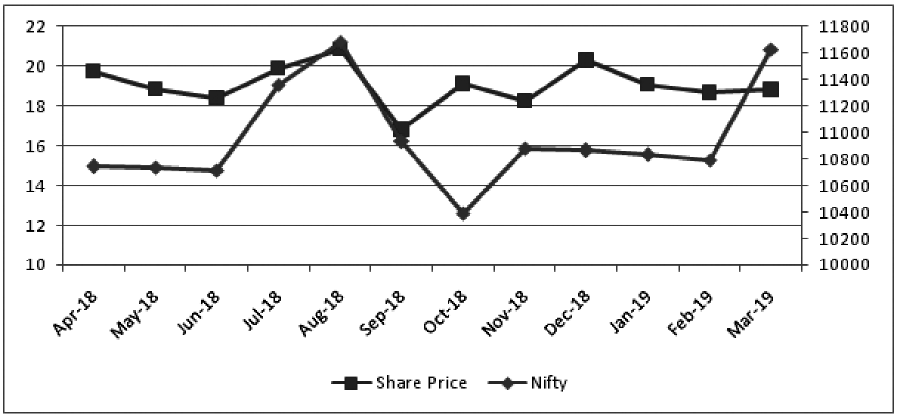

बैंकेक्स की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. BANKEX

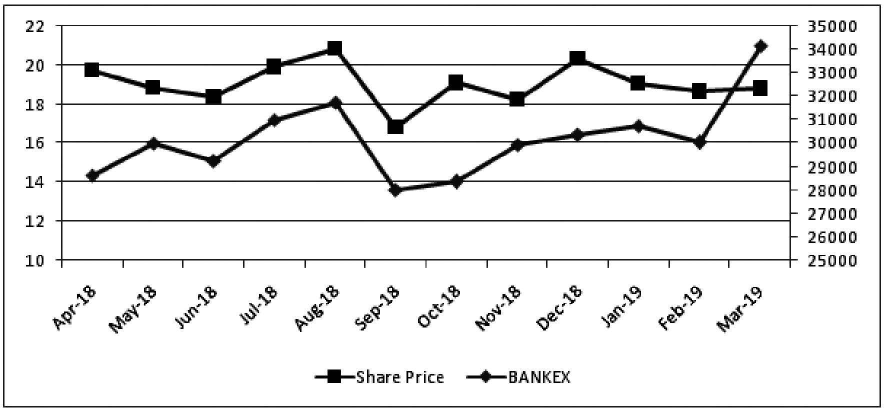

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान द नेशनल स्टाक एकसचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) नबंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2018-19 were as follows ::

माह Month	बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E				नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-18	23.30	19.15	19.75	5.24	23.25	18.25	19.75	52.80
मई/May-18	21.40	17.65	19.00	2.54	20.40	17.60	18.85	22.12
जून/Jun-18	21.60	17.75	18.35	3.66	21.10	17.85	18.40	40.32
जुलाई/Jul-18	20.45	17.60	19.95	2.19	20.40	17.70	19.90	26.80
अगस्त/Aug-18	21.30	18.50	20.90	3.08	21.35	18.70	20.85	40.03
सितंबर/Sep-18	22.70	16.70	16.80	2.99	21.95	16.70	16.80	36.13
अक्तूबर/Oct-18	19.75	15.30	19.10	2.68	19.75	15.25	19.10	25.12
नवंबर/Nov-18	22.40	18.10	18.25	5.44	22.35	18.25	18.25	49.03
दिसंबर/Dec-18	22.00	17.30	20.25	4.34	21.10	17.25	20.30	36.50
जनवरी/Jan-19	23.40	18.30	18.95	7.76	23.50	18.05	19.05	70.93
फरवरी/Feb-19	19.80	16.75	18.65	2.48	19.70	16.70	18.65	18.59
मार्च/Mar-19	20.10	18.20	18.75	4.12	20.00	18.20	18.80	25.46

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0. प्रति शेयर आंकड़ा/Per Share Data

मानदंड/Parameter	31.03.2018	31.03.2019
अंकित मूल्य / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव / Market Quotation (₹)	21.60 (एनएसई में /at NSE)	18.80 (एनएसई में/at NSE)

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीएसडीएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए01018 है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण:

8.5.0. Dematerialisation of the Shares

8.5.1. The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

8.5.2. Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2019.

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	10771403	0.20
एनएसडीएल/NSDL	319038174	5.88
सीडीएसएल/CDSL	5093588627	93.92
योग/Total	5423398204	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.3. The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.6.0 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

8.5.4. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0. Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	**लाभांश प्रति शेयर (₹)** Dividend Per Share (₹)	**वर्ष** Year	**लाभांश प्रति शेयर (₹)** Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2008-09	1.00	2014-15	2.00
		2015-16 to 2018-19	NIL

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

8.6.2 दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और मालिकों ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमेटेरलाएज़ करें।

दिनांक 31.03.2019 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार हैः

8.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11 to IEPF.

8.6.2. Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/ owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2019 :

क्र.सं. Sl No	**विवरण** Particulars	**शेयरधारकों की सं.** No. of shareholders	**शामिल शेयरों की सं.** No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2018	204	28100
ii.	वर्ष 2018-19 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2018-19	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2019	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

8.7 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

8.7. Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है।

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares.

8.8 बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे निम्नलिखित पते पर किए जाएं:

8.8. M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

मेसर्स कार्वी फिंटेक प्रा.लि. (इकाई: यूको बैंक) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट नं. 31-32, गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032	संपर्क: टेलीफोन: 040 - 67161500 फैक्स: 040 - 23420814 टोल फ्री सं.: 1800-345-4001 ई-मेल: einward.ris@karvy.com
M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Unit : UCO Bank) Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032	Contact No: Phone: 040-67161500 Fax: 040-23420814 Toll Free No.:1800-345-4001 e-mail: einward.ris@karvy.com

बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2019 is as under:

1.	**1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/** Pending complaints as on 1st April, 2018	शून्य NIL
2.	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/** Complaints received during the year ended on 31.03.2019	845
3.	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें/** Complaints disposed of during the year ended on 31.03.2019	845
4.	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/** Complaints pending as on 31.03.2019	शून्य NIL

9.0 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2019

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का% % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता			
A. Promotes' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	5059439780	93.29
आ. संस्थाएं			
B.Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक			
Foreign Portfolio Investors	29	16538553	0.30
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	12	1768233	0.04
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	5	228088066	4.21
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	1	197	0.00
इ/C. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital up to ₹2 lakhs	294112	90945889	1.68
ii. ₹ 2 लाख के अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	222	12017353	0.22
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी			
NBFCs Registered with RBI	11	144819	0.00
ई/D. अन्य/Others			
न्यास / Trust	16	43523	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	902	2261062	0.04
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	98	1132469	0.02
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय			
Non Resident Indian non repatriable	613	693333	0.01
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1099	10324927	0.19
योग/ TOTAL	**297121**	**5423398204**	**100.00**

31.03.2019 को शेयरधारिता का वितरण/Distribution of Shareholding as on 31.03.2019

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	**तक/To**				
1	5000	294942	99.28	78182144	1.44
5001	10000	1292	0.43	9499831	0.18
10001	20000	518	0.17	7315292	0.13
20001	30000	151	0.05	3761489	0.07
30001	40000	54	0.02	1905870	0.04
40001	50000	40	0.01	1862917	0.03
50001	100000	61	0.02	4352947	0.08
100001	और अधिक/And above	63	0.02	5316517714	98.03
	कुल/TOTAL	**297121**	**100.00**	**5423398204**	**100.00**

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता:

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पता:
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/ शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है। ई-मेल आईडी बैंक की वेबसाइट में भी दी गई।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2018-19 का अभिन्न अंग है।

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2018-19 का अभिन्न अंग है।

10.0. Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1. Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/ Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: **hosgr.calcutta@ucobank.co.in.** The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Audit Certificate on Corporate Governance for year 2018-19 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2018-19.

12.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2018-19.

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-
(ऐ. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2019.

For UCO Bank

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

अनुलग्नक-I

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमो में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते आर एम लाल एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 000932सी

(सीए आर पी तिवारी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 071448

कृते एम सी भंडारी एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002ई

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 064393

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 311017ई

(सीए दिव्येंदु पाल चौधुरी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 016830

कृते रमा के गुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 005005सी

(सीए अंकुर गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 429684

कृते रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 001661एन

(सीए राजाराम गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 081279

स्थान : कोलकाता
दिनांक 14 मई 2019

Annexure - I

Auditor’s Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2019, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2019 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R M LALL & CO
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(CA R. P. TEWARI)
Partner
Membership No. 071448

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No.064393

For V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830

For RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(CA ANKUR GUPTA)
Partner
Membership No. 429684

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(CA RAJA RAM GUPTA)
Partner
Membership No. 081279

Place: Kolkata
Date: 14th May, 2019

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं **:**

क) हमने बैंक के वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है **:**

i. वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है**;** और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की,यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-	ह/-
राम कुमार	**ऐ. के. गोयल**
महाप्रबंधक	प्रबंध निदेशक एवं
(मुख्य वित्त अधिकारी)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 14 मई 2019

शेयरधारकों से ग्रीन पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्वी फिंटेक प्रा. लिं. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स कार्वी फिंटेक प्रा.लि.
यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67162222; फैक्स : (040)23420814

मै/हम________________________, जो भौतिक रूप में बैंक के______________ शेयर धारण किए

हुए हूँ/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

फोलियो न.______________ ई-मेल आईडी______________

____
प्रथम धारक के हस्ताक्षर

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Dear Sirs,

Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2018-19 and to the best of our knowledge and belief

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2018-19 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2018-19

   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

Yours faithfully,

	Sd/-	Sd/-
	Ram Kumar	**A. K. Goel**
Place: Kolkata	General Manager	Managing Director &
Date : 14.05.2019	(Chief Financial Officer)	Chief Executive Officer

---

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt Ltd. on the follwing format.

M/s. Karvy Fintech Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda Serilingampally,Hyderabad - 500 032

Tel : (040) 67162222; Fax : (040)23420814

I/We ____holding__________________shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No ___________________________ E-mail id ________________________

____
Signature of the first holder

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले । हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों , एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वितीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यधीन निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन -प्रणाली विद्यमान हैः

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत प्रयोज्यता के सीमा तक बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2019

To

The Members

UCO BANK

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "the bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under, to the extent applicable;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 (as amended) and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) Securities and Exchange Board of India(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

b) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ;

d) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

e) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(vi) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधिः

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक सामान्य विनियम, 1998 तथा यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित के अनुपालन की भी जॉच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया हैः

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1070 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन साधा गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक के कर्मचारियों के बीच से निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है। भारत सरकार को इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए मामला भेजा गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचानलन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके किः

f) Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

g) Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

h) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(vi) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks(Management &Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank General Regulations, 1998 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. Two directors among the employees of the Bank are not appointed as per the requirement of the above mentioned act and the matter has been referred to the Government of India for filling of the vacant positions.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके दिशानिर्देश की अवहेलना करते हुए अक्तूबर 10, 2014 से नवंबर 15, 2014 के बीच ₹50,00 से अधिक राशि के 20 आदाता के खाते वाले मांग ड्राफ्टों का, जिसकी कुल राशि ₹68,09,010 संग्रहण करने तथा उस कपट की रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए ₹20 मिलियन (रूपए बीस मिलियन मात्र) का अर्थदंड लगाया। अन्यतः, समयबद्ध कार्यान्वयन एवं स्विफ्ट संबंधी परिचालनगत नियंत्रण के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुपालन नहीं किए जाने की वज़ह से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(I)(c) के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹30 मिलियन (₹तीस मिलियन मात्र) का कुल अर्थदंड लगाया। ऐसी घटनाएं दुबारा न हों, किसके लिए बैंक ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है।

2. समीक्षाधीन अवधि में बैंक ने अधिमानिता के आधार पर बैंक के प्रोमोटर, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को निम्नलिखित रूप में नए एक्विटी शेयर जारी किए हैंः

(i) दिनांक 21.05.2018 को ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹31.16 के निर्गम मूल्य पर 164,69,83,312 एक्विटी शेयर।

(ii) दिनांक 20.02.2019 को ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹20.95 के निर्गम मूल्य पर 1,46,82,57,756 एक्विटी शेयर।

(iii) भारत सरकार में एक गजट अधिसूचना के द्वारा बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी को 21.05.2018 से ₹3000 करोड़ से वढ़ाकर ₹6000 करोड़ कर दिया है।

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725

दिनांक :28.05.2019
स्थान : कोलकाता

1. During the period under review, RBI has imposed penalty of ₹20.00 million (Rupees Twenty Million only) for non-adherence with RBI guidelines of wrongfully collecting proceeds of 20 account payee Demand Draft search in excess of ₹50,000/- amounting to ₹68,09,010/- during October 10, 2014 to November 15, 2014 and not reporting the fraud and secondly pursuant to Section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949 an aggregate penalty of ₹30.00 million(Rupees Thirty million only) was imposed on the Bank for non-compliance of the RBI direction pertaining to Time-bound implementation & SWIFT related operational controls. The Bank has put internal control system in place to prevent its recurrence.

2. During the period under review, the Bank has issued and allotted new equity shares for cash on Preferential basis to the Government of India (President of India), the promoter of the Bank as detailed below:

(i) 164,69,83,312 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹31.16 per share on 21.05.2018

(ii) 1,46,82,57,756 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹20.95 per share on 20.02.2019.

(iii) the Government of India through Official Gazette notification has increased the Authorized Share Capital of the Bank from ₹3000 Crore to ₹6000 Crore on 21.05.2018.

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725

Date: 28.05.2019
Place: Kolkata

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	31.3.2019 की स्थिति As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति As on 31.3.2018 ₹
पूंजी /Capital	1	5423 39 82	2308 15 71
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		3596 68 22	5132 00 00
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	8370 97 22	7517 02 41
जमाराशियां / Deposits	3	197906 78 17	181849 27 99
उधार Borrowings	4	8323 67 86	12449 26 19
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6862 56 73	6800 45 38
योग /TOTAL		**230484 08 02**	**216056 17 68**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए आर.पी. तिवारी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 071448
(CA R.P. TEWARI)
Partner
Membership No. 071448

वास्ते एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता क्र. 064393
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 016830
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए अंकुर गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 429684
(CA ANKUR GUPTA)
Partner
Membership No. 429684

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए राजा राम गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 081279
(CA RAJA RAM GUPTA)
Partner
Membership No. 081279

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां ASSETS	अनुसूची Schedule	31.3.2019 की स्थिति As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति As on 31.3.2018 ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8823 01 03	8125 07 91
बैकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15609 08 87	6622 95 70
निवेश/Investments	8	82231 69 18	70962 14 70
अग्रिम/Advances	9	99313 84 23	107470 02 12
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	2822 31 43	2875 10 20
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	21684 13 28	20000 87 05
योग /TOTAL		**230484 08 02**	**216056 17 68**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	87384 97 98	123488 03 12
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8538 84 34	8837 80 25

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

ऐ. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

अमित चटर्जी
निदेशक
AMIT CHATTERJEE
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2018 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	14330 63 23	14020 12 54
अन्य आय /Other Income	14	1513 51 46	1121 00 32
योग/TOTAL		**15844 14 69**	**15141 12 86**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	10019 47 85	10895 40 25
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	3064 42 43	2911 48 58
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		7081 32 70	5770 60 96
योग/TOTAL		**20165 22 98**	**19577 49 79**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		- 4321 08 29	- 4436 36 93
लाभ/(हानि) अग्रेनीत / Profit/(Loss) Brought Forward		- 5603 83 47	- 1159 64 18
योग/TOTAL		**- 9924 91 76**	**- 5596 01 11**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए आर.पी. तिवारी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 071448
(CA R.P. TEWARI)
Partner
Membership No. 071448

वास्ते एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता क्र. 064393
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 016830
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए अंकुर गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 429684
(CA ANKUR GUPTA)
Partner
Membership No. 429684

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए राजा राम गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 081279
(CA RAJA RAM GUPTA)
Partner
Membership No. 081279

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2018 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves			-
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		50 53 64	7 82 36
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer from Investment Reserve			-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend			-
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on Proposed Dividend			-
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		- 9975 45 40	- 5603 83 47
योग /TOTAL		**- 9924 91 76**	**- 5596 01 11**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ - 11.16**	**₹ - 25.23**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

ऐ. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

अमित चटर्जी
निदेशक
AMIT CHATTERJEE
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019
अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019		31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 600.00,00,000 (300,00,00,000) ईक्विटी शेयर 600,00,00,000 (300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	6000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000/- के 2,25,000 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर 2,25,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each	2250 00 00	8250 00 00	2250 00 00	5250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 542,33,98,204 (230,81,57,136) ईक्विटी शेयर 542,33,98,204 (230,81,57,136) Equity Shares of ₹ 10/- each	5423 39 82		2308 15 71	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 505,94,39,780 (194,41,98,712) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 505,94,39,780 (194,41,98,712) shares held by Central Govt.]				
		5423 39 82		2308 15 71
योग /TOTAL		**5423 39 82**		**2308 15 71**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019		31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2255 91 17		2264 56 64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year			- 8 65 47	
		2255 91 17		2255 91 17
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	463 85 37		456 03 01	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	50 53 64		7 82 36	
	514 39 01		463 85 37	
		514 39 01		463 85 37
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	2537 71 65		2507 31 34	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	15 18 82		9 44 16	
	2552 90 47		2516 75 50	
वर्ष की समाप्ति पर विदेशी शाखाओं में आस्तियों पर विनिमय अंतर से संबंधित समायोजन Exchange difference on assets at Foreign branches as at the year end.	12 11 93		25 69 32	
	2565 02 40		2542 44 82	
समायोजन* Adjustment*	9 66 05		4 73 17	
	2555 36 35		2537 71 65	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण वर्धनशील मूल्यह्रास के चलते समायोजन Adjustment on account of incremental depreciation upto year end due to revaluation and others	205 60 84		185 93 96	
		2349 75 51		2351 77 69

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019		31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	7165 07 46		5388 50 36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	5092 75 89		1776 57 10	
		12257 83 35		7165 07 46
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	464 12 18		371 00 09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	21 20 91		93 12 09	
	485 33 09		464 12 18	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year		485 33 09		464 12 18
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	413 78 22		391 77 20	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/ from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	63 08 48		22 01 02	
	476 86 70		413 78 22	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year		476 86 70		413 78 22
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit & Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	-5603 83 47		-1159 64 18	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-4371 61 93		-4444 19 29	
		-9975 45 40		-5603 83 47
योग (I से Vतक) / TOTAL(I to V)		**8370 97 22**		**7517 02 41**

* किसी सम्पत्ति से पट्टा अधिकार के अधित्याग के लिए समायोजन/Adjustment for surrender of lease right of a property.

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019
अनुसूची 3 — जमाराशियां
Schedule 3 — DEPOSITS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	259 31 19	1594 74 12
ii) अन्य से/From Others	26354 97 63	8106 52 60
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	59376 46 99	54824 13 72
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	3116 98 33	4591 34 04
ii) अन्य से/From Others	108799 04 03	112732 53 51
योग/TOTAL(I, II & III)	**197906 78 17**	**181849 27 99**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	192278 14 84	172017 42 76
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	5628 63 33	9831 85 23
योग/TOTAL (i & ii)	**197906 78 17**	**181849 27 99**

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	939 75 33	4443 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	3471 74 70	3128 57 73
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	3875 50 72	4859 22 74
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	36 67 11	18 45 72
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**8323 67 86**	**12449 26 19**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	4711 84 15	8005 62 74
इसमें शामिल है/ Includes		
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	4 89 72	7 19 74
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	295 61 00	427 03 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	2075 00 00	2175 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	500 00 00	500 00 00
एटी-1बॉडों/AT-1 Bonds	—	750 00 00
बासेल III कंप्लाएंट टीयर - II बॉडों Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1000 00 00	1000 00 00

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

		31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I.	संदेय बिल/Bills Payable	71 89 75	82 66 39
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	991 76 23	265 42 18
III.	प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	690 05 95	752 94 42
IV.	* अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)	5108 84 80	5699 42 39
योग /TOTAL		**6862 56 73**	**6800 45 38**
इसमें शामिल हैं / Includes			
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets		492 87 13	495 85 02

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

		31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I.	हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	585 08 33	636 30 14
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खाते में/In Current Accounts	8237 92 70	7488 77 77
	ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)		**8823 01 03**	**8125 07 91**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में/ a) In Current Accounts	13 61 55	41 11 35
ख) अन्य जमा खातों में/ b) In Other Deposit Accounts	4992 20 70	3094 21 72
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास/ a) With Banks	9792 21 38	2016 22 75
ख) अन्य संस्थाओं के पास/ b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	**14798 03 63**	**5151 55 82**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	379 70 65	219 46 85
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	276 62 06	1062 40 90
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice	154 72 53	189 52 13
योग /TOTAL	**811 05 24**	**1471 39 88**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	**15609 08 87**	**6622 95 70**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019
अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	56719 40 66	51841 95 35
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	27 00 00	51 42 88
iii) शेयर/Shares	296 23 82	315 92 56
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	19461 77 73	14441 47 82
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स* Subsidiaries and/or Joint Ventures/Associates*	108 15 69	184 50 96
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	2565 01 77	1601 66 11
योग/TOTAL	**79177 59 67**	**68436 95 68**
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	3054 09 51	2397 15 77
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others		128 03 25
योग/TOTAL	**3054 09 51**	**2525 19 02**
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	**82231 69 18**	**70962 14 70**

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश

* Investment in RRBs

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investment and provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019			31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	80622 05 15	1444 45 48	79177 59 67	69987 86 72	1550 91 04	68436 95 68
II. भारत के बाहर Outside India	3187 54 85	133 45 34	3054 09 51	2602 11 46	76 92 44	2525 19 02
योग/TOTAL	**83809 60 00**	**1577 90 82**	**82231 69 18**	**72589 98 18**	**1627 83 48**	**70962 14 70**

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	8286 83 68	11794 43 24
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	41344 33 66	39540 88 67
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	49682 66 89	56134 70 21
योग/TOTAL	**99313 84 23**	**107470 02 12**
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	86686 43 14	93618 18 51
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	5373 15 46	9640 28 36
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	7254 25 63	4211 55 25
योग/TOTAL	**99313 84 23**	**107470 02 12**
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	37212 60 47	40099 78 24
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	8979 33 79	5544 38 15
(iii) बैंक/Banks	7 21 18	33 43 31
(iv) अन्य/Others	45695 78 02	47362 05 02
योग/TOTAL	**91894 93 46**	**93039 64 72**
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	2770 39 56	6681 11 32
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	3647 21 43	3306 31 90
(ग) अन्य (c) Others	1001 29 78	4442 94 18
योग/TOTAL	**7418 90 77**	**14430 37 40**
कुल योग इ-I एवं इ-II /GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**99313 84 23**	**107470 02 12**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	289 50 99	280 25 74
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	3 87 23	9 12 76
	293 38 22	289 38 50
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	4 99 66	91 41
	298 37 88	290 29 91
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	12 27 59	78 92
	286 10 29	289 50 99
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	2555 36 36	2537 71 66
	2841 46 65	2827 22 65
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	2841 46 65	2827 22 65
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	293 53 65	270 03 09
योग/ TOTAL	2547 93 00	2557 19 56
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1683 43 95	1576 95 19
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	2 88 96	3 70 78
	1686 32 91	1580 65 97
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	70 72 46	106 37 39
	1757 05 37	1687 03 36
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	3 25 12	3 59 41
	1753 80 25	1683 43 95
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	1487 42 98	1373 76 12
योग/ TOTAL	266 37 27	309 67 83
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	8 01 16	8 22 81
योग/TOTAL	8 01 16	8 22 81
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**2822 31 43**	**2875 10 20**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1700 94 44	1537 72 99
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	1989 83 31	2515 23 95
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	5 33 85	5 04 08
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	8086 37 00	5327 25 00
VII. अन्य/Others	9901 64 68	10615 61 03
योग/TOTAL	**21684 13 28**	**20000 87 05**

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	189 09 33	192 33 73
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 11 50	3 03 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	74361 44 98	106537 28 49
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में A) In India	4738 18 99	6246 90 28
ख) भारत के बाहर B) Outside India	45 01 29	76 83 46
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4674 12 17	8268 93 65
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	3373 99 72	2162 70 01
योग/ TOTAL	**87384 97 98**	**123488 03 12**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	7824 75 49	7981 61 21
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	5348 27 68	5178 16 33
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	501 85 88	368 17 45
IV.	अन्य/Others	655 74 18	492 17 55
	योग/TOTAL	**14330 63 23**	**14020 12 54**

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹		31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		232 63 88		183 38 87
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	310 59 81		537 57 26	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	29 84 83	280 74 98	239 94 64	297 62 62
III.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	9 98 80		38 49	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	49 75	9 49 05	4 94	33 55
IV.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	199 70 57		118 39 48	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	38 92 13	160 78 44	9 88 93	108 50 55
V.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		4 84 83		8 29 40
VI.	विविध आय/ Miscellaneous Income		825 00 28		522 85 33
	योग/TOTAL		**1513 51 46**		**1121 00 32**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9329 26 93	10094 94 79
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	249 92 97	234 07 43
III. अन्य/Others	440 27 95	566 38 03
योग/TOTAL	**10019 47 85**	**10895 40 25**

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1946 21 67	1841 82 44
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	255 43 45	251 97 89
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	29 47 28	31 25 40
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	14 05 55	18 62 04
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	136 88 11	151 84 16
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	46 61	51 92
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	37 67 12	35 81 14
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	5 64 69	5 68 83
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	61 25 09	39 73 84
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	9 17 14	10 05 68
XI. बीमा/Insurance	160 04 68	167 65 21
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	408 11 04	356 50 03
योग/TOTAL	**3064 42 43**	**2911 48 58**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. अग्रिम / ADVANCES

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के आनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked.

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines

issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. निवेश/INVESTMENTS

3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षिति, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनि ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹1 per company.

3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines)	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।
Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममुल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाति है।
Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
Items of property, plant and equipment of small value costing upto ₹1000 each are charged off whereas items costing between ₹1001 and ₹5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।
Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।
Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/ spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।
Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।
Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।
The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन/ FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली / Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / **Defined Contribution Plan**

क/a) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/b) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ)/B) **निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan**

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ**/Other Long Term Employee benefits

क/a. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/b. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/c. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. उपचय की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।
Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।
In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियो निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।
Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आाधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्यापित होने पर किया जाता है।
Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।
Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याय की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।
Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।
Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।
Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/a) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।
Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/b) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।
Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/c) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/d) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थ्गित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं ब्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता हैः

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/a) बचाव-व्यवस्या पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/b) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/c) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/d) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/e) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.19 की स्थिति As on 31.03.19	31.03.18 की स्थिति As on 31.03.18
	बेसल/ Basel-III	बेसल/ Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-I पूंजी अनुपात (%)/ Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.64	8.23
(ii)टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.64	8.94
(iii)टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.06	2.00
(iv)कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	10.70	10.94
(v)भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)/ Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	93.29	84.23
(vi)पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	3115.24	748.43
(vii)टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised; out of which	--	--
पीएनसीपीएस: / PNCPS:	--	--
पीडीआई: / PDI:	--	--
(viii)टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि ; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which/Debt capital instrument:	--	--
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत :(बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Share Capital Instruments : [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	--	--

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नांकित शेयर जारी कर आवंटित किए -

क) भारत सरकार को दिनांक 21.05.2018 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹21.16 (रूपये इक्कीस एवं सोलह पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर ₹31.16 (रूपये इकतींस एवं सोलह पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 164,69,83,312 (एक सौ चौसठ करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार तीन सौ बारह मात्र) ईक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹5132 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

ख) भारत सरकार को दिनांक 25.02.2019 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹10.95 (रूपये दस एवं पचानवे पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर 20.95 (रूपये बीस एवं पचानवे पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 146,82,57,756 (एक सौ छियालीस करोड़ बयासी लाख सत्तावन हजार सात सौ छप्पन मात्र) ईक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹3076 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

ग) भारत सरकार अधिमान्य आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयर में दिनांक 21.02.2019 को ₹3330 करोड़ का निवेश किया और उक्त राशि को शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत रखा चूंकि आवंटन के फलस्वरूप प्रदत्त पूंजी बैंक के विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पूंजी से अधिक है

During the year the Bank issued share and allotted –

a) 164,69,83,312 (One Hundred and Sixty Four Crore Sixty Nine Lakhs Eighty Three Thousand Three Hundred Twelve) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹31.16 (Rupees Thirty One and Paise Sixteen) per equity share including premium of ₹21.16 (Rupees Twenty One and Paise Sixteen) per equity share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 21.05.2018 resulting in capital infusion of ₹5132 crores.

b) 146,82,57,756 (One Hundred and Forty Six Crore Eighty Two Lakh Fifty Seven Thousand Seven Hundred Fifty Six) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹20.95 (Rupees Twenty and Paise Ninety Five) per equity share including premium of ₹10.95 (Rupees Ten and Paise Ninety Five) per equity share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018, on preferential basis to Government of India on 25.02.2019 resulting in capital infusion of ₹3076 crores.

c) Government of India infused ₹3330 crore on 21.02.2019 by way of preferential allotment of equity shares and the amount was maintained under share application money pending approval from Government of India for increase of

अतः बैंक प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने का इंतजार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. 8310/ 21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त उक्त राशि को सामान्य इक्विटी शेयर - 1 (सीईटी - 1) के रूप में रखा है। हमें राष्ट्रीय स्टॉफ एक्सचेंज से दिनांक 13.05.2019 की इक्वीटी शेयर के पूंजीबद्ध होने की सैद्धांनिक अनुमोदन मिल गया है।

डी) बैंक ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन में प्रस्तुत की गई यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) 2019 के आफर के प्रत्युत्तर में दिनांक 30.03.2019 को बैंक के कर्मचारियों से कुल 266.88 करोड़ रुपये की आवेदन राशि प्राप्त की है और विनियामक प्राधिकारियों से शेयर आबंटित किए जाने की अनुमति के लंबित रहने के कारण यह राशि शेयर आवेदन की राशि के रूप में रखी गई है। बैंक ने यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) 2019 के अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त उक्त राशि को सामान्य एक्विटी टीयर-1 (सीटीए-1) के एक अंशरूप में नहीं माना है। हमें राष्ट्रीय स्टाक एक्स्चेंज से 13.05.2019 को एक्विटी के सूचीबद्ध होने की सिद्धांत रूप में अनुमोदन मिल गया है।

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

authorized capital of the Bank. Bank has considered such amount received from Government of India as a part of Common Equity Tier 1 (CET 1) with the permission from Reserve Bank of India vide letter no. 8310/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019. We have received in-principle approval for listing of Equity share from National Stock Exchange on 13.05.2019.

d) The Bank has received application money from the employees of the Bank aggregating to ₹266.68 crore on 30.03.2019 in response to the offer of equity shares made in compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 to the employees under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme (ESPS) 2019 and the amount was maintained under share application money pending receipt of regulatory approvals for allotment of shares. Bank has not considered above amount received under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme (ESPS) 2019 from employees as a part of Common Equity Tier 1 (CET 1). We have received in-principle approval for listing of Equity share from National Stock Exchange on 13.05.2019.

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.19 की स्थिति As on 31.03.19	31.03.18 की स्थिति As on 31.03.18
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	80622.05	69987.87
(b) भारत के बाहर/ Outside India	3187.55	2602.11
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	1444.46	1550.91
(b) भारत के बाहर/Outside India	133.45	76.92
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	79177.60	68436.96
(b) भारत के बाहर/Outside India	3054.10	2525.19
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1627.83	749.01
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	570.45	916.16
: विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	3.15	2.70
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	623.52	40.04
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	1577.91	1627.83

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2019 को बकाया Outstanding as on 31st March 2019
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	23.44	2412.45	76.71	495.12
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	–	–	–	–
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गईं प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	–	1238.44	644.12	1210.97
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	–	–	–	–

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	18,554.54	18,418.52	240.27	16,136.10	11,538.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1,730.58	1,725.36	50.00	5.22	720.35
(iii)	बैंक / Banks	846.75	831.15	-	278.84	319.96
(iv)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1,154.95	262.83	170.51	884.74	1,057.67
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/Joint Ventures Associates*	108.16	108.16	-	-	108.16
(vi)	अन्य /Others	1,574.24	1,574.24	-	1,574.24	1,574.24
(vii)	**उप योग** (i से vi) तक Sub Total (i to vi)	23,969.22	22,920.26	460.78	18,879.14	15,318.38
(viii)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	916.52	-	133.19	66.62	133.20
(ix)	योग / Total (vii-viii)	**23,052.70**	**22,920.26**	**327.59**	**18,812.52**	**15,185.18**

* आरआरबी में निवेश / Investment in RRB.

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष / Opening balance	577.12	309.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	300.57	267.85
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	0.04	1.71
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	2.22	1.77
अंतिम शेष / Closing balance	879.88	577.12
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	799.76	506.20

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :
The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	**31.3.2019**	**31.3.2018**
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	19369.56	12722.22
- अन्य/-others	34079.40	32875.17
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	30360.64	26992.01
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	--	--

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5% of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	**2018-19**	**2017-18**
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	2316.59	2125.00
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	20.66	3.05
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	1.53	-1.41

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कम सं. S.No.	विवरण Particulars	2018-19	2017-18
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2019 (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00

3.3 **व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण, और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्यूत्पन्न को भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बानाई गई बैंक की नितियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्यूत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Managing Director & CEO and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the MD &

निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाः

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानीरखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याजदर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/ liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	2018-19		2017-18	
		मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	74361.45	2316.59	106537.28	2125.00
	क)/a) बचाव के लिए / For hedging	74361.45	795.00	106537.28	2125.00
	ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	शून्य/Nil	1521.59	शून्य/Nil	1050.00
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
	क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	12.77	1.53	20.41	शून्य/Nil
	ख)/b) देयता (-) / Liability (-)	1.87	शून्य/Nil	8.86	-1.41
3	ऋण एक्स्पोजर / Credit Exposure	2389.85	39.95	2623.84	16.67
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-2.51	लागू नहीं/NA	6.00
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-21.90	लागू नहीं/NA	-4.59
	ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
	अधिकतम /Maximum	लागू नहीं/NA	-1.01	लागू नहीं/NA	-3.63
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	4.08	लागू नहीं/NA	0.81
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	बचाव-व्यवस्था पर- / on hedging				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	7.08	लागू नहीं/NA	2.04
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-12.80	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NIL
	क्रय-विक्रय पर / on trading				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	3.50	लागू नहीं/NA	-1.71
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	1.55	लागू नहीं/NA	-0.04

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹20.66 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹3.05करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligations will be ₹20.66 crores for FY 2018-19 (₹3.05 crore for FY 2017-18)

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹20.66 (₹3.05 करोड़) का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹20.66 Crores (₹3.05 crores), in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें / Items	2018-19	2017-18
(i)	(क)/(a) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Gross NPA as to Gross Advances (%)	25.00%	24.64%
	(ख) नवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) / (b) Net NPAs to Net Advances(%)	9.72%	13.10%
(ii)	अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
	(क)/(a) **प्रारंभिक शेष** /(a) **Opening Balance**	**30549.92**	**22540.95**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	9082.44	15033.80
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	9744.03	7024.83
	(घ)/(d) **अंतिम शेष** / **Closing Balance**	**29888.33**	**30549.92**
(iii)	सकल अनर्जक आस्तियाँ में उतार-चढ़ाव/Movement of Net NPAs		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) **Opening Balance**	**14082.07**	**10703.39**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	9082.44	15033.80
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	9744.03	7024.83
	(घ)/(d) कमीः पिछले वर्ष से अधिक निवल की गई मद के मूल्य में अधिकता हेतु समायोजन* Less: Adjustment for excess in value of netting item over Previous year *	3770.56	4630.30
	(ङ)/(e) अंतिम शेष / **Closing Balance**	**9649.92**	**14082.07**
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
	(क)/(a) **प्रारंभिक शेष** /**Opening Balance**	**15090.61**	**10452.62**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान /Provisions made during the year	8323.41	7372.7
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ/राइट-बैक /Write-off/ write-back during the year :	4420.31	2734.71
	(घ)/(d) **अंतिम शेष** / **Closing Balance**	**18993.71**	**15090.61**

	2018-19	2017-18
* निवल की गई मद का प्रारंभिक मूल्य / Opening value of Netting Item (Gross NPA-Net NPA)	16467.85	11837.55
निवल की गई मद का अंतिम मूल्य / Closing value of Netting Item (Gross NPA - Net NPA)	20238.41	16467.85
निवल की गई मदों के मूल्य में आधिक्य **/ Excess in value of Netting Items**	**(3770.56)**	**(4630.30)**

4.2 आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं आरबीएस 2017-18 के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान
Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBS 2017-18

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/157 डीबीआर. बीपी. बी.सी नंबर 32/ 21.04.018/ 2018-19 दिनांक अप्रैल 1 2019 के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आय वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षक प्रक्रिया के अनुसार अपने नोट को वित्तीय स्टेटमेंट के साथ उसके विवरण के साथ देंगे। प्रावधान में विचलन निम्नलिखित रूप से है:

In terms of RBI circular no. RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/ 21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, the Banks are required to disclose divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to the financial statements, the details of divergence in provisioning are as under:

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹crore)

क्रम सं. Sr.	विवरण Particulars	राशि Amount
1.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	30549.92
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	30547.24
3.	सकल अनर्जक आस्ति में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	-2.68
4.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2018 as reported by the Bank	14082.07
5.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2018 as assesses by RBI	13418.63
6.	शुद्ध अनर्जक आस्ति में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	-663.44
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	15090.61
8.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	15751.37
9.	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	660.76
10.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	-4436.37
11.	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के उपरांत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद (पीएटी) समायोजित (आनुमानिक) शुद्ध लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning*	-5099.81

* आरबीआई आरएआर 2018 के अनुसार / As per RBI RAR 2018

4.3 पुनर्संरचित खातों का विवरण

दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	अस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1.	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक ऑकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	5	2	32	2	41	2	1	10	2	15	772	451	2819	4	4046	779	454	2861	8	4102
		बकाया राशि	96.28	272.77	3742.18	38.59	4149.82	4.74	2.13	12.18	1.60	20.65	648.06	754.32	3989.08	147.93	5539.39	749.08	1029.22	7743.44	188.12	9709.86
		प्रावधान	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.09	0.32	4.87	1.60	6.88	11.50	113.15	1595.63	0.00	1720.28	36.84	154.38	3097.38	1.60	3290.20
2.	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1283	3	0	0	1286	83	13	3	0	99	1366	16	3	0	1385
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.94	2.29	0.00	0.00	173.23	22.41	117.09	0.45	0.00	139.95	193.35	119.38	0	0	313.18
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.01	0.00	0.00	4.66	1.12	7.39	0.02	0.00	8.53	5.77	7.40	0	0	13.19
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0		1	0	-1	0		0	0	0	0		1	0	-1	0	
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00		0.69	0.00	-0.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.69	0.00	-0.69	0.00	
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं हैं	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक

(करोड़ ₹ में)

क्र सं.	पुनर्संरचना का प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	अस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के पुनर्संरचित खाते की अवनति	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-1	1	0		-1	0	1	0		0	0	-1	1		-1	-1	1	1	
		बकाया राशि	0.00	-270.06	270.06	0.00		-0.13	-182.37	182.50	0.00		0.00	0.00	-34.11	34.11		-0.13	-452.43	418.45	34.11	
		प्रावधान	0.00	-13.09	13.09	0.00		0.00	-6.95	6.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-20.04	20.04	0	
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खाते की बट्टे खाते डाला जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	3	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	-1	1	4
		बकाया राशि	28.93	2.71	1321.85	0.00	1353.49	-4.51	-180.86	184.11	-1.53	-2.79	546.37	802.81	-138.06	-957.46	253.66	570.79	624.66	1367.90	-958.99	1604.36
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	468	2862	9	5480
		बकाया राशि	67.35	0.00	2690.39	38.59	2796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
		प्रावधान	5.87	0.00	42.12	0.00	47.99	4.69	0.04	0.38	0.00	5.11	45.80	1.12	34.66	0.00	81.58	56.36	3.46	74.86	0	134.68

* मानक पुनर्संरचित आंकड़ों को छोड़कर जिन्हें उच्च प्रावधान या जोखिम भार की जरूरत नहीं होगी (यदि लागू हो)

विभिन्न श्रणियों के अंतर्गत मात्रा एवं मूल्य में प्रारंभिक शेष को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनःसंकलित किया गया है।

* संबंद्धित आंकड़ों (₹1करोड़ से कम के खातों के मामले में) की अनुपलब्धता के फलस्वरुप संबंधित सेल में संचयी सूचना नहीं दी गई है।

4.3 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2019

NAME OF THE BANK: UCO Bank

(₹ in Crore)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification → / Details ↓		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Openening figures)*	No. of borrowers	5	2	32	2	41	2	1	10	2	15	772	451	2819	4	4046	779	454	2861	8	4102
		Amount outstanding	96.28	272.77	3742.18	38.59	4149.82	4.74	2.13	12.18	1.60	20.65	648.06	754.32	3989.08	147.93	5539.39	749.08	1029.22	7743.44	188.12	9709.86
		Provision thereon	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.09	0.32	4.87	1.60	6.88	11.50	113.15	1595.63	0.00	1720.28	36.84	154.38	3097.38	1.60	3290.20
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	1283	3	0	0	1286	83	13	3	0	99	1366	16	3	0	1385
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.94	2.29	0.00	0.00	173.23	22.41	117.09	0.45	0.00	139.95	193.35	119.38	0	0	313.18
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.01	0.00	0.00	4.66	1.12	7.39	0.02	0.00	8.53	5.77	7.40	0	0	13.19
3	Upgradations to restructured standard category during the FY*	No. of borrowers	0	0	0	0		1	0	-1	0		0	0	0	0		1	0	-1	0	
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00		0.69	0.00	-0.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.69	0.00	-0.69	0.00	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2019

NAME OF THE BANK: UCO Bank

(₹ in Crore)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification → / Details ↓		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	-1	1	0		-1	0	1	0		0	0	-1	1		-1	-1	1	1	
		Amount outstanding	0.00	-270.06	270.06	0.00		-0.13	-182.37	182.50	0.00		0.00	0.00	-34.11	34.11		-0.13	-452.43	418.45	34.11	
		Provision thereon	0.00	-13.09	13.09	0.00		0.00	-6.95	6.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-20.04	20.04	0	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	3	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	-1	1	4
		Amount outstanding	28.93	2.71	1321.85	0.00	1353.49	-4.51	-180.86	184.11	-1.53	-2.79	546.37	802.81	-138.06	-957.46	253.66	570.79	624.66	1367.90	-958.99	1604.36
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	469	2864	8	5482
		Amount outstanding	67.35	0.00	2690.39	38.59	2796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
		Provision thereon	5.87	0.00	42.12	0.00	47.99	4.69	0.04	0.38	0.00	5.11	45.80	1.12	34.66	0.00	81.58	56.36	3.46	74.86	0	134.68

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
Opening Balances in quantity and value under different categories have been regrouped, rearranged and recomputed wherever considered necessary.
*In the absence of relevant details (Pertaining to account less then ₹1 crore) the cumulative information in the relevant cell has not been given.

4.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के व्योरे
Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

A. बिक्री के विवरण /Details of Sales (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of Financial Assets sold to Securitisation/Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

	मदें / Item	**2018-19**	**2017-18**
(i)	खातों की संख्या / No. of accounts	2	20
(ii)	कुल बकाया राशि Aggregate Balance Outstanding	46.24	1764.39
(iii)	एफआईटीएल बकाया राशि FITL Balance Outstanding	0.00	124.03
(iv)	कुल प्रावधान / Aggregate Provision	46.24	1373.55
(v)	एससी/आरसी(ii-iii-iv) को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल) (II-III-एफआईटीएल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC (ii-iii-iv)	--	266.81
(vi)	कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	2.47	199.42
(vii)	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	214.57	85.64
(viii)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain/(loss) over net book Value	2.47	(10.76)

4.5 एससी/आरसी के अतिरिक्त खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे
Details of Non performing financial assets purchased/sold to other than SC/RC

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण / Particulars	2018-19	2017-18
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या		
	(a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	(क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या /		
	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2018-19	2017-18
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.6 (a) **प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का ब्योरा /Details of Investment in Security Receipts:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण **Particulars**	**बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित** **Backed by NPAs sold by the bank as underlying**		**गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित** **Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying**		**Total** **कुल**	
प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	**गत वर्ष** **Previous Year**	**चालू वर्ष** **Current Year**	**गत वर्ष** **Previous Year**	**चालू वर्ष** **Current Year**	**गत वर्ष** **Previous Year**	**चालू वर्ष** **Current Year**
Book Value of Investment in Security Receipts	1788.11	1574.24	0.00	0.00	1788.11	1574.24

4.6 (b) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का प्रकटीकरण / Disclosure of Investment in Security Receipts.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण /**Particulars**	**विगत 5 वर्षों में जारी प्र.प्रा.** **SRs issued within past 5 years**	**5वर्षों से अधिक परंतु विगत 8 वर्षों में जारी प्र.प्रा.** **SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years**	**विगत 8 वर्षों से पूर्व जारी प्र.प्रा.** **SRs issued more than 8 years ago**
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा.का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	972.12	582.42	19.77
	(i)के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (i)	244.43	125.05	19.77
(ii)	अन्य बैंकों /वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा. का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial companies as underlying	0	0	0
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (ii)	0	0	0
कुल/ Total (i) +(ii)		972.12	582.42	19.77

4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2018-19	2017-18
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	492.87	495.85

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

	मदें / Items	2018-19	2017-18
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय(%)/Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	6.11	5.93
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय(%)/ Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.65	0.47
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय(%)/Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.18	0.56
(iv)	आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	-1.84	-1.88
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	13.69	12.74
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	-18.64	-18.48

6.0 आस्ति देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2019 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2019

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months and upto 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 year	5 बर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	1824	6596	5433	9810	11312	10658	24026	37505	29562	8135	53047	**197907**
सकल अग्रिम / Advances Gross	582	3440	2143	1965	3078	4921	6999	8641	15882	12618	59303	**119573**
सकल निवेश Investments Gross	3	-	249	262	2020	566	3401	4559	4233	6846	61668	**83810**
उधार/Borrowings	976	-	-	275	-	33	174	2266	2275	1325	1000	**8324**
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	585	1170	279	1612	2766	1808	3133	706	4422	433	2418	**19331**
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	709	197	230	124	1848	972	1403	2149	6416	902	2090	**17040**

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2018-19	2017-18
क/a) **प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure**		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	15438.52 8279.05	14310.38 7710.05
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	980.40	1535.89
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
क/a.आवासीय / Residential,	0.00	0.00
ख/b.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख/b) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure	0.00	0.00
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3020.06	1918.79
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**19438.98**	**17765.07**

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	308.95	224.61
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.00
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	20.00	20.21
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	49.99	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**378.94**	**439.32**

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2019	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2019	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2018	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2018
नगण्य/Insignificant A1	8403.96	10.60	12554.91	10.94
कम/Low A2	567.30	—	476.00	—
सामान्य/Moderate B1/B2/C1	178.53	—	4.51	—
अधिक/High C2	—	—	—	—
अत्यधिक/Very High D	—	—	—	—
सीमित/Restricted	—	—	—	—
ऋणेतर/Off-credit	—	—	—	—
कुल/Total	**9149.79**	**10.60**	**13035.42**	**10.94**

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा:

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण Limit sanctioned	अवधि, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded		कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.19 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03.19
1	2	3	4	5		6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2019**
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	7075.93
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights,licences,authority etc	-
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	NA

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made/(written back) for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2019	31.03.2018
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	25.93	शून्य/Nil
भारत के बाहर/Outside India	(10.57)	9.42

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई शास्ति का प्रकटन

क) 50,000 रुपये से अधिक के लिखतों को गलत तरीके से तृतीय पक्ष के खाते में संग्रह और जमा करने तथा कपट का समय पर पता लगाने और उसकी रिपोर्टिंग करने में समुचित सावधानी नहीं बरतने के कारण से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1) (C) के साथ पठित धारा 46(4) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत बैंक पर 2.00 करोड़ रुपये की शास्ति दी गई।

ख) स्विफ्ट संबंधी परिचालनगत नियंत्रणों के कार्यान्वयन पर विनियामक निदेशों के उल्लंघन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 A(1) (C) के साथ पठित धारा 46(4) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत बैंक पर 3.00 करोड़ रुपये की शास्ति दी गई।

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

a) During the financial year 2018-19 RBI has imposed penalties on the Bank of ₹2.00 crore under the provision of Section 47A (1) (C) read with section 46(4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949 for wrongfully collecting and crediting instruments in excess of ₹50,000/- in third party account and not exercising due diligence in detection and reporting the fraud in time.

b) During the financial year 2018-19 RBI has imposed penalties on the Bank of ₹3.00 crore under the provision of Section 47A (1) (C) read with section 46(4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949 for violations of regulatory directions of implementation of swift related operational control.

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

9.1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There is no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता लेखांकन मानक (एएस-9) और अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting Standard (AS-9) and Accounting policy No. 10 of Schedule -17.

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृतत एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है।

चालू वर्ष की देयताओं के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹832.36 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹423.40 करोड़) (₹0.40 करोड़, पिछले वर्ष का ₹0.40 करोड़ के वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित) की राशि सुरक्षित की गई है।

9.3 AS - 15 -Employee Benefits (Revised)

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15.

A sum of ₹832.84 Crore (₹423.40 Crore for FY 2017-18) (including Annual Medical Aid of ₹0.40 crores, previous year 0.40 crores) has been charged to the Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	निधिक/FUNDED		अनिधिक/UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	6939.02	913.68	480.88	36.00	14.16	1.66
चालू सेवा लागत Current Service Cost	30.11	47.32	35.33	--	2.94	--
सेवा लागत Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत Interest Cost	489.00	60.26	36.07	2.70	1.06	0.12
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(837.96)	(220.45)	--	--	--	--
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	596.14	48.83	(61.59)	0.66	(3.45)	0.17
अंतिम दायित्व Closing Obligation	7216.31	849.64	490.69	39.36	14.71	1.95

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	6920.77	692.15
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	579.96	57.38
अंशदान Contributions	367.46	294.68
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(837.96)	(220.45)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	(26.09)	8.47
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets	**7004.14**	**832.23**

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciliation

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	596.14	48.83	61.59	0.66	3.45	0.17
वर्ष में बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(26.09)	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	622.23	40.36	61.59	0.66	3.45	0.17
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	622.23	40.36	61.59	0.66	3.45	0.17

लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account (राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		30.11	47.32	35.33	0.00	2.94	0.00
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		489.00	60.26	36.07	2.70	1.06	0.12
पूर्व सेवाओं की लागत (सी) Past Service Cost (C)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (डी) Expected Return on Plan Asset (D)		579.96	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) (ई) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year (E)		622.23	40.36	(61.59)	0.66	(3.45)	0.17
राशि /Amount (A+B+C+D+E)		**561.38**	**90.56**	**9.81**	**3.36**	**0.55**	**0.29**
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2018-19	प्रवधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 **(A)**	517.68	90.56	9.81	3.36	0.90	0.29
	बैंक का सामान्य अंशदान - नोट - 2 (बी) Banks Ordinary Contribution-Note 2 **(B)**	43.70	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार - नोट 3 (सी) As per RBI direction, Note 3 **(C)**	शून्य/NIL	166.14	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	Total (A+B+C+D)	**561.38**	**256.70**	**9.81**	**3.36**	**0.90**	**0.29**

नोट:1: बीमांकक रिपोर्ट द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ – हानि लेखा में शामिल राशि। एलआईसी टेबल सं. 9496 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन आधार पर कर्मचारी लाभ सहित पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है।

नोट -2: वेतन की तारीख को पेंशन की मद में बैंक का सामान्य अंशदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाली गई राशि यानि कर्मचारियों / सदस्यों के अंशदान के बराबर राशि।

नोट - 3: शुद्ध निधिक स्थिति (मौजूदा मूल्य दायित्व एवं नियोजित संपत्ति के उचित मूल्य के बीच का अंतर) को उपादान की अधिकतम सीमा के रूप में रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/ 21.04.2018/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अनुसार ₹221.53 करोड़ को 31.03.2018 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए चार तिमाहियों में फैला दिया गया है एवं केवल ₹55.39 करोड़ को लाभ एवं हानि लेखा में परिशोधित किया गया / मान्यता दी गई। अपरिशोधित ऱाशि ₹166.14 करोड़ को जून, 2018 सितंबर, 2018 एवं दिसंबर, 2018 तिमाहियों में समान रूप से बांटा जाएगा।

Note-1: Amount recognized in the Profit and Loss Account during the FY 2018-19 as per Actuarial Report. Provisions for employee benefits including pension has been made on actuarial valuation basis as per LIC table no.9496.

Note2: Amount debited in the Profit and Loss Account during the FY 2018-19 as Bank's ordinary contribution to Pension on Salary Date i.e. same amount as Employees/ Members Contribution.

Note-3: The Net Funded Status (Difference between Present Value Obligation and Fair Value of Plan Asset) taking into account ₹20 lacs as ceiling for Gratuity. As per RBI letter no. DBR.BP.9730/21.04.2018/2017-18 dated 27th April 2018, ₹221.53 crores has been spread into four quarters starting from quarter ended 31.3.2018, and an amount of ₹55.39 Crores only have been amortized / recognized in the Profit & Loss Account in FY 2017-18. The unamortized portion of ₹166.14 crores has been taken into account in June 2018, September 2018 and December 2018 quarters in equal proportion of the current financial year 2018-19.

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2019	7216.31	849.64	490.69	39.36	14.72	1.95
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2019	7004.14	832.23	484.05	37.50	15.06	1.95
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	212.17	17.41	6.64	1.86	0.00	0.00

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	13.29%
विशेष जमा / Special Deposit	0%
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	86.71%
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / **Principal Actuarial Assumptions** :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.50 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.38% (पेंशन हेतु/For Pension) 8.28% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 8 वर्ष (उपादान)/8 Years on an average (Gratuity) औसतन 19 वर्ष (पेंशन)/19 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट **Business Segment**	ट्रेजरी **Treasury**		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग **Corporate/Wholesale Banking**		रिटेल बैंकिंग **Retail Banking**		अन्य बैंकिंग परिचालन **Other Banking Operations**		योग **Total**	
विवरण **Particulars**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व Revenue	6809.87	6431.04	5046.71	5210.33	3947.60	3459.06	39.97	40.70	15844.14	15141.13
परिणाम Result	1353.23	1025.02	(-)3195.27	(-)3302.55	(-)2503.65	(-)2190.12	39.97	40.70	-4305.73	-4426.95
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									2760.24	1334.24
आयकर Income Tax									15.36	9.42
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									(-)4321.09	(-)4436.37
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	117611.41	99791.82	63039.76	69658.94	49343.15	46225.88	489.76	379.53	230484.08	216056.18
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									230484.08	216056.18
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	102199.01	84801.17	71959.88	78898.03	56325.19	52356.98	0.00	0.00	230484.08	216056.18
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									230484.08	216056.18

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Particulars**	देशी/**Domestic**		अंतरराष्ट्रीय/**International**		योग/**Total**	
	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व/Revenue	15376.84	14519.43	467.31	621.70	15844.15	15141.13
आस्तियां/Assets	218814.74	197032.76	11669.34	19023.42	230484.08	216056.18

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ऐ. के. गोयल (02.11.2018 से)

श्री आर.के. टक्कर (01.04.2018 से 01.11.2018) (सेवानिवृत्त)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री चरण सिंह

श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर (01.04.2018 से 30.04.2018) (सेवानिवृत्त)

9.5 Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD & CEO)

Shri A. K. Goel (02.11.2018 onward)

Shri R. K. Takkar (01.04.2018-01.11.2018) (Retired)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Charan Singh

Shri G. Subramania Iyer (01.04.2018 - 30.04.2018) (Retired)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	**अवधि Period**	**मदें Items**	**राशि Amount**
श्री आर.के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Shri R. K. Takkar MD & CEO	01.04.2018 से/ to 01.11.2018	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	36.73
		जमा/Deposits	–
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	–
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	–
		उधार/Borrowings	–
श्री ऐ. के. गेयल प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Shri A. K. Goel MD & CEO	02.11.2018 से/to 31.03.2019	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	11.30
		जमा/Deposits	1.36
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares	3.78
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	0.01
		उधार/Borrowings	–
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh ED	01.04.2018 से/to 31.03.2019	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	26.39
		जमा/Deposits	20.16
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares	3.56
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	1.33
		उधार/Borrowings	–
श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर कार्यपालक निदेशक Shri G. Subramania Iyer ED	01.04.2018 से/to 30.09.2018	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	22.19
		जमा/Deposits	–
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	–
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	–
		उधार/Borrowings	–

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management.

ग. सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण (आरआरबी) निम्नलिखित हैं:

i) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

ii) एक पहचान बनाने के उद्देश्य से यूको बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) तथा पंजाब नैशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (एमबीजीबी) अब आमेलित कर दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2018 को जारी ग़जट अधिसूचना के पश्चात दिनांक 1 जनवरी 2019 से इस नई पहचान को पंजाब नैशनल बैंक ने प्रायोजित किया तथा इसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कहा गया । बैंक ने आमेलन प्रक्रिया के भाग के रूप में पूर्ववर्ती बिहार ग्रामीण (बीजीबी) बैंक में निवेश की गई 76.35 करोड़ रूपए की पूँजी 30.03.2019 पंजाब नैशनल बैंक (पीएंबी) से वापस पाई। पूर्ववर्ती बिहार ग्रामीण बैंक में शून्य कूपन बॉन्ड (टीयर - II बॉन्ड) के रूप में निवेश की गई 6.57 करोड़ रुपये की राशि पंजाब नैशनल बैंक से अभी प्राप्त की जानी है।

घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

c) **Associates**

Regional Rural Banks (RRB) sponsored by the Bank are as under:

i) Paschim Banga Gramin Bank

ii) Bihar Gramin Bank (BGB) sponsored by UCO Bank and Madhya Bihar Gramin Bank (MBGB) sponsored by Punjab National Bank are amalgamated to form a new entity, Dakshin Bihar Gramin Bank w.e.f. January 1,2019 consequent upon Gazette Notification issued by Government of India dated 21.12.2018 and the new entity is now sponsored by Punjab National Bank. As part of the amalgamation process Bank has received the share Capital of ₹76.35 crore invested in the erstwhile Bihar Gramin Bank (BGB) from Punjab National Bank (PNB) on 30.03.2019. The investment under Zero Coupon Bonds (Tier II Bond) for ₹6.57 crore in erstwhile Bihar Gramin Bank (BGB) is yet to be received from Punjab National Bank (PNB).

d) The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस): (एएस -20)

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

प्रति शेयर अर्जन ईपीएस का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2019	31.3.2018
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	-4321.08	-4436.37
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	542,33,98,204	230,81,57,136
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	387,03,18,135	175,86,96,455
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	-11.16	-25.23

9.7 एस-21, 23, 24, 25, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अत: आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा एएस 23, असतत परिचालन-एएस 24 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग-एएस 25 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹2759.12 करोड़ (वित्तीय वर्ष ₹2463.64 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

9.7 Applicability of AS-21, 23, 24, 25, 27

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 - Discontinuing Operations, AS-25 - Interim Financial Reporting and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) During the year net amount of ₹2759.12 Crore (₹2463.64 Crore for FY 2017-18) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	7246.00	4917.66
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	171.44	166.42
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	47.06	70.68
एएस-15 के लिए प्रावधान/ Provision for AS-15	20.80	18.99
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	172.21	171.60
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	30.40	--
कपट एवं अन्य के लिए प्रावधान/Provision for Fraud and other	398.46	181.23
योगः/TOTAL :	**8086.37**	**5526.58**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	51.91
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	147.42
योगः/TOTAL:	--	**199.33**
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**8086.37**	**5327.25**

9.9 अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

9.9 Intangible assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/**Intangible Assets as on 31.03.2019** (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	35.32	33.99
2	घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	2.86
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरूद्ध Net Block at the beginning of the year	35.32	31.13
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	8.29	17.58
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	12.93	13.39
6	योग/Total	30.68	35.32
7	घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	17.57	18.32
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	0.00	0.00
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	13.11	17.00

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन**/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2019**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन **Amortization**	**दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** **As on 31.03.2019**	**दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार** **As on 31.03.2018**
10 सकल आथ शेष/Gross Opening balance	18.32	19.52
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	0.95
12 शुद्ध अथ शेष /Net Opening Balance	18.32	18.57
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	12.18	13.14
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	12.93	13.39
16 अंतिम शेष/Closing Balance	17.57	18.32

9.10 आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण **Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account**	**चालू वर्ष** **Current Year**	**पिछले वर्ष** **Previous Year**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	6.47	348.03
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	8294.92	7343.38
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	267.20	220.48
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	-4.91	-346.24
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	15.36	9.42
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	8.17	6.39
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	-69.56	-46.24
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-2759.12	-2463.64
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	190.00	75.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	1132.80	624.03
योग / Total	**7081.33**	**5770.61**

10.2 आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर,टीडीएस, शास्ति ,ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹16.40 करोड़ (₹36.90 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कलकता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.2 Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to ₹16.40 Crore (₹36.90 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to ₹3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has not received any intimation/notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 अस्थायी प्रावधान शून्य

10.3 Floating Provisions Nil

10.4 शिकायतों का प्रकटीकरण

अ) ग्राहक-शिकायतें :

10.4 Disclosure of Complaints

A) Customer Complaints:

		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क A	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	467	291
ख B	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	21470	21737
ग C	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	21566	21561
घ D	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	371	467

नोट : ग्राहक शिकायतों में एटीएम शिकायतें भी शामिल हैं

Note : Number of customer complaints also includes ATM complaints.

आ) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.19

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
371	0	0	0	371

इ) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:**

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

		चालू वर्ष **Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
क a	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0	0
ख b	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	0
ग c	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of Awards implemented during the year	0	0
घ d	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

घ) **एटीएम से संबंधित शिकायतें :**

d) ATM Related Complaints:

		चालू वर्ष **Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
क a	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	222	62
ख b	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	6981	8949
ग c	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	7054	8789
घ d	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	149	222

10.5 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार है:

10.5 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2018-19	0.00
2	वर्ष 2018-19 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2018-19	1383.00
3	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2019	0.00

10.6 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

10.6 Provisioning Coverage Ratio

	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31.03.2019 (Current Year)**	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) **As on 31.03.2018 (Previous Year)**
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात/Provisioning Coverage Ratio	74.93%	61.38%

10.7 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इंश्यूरेंस कंपनी लि., मेसर्स फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि., मेसर्स लिबर्टी विडियोकान जनरल इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.7 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
लाइफ कारोबार / Life Business	2.75	4.56
नॉन-लाइफ कारोबार / Non Life Business	5.90	4.87

10.8 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण

10.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures

क) जमाराशियों का संकेंद्रण

a) Concentration of Deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष /Current Year	पिछले वर्ष /Previous Year
20 अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of 20 largest depositors	29259.49	15580.27
कुल जामाराशियां/Total Deposits	197906.78	181849.28
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस (20) अत्यधिक बड़े जमाकर्ता / Top 20 Depositors as % Total Deposits	**14.78%**	**8.57%**

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस (20) अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम /Total advances to twenty largest borrowers	15929.19	18460.61
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	13.32%	14.89%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	19404.04	22148.15
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	9.85%	11.69%

10.9 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

10.9 Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2018-19	2017-18
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	3595.28	3657.40

10.10 **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां**

10.10 Sector wise Advances

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year 2018-19			पिछले वर्ष/ Previous Year 2017-18		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	**सकल एनपीए**/ Gross NPAs	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत**/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	**कुल बकाया अग्रिम**/ Outstanding Total Advance	**सकल एनपीए**/ Gross NPAs	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत**/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / Priority Sector (Including RIDF)						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	21197.49	4479.75	21.13%	20665.71	3028.64	14.66%
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	2540.34	682.62	26.87%	5211.50	787.26	15.11%
3	सेवा क्षेत्र/Services	16411.65	2199.46	13.40%	16754.48	2149.77	12.83%
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	10482.92	507.19	4.84%	8500.89	623.78	7.34%
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	**50632.40**	**7869.02**	**15.54%**	**51132.58**	**6589.45**	**12.89%**
B	गैर प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग/Industry	31857.30	18179.93	57.07%	32042.85	20630.4	64.38%
3	सेवा क्षेत्र/Services	3262.64	102.76	3.15%	2529.09	129.19	5.11%
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	10633.66	499.35	4.69%	10278.53	658.40	6.41%
5	अन्य/Others	22187.01	3237.27	14.59%	28006.48	2542.48	9.08%
	उपयोग(आ)/Sub-total (B)	68940.61	22019.31	31.94%	72856.95	23960.47	32.89%
	कुल (अ+आ)/**Total (A+B)**	**119573.01**	**29888.33**	**25.00%**	**123989.53**	**30549.92**	**24.64%**

10.11 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ / Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets		
मदें / Item	**2018-19**	**2017-18**
क) दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2018 (Opening Balance)	**30549.92**	**22540.95**
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions (Fresh NPAs) during the year	9027.16	15027.43
plus Exchange Difference	55.28	6.37
उप योग (अ)/Sub Total (A)	39632.36	37574.75
ग/c) घटाएं:/Less:		
(i) ग्रेड उन्न्यन/Upgradations	2332.20	2610.08
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) / Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2991.52	1680.04
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालना/Technical/Prudential Write-offs	3433.19	1517.84
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बट्टे खाते डालना/Write-Off other than those under (iii) above	987.12	1216.87
उप योग (आ)/Sub total (B)	**9744.03**	**7024.83**
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) (d) Gross NPAs as on 31st March 2019 (Closing Balance) (A-B)	**29888.33**	**30549.92**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का ब्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:

विवरण/Particulars तकनीकी बट्टे खाते डाले गए एवं वसूलियां/Technical Write-off and Recoveries	2018-19	2017-18
दिनांक 01.04.2018 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2018	5915.11	5023.07
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	3433.19	1517.84
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	17.6	35.39
उप योग (अ)/ (A) Sub-total	9365.90	6576.30
घटाएं : वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) (B) Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year	767.14	661.19
(आ) 31.03.2019 को अंतिम शेष / (B) Closing balance as at 31.03.2019	**8598.76**	**5915.11**

10.12 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /**Overseas Assets, NPA's and Revenue**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
कुल आस्तियां/Total Assets	11669.34	19023.42
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	655.48	1079.78
कुल राजस्व/Total revenue	467.31	621.70

10.13 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 समाधान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप ही जाता है। अंतर शाखा लेन-देन एवं अंतर-बैंक शाखा लेन-देन में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2019 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.15 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10.13 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.14 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn up to 31.03.2019 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz., branch adjustment, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.15 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	122.98	103.02
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	46.90	21.92
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	5.19	1.96
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	164.69	122.98

10.16 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति गठित की है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीआई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीआई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीआई) हेतु 31.03.2019 को ₹24.02 लाख की देयता का अनुमान लगाया है तथापि बही में इसके लिए ₹39.10 लाख प्रावधान किया गया है।

10.17 चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज,बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हे 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर के परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

एलसी आर का निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एल सी आर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं :

10.16 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of ₹24.02 lacs as on 31.03.2019 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and however, provision for the same of ₹39.10 lakhs has been provided in the books.

10.17 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**

  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरेक में मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरेक में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 13% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

  1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
  2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
  3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

निधीयन स्रोतों का संकेंद्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधीयन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यत: शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों की संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

- Level 1 Assets

  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 13% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

- **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**
- **Under Level 2A assets**

  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- **Under Level 2B assets**

  1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
  2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
  3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

चलनिधि कवरेज अनुपात/LIQUIDITY COVERAGE RATIO

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/**Quantitative Disclosure:**	(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)				
		चालू वर्ष/**Current Year ***		पिछले वर्ष/ **Previous Year****	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**
	उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets				
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		43,923.87		49,614.85
	नकदी निकासी/Cash Outflow				
2	रिटेल जमा/Retails Deposit	126070.15	9724.42	1,25,494.37	9,616.55
(i)	स्थिर जमा /Stable Deposit	57651.85	2882.59	58,657.83	2,932.89
(ii)	अल्प स्थिर जमा/Less Stable Depsoit	68418.31	6841.83	66,836.54	6,683.65
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें Unsecured Wholesale Advance	31571.10	13785.89	38,267.13	17,137.69
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit (All Counter Parties)	0.14	0.04	19.47	4.87
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operatuonal Deposit (All Counter Parties)	31570.96	13785.85	38,090.40	17,132.82
(iii)	अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt		-	157.26	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन /Secured Wholesale Funding		-		-
5	अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	2804.58	2804.58	1,472.30	1,472.30
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	2804.58	2804.58	1,472.30	1,472.30
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित निकासी Outlows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	-	-	-	-
6	अन्य संविदा निधीयन दायित्व Other Contractual funding Obligations	839.54	839.54	421.79	421.79
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	25648.03	997.36	27,393.86	1,064.38
8	कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows		28151.79		29,712.70
	नकदी निकासी/ Cash Inflow				
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repo)	268.74	-	2,297.17	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	8357.87	6764.67	5,569.58	4,106.94
11	अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	1120.80	783.28	1,281.95	910.36
12	**कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow**	9747.41	7547.94	9,148.70	5,017.30
		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
21	**कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**		43923.87		49,614.85
22	**कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow**		20603.84		24,695.40
23	**चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)**		213.18%		200.91%

* **पिछली तिमाही समाप्ति का औसत, यानी अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019**/Average of Daily LCR of Current Year i.e. April 2018 to March 2019

** **पिछले वर्ष, यानी अप्रैल, 2017 से मार्च 2018 के दैनिक एसीआर का औसत** /Average of Daily LCR of Last Year i.e. April 2017 to March 2018

10.18 अचल आस्तियां

(i) बैंक ने भूमि एवं भवन के लिए पुनर्मूल्यन मॉडल को तथा अन्य अचल आस्तियों के लिए लागत मॉडल को अपनाया है।

(ii) बैंक ने स्वतंत्र सुयोग्य मूल्यांककों द्वारा अंतिम बार 31.03.2019 को अपने परिसर का पुनर्मूल्यन कराया था। बही मूल्य से अतिरिक्त उचित मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है। नियत तिथि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि की कुल राशि (हटाई गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) ₹2555.36 करोड़ (₹2537.71 करोड़) है तथा पुनर्मूल्यित भाग पर लगाया गया अवमूल्यन ₹205.60 करोड़ (₹185.94 करोड़) है। संशोधित एएस 10 के अनुसार भवन के पुनर्मूल्यन के कारण ₹21.20 करोड़ (22.74) के अतिरिक्त अवमूल्यन के बराबर की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

(iii) मूल्यांकक ने निम्नांकित रीतियों से उपर्युक्त संपत्तियों का मूल्यांकन किया हैः

भूमिः नवीनतम लेन-देन के आधार पर स्थानीय पूछताछ द्वारा बाजार दरों पर, और जहाँ भी यह सूचना उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दर को संदर्भ दर लिया गया है।

भवनः निर्माण प्रकार के आधार पर नवीनतम अनुसूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्लिंथ दर पर और भवन की आयु के अनुसार अवमूल्यन घटक लागू किया गया है।

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण :

क) ₹451.38 कोरड़ रु का पट्टे पर लिए गए संपत्ति सहित परिसर एवं वर्ष के दौरान ₹4.27 करोड़ रु परिशोधित की गई।

ख) दो वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण / पंजीकरण हेतु लंबित लीज़ की आठ (8) लीज़ धारित संपत्तियों में से एक संपत्ति वर्ष 1995 से लंबित है। बैंक ने सभी मामलों में वांछित कार्रवाई किया है और यह समय पर पूरा हो जाएगा।

ग) बैंक द्वारा खरीदी गई पॉच (5) संपत्तियों के मामले में पट्टा हस्तांतरण का कार्य लंबित है। बैंक ने इसके लिए वांछित कार्रवाई किया है।

घ) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700 001 में स्थित अपने भवन में अनधिकृत 26 किरायादारों में से 24 किरायादारों के विरुद्ध बैंक ने 20.05.2015 में मामला दायर किया है और यह मामला सिटी सिविल कोर्ट के पास लंबित है।

ङ) देयताओं की प्रतिभूति रूप से गिरवी रखे गए हक, संपत्ति , संयंत्र एवं उपस्कर पर बंधन का अस्तित्व एवं सीमा – शून्य

च) 31.03.2019 को संपत्ति, संयंत्र, एवं उपस्कर के अधिग्रहण हेतु संविदागत वायदा – ₹37.27 करोड़ (पीवाई ₹41.61 करोड़)

छ) निर्माण प्रक्रिया में संयंत्र उपस्कर की किसी वस्तु की वहनीय मात्रा में लिया गया व्यय – ₹3.09 करोड़ (₹8.23 करोड़)

ज) सक्रिय उपयोग से हटाकर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की मात्रा - शून्य

10.18 Fixed Assets

(i) Bank has adopted Revaluation Model for Land and Building and Cost Model for other Fixed Assets.

(ii) Bank has revalued its premises last on 31.03.2019 by independent qualified valuers. The excess of fair market value over the book value is credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹2555.36 crore (₹2537.71 crore) and depreciation on the revalued portion charged is ₹205.60 crore (₹185.94 crore). As per revised AS 10, Revaluation Reserve equal to the additional depreciation on account of Revaluation of the Building amounting to ₹21.20 Crore (22.74 Crore) has been transferred to Revenue Reserve.

(iii) The valuer has valued the properties on the following methods :

Land: On market rates by enquiry from the locality based on the latest transactions and wherever this information is not available, Govt. approved rate is taken as reference rate.

Building: On PWD plinth rate as per latest schedule on the basis of type of construction and applying depreciation factor depending on age of the Building.

Other Disclosures regarding Fixed Assets for FY ending 31.03.2019:

a) Premises include Leasehold property of ₹451.38 Crores and amortised during the year ₹4.27 Crores.

b) In respect of Eight (8) lease hold properties, renewal/ registration of lease is due for more than two years, out of which registration of lease of one property is pending since year 1995. The Bank has taken necessary measures in these cases and shall be completed in due course.

c) In Five (5) properties purchased by the bank, execution of deed of conveyance is pending. The Bank has taken necessary measures for the same.

d) Out of twenty six (26) unauthorised tenants at its own building at 2, India Exchange Place, Kolkata-700001, suit has been filed by the Bank on 20.05.2015, against twenty four (24) tenants and case is pending before City Civil Court.

e) Existence and amount of restriction on title, property, Plant & Equipment pledged as security for liabilities - NIL.

f) Contractual commitments for the acquisition of the property, plant & equipment as on 31.03.2019 - ₹37.27 Crore (PY 41.61 Crore).

g) Expenditure recognized in the carrying amount of an item of plant equipment and property in the course of construction is ₹3.09 crore (8.23 crore).

h) Amount of assets retired from active use and held for disposal - NIL

10.19 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची-9 में कहा गया है, विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया जा सके।

10.20 तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

10.19 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from Gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Scheduled 9 of the Balance Sheet.

10.20 Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण/**Disclosure on Frauds:-**

* प्रावधनों को संबंधित अवधि में समान रूप से बांटा जाएगा।
The provisions will be apportioned to the respective periods.

11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण / Disclosure on Frauds

क्र.सं./ S.No.	विवरण/ Details	
1.	दि. 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या। No. of frauds reported during the year ended 31.03.2019	99
2.	शामिल राशि/ Amount involved	₹ 2461.36 करोड़/crores
3.	भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के बाद की गई वसूली। Recovery made after reporting the fraud to RBI	₹ 234.24 करोड़/crores
4.	दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि/Balance outstanding as on 31.03.2019	₹ 2227.12 करोड़/crores
5.	किए गए प्रावधान की मात्रा/Quantum of Provision made	₹ 2227.12 करोड़/crores

12. विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटीकरण / Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अवधि **Period**	लचीली संरचना हेतु चुने गए उधार कर्ताओं की सं **No. of borrowers taken up for flexibly structuring**	लचीली संरचना हेतु ली गई ऋण राशि **Amount of loans taken up for flexible structuring**		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण के औसत अवधि का वित्त भार **Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring**	
		मानक के रूप में वर्गीकृत **Classified as Standard**	एनपीए के रूप में वर्गीकृत **Classified as NPA**	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व **Before applying flexible structuring**	लचीली संरचना लागू करने के बाद **After Applying flexible structuring**
पूर्व वित्त वर्ष Previous Financial Year	1	194.35	शून्य/NIL	10.21	20.00
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 18 से मार्च 19) Current Financial Year (From April 18 to March 19)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

13) नियोजित ऋण पुनर्सरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें एसडीआर दावा किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन हुआ है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL						

14) एसडीआर योजना के बाहर मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन का निर्णय लिया No. of accounts where banks have decided to effect change in owners hip	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें नए शेयरों के निर्गम या प्रमोटर ईक्विटी की बिक्री द्वारा मालिकाना परिवर्तन किया जाता है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

15) कार्याधीन परियोजनाओं के मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)
Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन करने का निर्णय किया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्सरचित मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL			

16) 31.03.2019 तक, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए) के सतत ढांचे के लिए योजना पर प्रकटीकरण
Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2019

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जहाँ एस 4ए लागू किया गया है। मानक के रुप में वर्गीकृत है। No. of accounts where S4A has been applied Classified as Standard	कुल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
2	287.46	108.49	178.97	162.80
एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोटः भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई /2017 - 18 /131 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.101 /21.04.048 /2017 – 18 दिनांक 12.02.2018 के पहले जबसे लागू

Note: Since implemented prior to RBI circular No. RBI/2017-18/131 DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018

17) एमएसएमई संरचित खाते

"वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत" पर आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई /2018-19/100/ डीबीआर सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई पुनर्संरचित खातों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

17) MSME Restructured Accounts

In accordance with RBI vide circular No. RBI/2018-19/100/DBR No. BP. BC. 18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019 on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Services Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2019 as under:

पुनर्सरचित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	राशि (करोड़ रु. में) Amount (₹ in Crores)
1249	115.50

18) आईएनडी एएस पर प्रकटीकरण

पृष्ठभूमिः

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़ कर, को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है ।

18) Disclosure on IND AS

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

बैंक ने आरबीआई/एमसीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में बैंक के सहयोग के लिए आईएनडी एएस परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलोआईट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी को नियुक्त किया है।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है । पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर,2018 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 28 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया ।

19) संशोधित ढांचा के अंतर्गत दबावग्रस्त खातों के लिए सामाधान योजना के कार्यान्वयन का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बंक के निदेश सं. आरबीआई / 2017-18 / 131 डीबीआर.नं. बीपी.बीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार दवबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशधित नीति को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह दिनांक 12.02.2018 से परिचालन में है। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र को "अधिकारातीत" बताते हुए इसे रद्द कर दिया है और यह विचार व्यक्त किया है कि विधि में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

एसएए 1 तथा एसएमए 2 श्रेणी के अंतर्गत 20.00 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्सपोजर की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से तनावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए एक पृथक संप्रभाग बनाया गया है ताकि समर्पित, विशेषज्ञतापूर्ण तथा प्रेरित टीम के माध्यम से अधिकाधिक तथा समयबद्ध वसूली पर प्रयास केंद्रित किया जा सके।

20. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी नंबर 8/11.01.005/ 2016-17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 5 मई 2017 के माध्यम से यूको बैंक पर शुद्ध अनर्जक आस्ति में हुई वृद्धि एवं प्रतिकूल आरओआई के फलस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से लागू किया है।

बैंक पीसीए ढ़ांचा मानदंड का कड़ाई से पालन कर रहा है । बैंक ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है और अनर्जक आस्तियों को घटाने एवं अपनी लाभप्रद को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। बैंक पीसीए ढ़ांचे के तहत अपनी प्रगति के संबंध में आवधिक रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करता है।

21) कोष्टक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Bank has also appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as IND AS consultant to assist the bank in implementation of Indian Accounting Standard (IND AS) as per RBI/MCA guidelines.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on quarterly basis and last submitted on February 28, 2019 for the nine months ended December 31, 2018 compared with the previous GAAP figures.

19) Disclosure on Implementation of resolution plan on stressed accounts under Revised Framework:

Revised policy for resolution of stressed assets as per RBI direction no. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04. 048/ 2017-18 February 12, 2018 has been approved by Bank's Board and put in to operation effective from 12.02.2018. Subsequently Supreme Court has struck down the RBI circular dated 12.02.2018 as "Ultra-Vires" and opined that it has no effect in law.

To augment the process of resolution of stressed assets under SMA1 and SMA2 category for exposure above Rs.20.00 crores a separate vertical for stressed asset management has also been created as approved by Bank's Board to focus recovery effort through a dedicated, specialized and motivated team for enhanced and timely recovery.

20) Prompt Corrective Action (PCA)

In terms of the RBI Circular No. RBI/2016-17/276 DBS.CO.PPD.BC.No. 8/11.01.005/2016-17 dated April 13, 2017, RBI through its letter dated May 05, 2017 put UCO Bank under Prompt Corrective Action (PCA) framework on account of high Net NPA and negative RoA.

Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve its profitability. Bank is also reporting its progress made on PCA framework to RBI periodically.

21) The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
यूको बैंक के सदस्यों
वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इनमें 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है, 1278 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है तथा 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 1787 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, इसमें शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 6.49 प्रतिशत अग्रिम का, 36.03 प्रतिशत जमा का, 13.21 प्रतिशत ब्याज आय का तथा 39.01 प्रतिशत ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता हैः

क) 31,03,2019 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की ।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ साथ वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

मूल लेखा परीक्षा मामले

3. मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज़ करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना हैः

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिम - वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के साथ एकीकृत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है । विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है। क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है	हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाईः अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता जांच तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा । वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।	सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है।
आस्थगित कर आस्तियॉ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक कुल 8086.37 करोड़ रुपये के आस्थगित कर आस्ति की रिपोर्ट करता है। आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण आकलन / निर्णय की आवश्यकता है क्योंकि उनकी पुनप्रप्ति कई वर्षों तक के लिए भविष्य की लाभप्रदता के पूर्वानुमान पर निर्भर है।	हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन और परीक्षण किया। इसमें आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और माप पर नियंत्रण, प्रबंधन द्वारा भविष्य के कर योग्य मुनाफे को पेश करने में उपयोग की जाने वाली धारणाओं का आकलन और अनुमोदन शामिल था।
समाश्रित देनदारियों के लिए प्रावधान बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण् यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।	इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था : ● कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन। ● विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन । ● सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ। ● जहां उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण। ● वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।
आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण निम्नलिखित कारणों से आईटी प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) तथा आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है (i) लोकेशन पर दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में संव्यवहारों की प्रोसेसिंग के साथ आईटी प्रणाली रूपायन की जटिलता (ii) सीबीएस द्वारा किए जा रहे विभिन्न बारोबारी प्रक्रियाओं जैसे व्यापार वित्तपोषण, एनपीए प्रबंधन, सरकारी कारोबार, स्विफ्ट के साथ इंटरफेसिंग को शामिल करते हुए फौरेक्स प्रबंधन, ट्रेज़री परिचालन में मानवीय हस्तक्षेप की तथा नियंत्रण की संभावना की अवहेलना होती है।	हमने बैंक के सूचना प्रणाली पर आईटी नियंत्रण की डिज़ाइन तथा प्रभाविता की जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बहुत महत्व के क्षेत्र हैं, जांच की। हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (क) लाजिकल एक्सेस (ख) चेंज प्रबंधन (ग) आईटी परिचाल न नियंत्रण के पहलू की भी जांच की उक्त में प्रणाली में एक्सेस के यूज़र अनुरोध की जांच करना भी शामिल है कि क्या उनकी सम्यक रूप से समीक्षा की जाती है तथा उनको प्राधिकृत किया जाता है: सम्यक रूप से अनुमोदन देने तथा प्राधिकृत करने के लिए प्रणाली परिवर्तन के अनुरोध का भी हमने निरीक्षण किया है। हमने आईएस तथा अन्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भरोसा किया है तथा चयनित क्षेत्रों में हमने आईएस विशेषज्ञों से उनके विचार भी लिए हैं।

वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए , हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी , या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है ।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणी के गवर्नेंस के लिए प्रभारीजनों का दायित्व

5. बैंक के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं । इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना , कार्यान्वयन और रखरखाव करना , जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने ये समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारीलेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकतीं हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।

जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं ।

जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमीं किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

8. उक्त पैराग्राफ 5 से 6 में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

(ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा

(ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

9. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

(क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;

(ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;

(ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।

(घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते आर एम लाल एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 000932सी

(सीए आर पी तिवारी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 071448

कृते एम सी भंडारी एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002ई

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 064393

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 311017ई

(सीए दिव्येंदु पाल चौधुरी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 016830

कृते रमा के गुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 005005सी

(सीए अंकुर गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 429684

कृते रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 001661एन

(सीए राजाराम गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 081279

स्थान : कोलकाता
दिनांक 14 मई 2019

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank

Report On The Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of UCO Bank("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 1278 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors and 2 overseas branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1787 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.49 per cent of advances, 36.03 per cent of deposits, 13.21 per cent of interest income and 39.01 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;

b. true balance of loss in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and

c. true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Advances- Classification and Provisioning The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software integrated with its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures Evaluation and testing of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI.

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Deferred Tax Assets The Bank reports net deferred tax assets aggregating Rs.8086.37 crores as of 31st March, 2019. Significant assessment/judgment is required in relation to deferred tax assets as their recoverability is dependent on forecasts of future profitability over a number of years.	We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of deferred tax assets. This included controls over the recognition and measurement of deferred tax assets, the assessment and approval of assumptions used in projecting the future taxable profits by the management.
Provisions for Contingent Liabilities The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was a key matter for our audit.	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included, ● Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. ● Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. ● Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation. ● Analysis of opinion received from the experts where available. ● Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.
IT Systems & Controls IT systems based on Core Banking Solutions (CBS) and internal controls due to (i) the complexity of IT systems architecture with large volume of transactions processed in location on daily basis (ii) Possibilities of Manual Intervention and control overrides in various business process undertaken by the CBS like Trade Finance, NPA Management, Govt. Business, Forex Management including interfacing with swift, Treasury Operations etc.	We tested the design and operating effectiveness of the Bank IT controls over the information systems that are critical to financial reporting. We also tested IT general controls (a) Logical Access (b) Changes Management (c) Aspects of IT Operational Controls The above includes testing of user requests for access to systems whether they were appropriately reviewed and authorized. We have also inspected the requests of change to systems for appropriate approval and authorization. We have relied on the IS and other related audit reports and obtained inputs from IS experts in selected areas.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III Business Responsibility Report, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For R M LALL & CO
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(CA R. P. TEWARI)
Partner
Membership No. 071448

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No.064393

For V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830

For RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(CA ANKUR GUPTA)
Partner
Membership No. 429684

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(CA RAJA RAM GUPTA)
Partner
Membership No. 081279

Place: Kolkata
Date: 14th May, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹ ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹ ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	(70648402)	(44269516)
समायोजन / Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1368811	1518416
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	5914201	7339692
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets	82949254	73433764
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	(49114)	(3462361)
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	(18154698)	(19699176)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(94905)	(3355)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1889793	2150952
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (इसे अलग रखा गया)		
Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	(48483)	(82940)
टियर-II बॉंडों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग माना गया)		
Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	(318973)	(114825)
एटी-1 बॉंडों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
Interest paid on AT-1 Bonds (treated separately)	57699	790952
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)	445000	1385423
उप-योग/Sub-total	**3310183**	**18987026**
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	5254064	(200000)
	8564247	**18787026**
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(118609649)	23230078
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(1387465)	49110556
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	33095713	(8841412)
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(32755833)	32342999
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	160575018	(194352313)
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(8919880)	(11095330)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net cash flow from operating activities (A)	**40562151**	**(90818396)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(755047)	(1094276)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	250176	47188
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend received from subsidiaries/others	48483	82940

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	₹
	टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds		318973		114825
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)				
	Net cash flow from investing activities (B)		**(137415)**		**(849323)**
इ.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/**				
C.	**Cash flow from financing activities :**				
	ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares		14682578		4412709
	ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares		16077422		9337291
	भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया)				
	Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)		33300000		51320000
	ईसपीएस आवेदन मुद्रा राशि/Amount of ESPS Application Money		2666822		0
	एटी-1 बाँडों का मोचन/ Redemption of AT-1 Bonds		(7500000)		0
	अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds		0		(3200000)
	गौण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts		(1000000)		0
	एटी-1 बाँडों पर ब्याज/Interest paid on AT-1 Bonds		(57699)		(790952)
	अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments		(445000)		(1385423)
	गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts		(1889793)		(2150952)
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)				
	Net cash flow from financing activities (C)		**55834330**		**57542673**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)				
	Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)		**96259066**		**(34125046)**
	विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation		581563		606576

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

ऐ. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

अमित चटर्जी
निदेशक
AMIT CHATTERJEE
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**96840629**	**(33518470)**
क्रमश:1 अप्रैल 2018 और 2017 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2018 & 2017 respectively	**147480361**	**180998831**
क्रमश: 31 मार्च 2019 और 2018 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents as on March 31,2019 & 2018 respectively	**244320990**	**147480361**

ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year

हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	6363014	6357306
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	74887777	81545192
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	66229570	93096333
	147480361	**180998831**

उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year

हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5850833	6363014
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	82379270	74887777
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	156090887	66229570
	244320990	**147480361**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए आर.पी. तिवारी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 071448
(CA R.P. TEWARI)
Partner
Membership No. 071448

एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता क्र. 064393
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393

वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 016830
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए अंकुर गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 429684
(CA ANKUR GUPTA)
Partner
Membership No. 429684

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए राजा राम गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 081279
(CA RAJA RAM GUPTA)
Partner
Membership No. 081279

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 14th मई/May, 2019

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता है:

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानददंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Cate	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
		लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)			
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10	5 तक Upto 5	निरंक NIL	

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का

बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

तालिका डीएफ - 1:

प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य हैः यूको बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.

ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती हैः

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैंः

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोधः लागू नहीं

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2019

UCO BANK

Table DF - 1:

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.

(i) Qualitative Disclosures:

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						

a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
NA	NA	NA	NA

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NA	NA	NA	NA	NA

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NA	NA	NA	NA	NA

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable

तालिका डी एफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	6763.20
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	1000.54
ब्याज दर जोखिम	926.74
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	3.29
ईक्विटी जोखिम	70.51
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	824.12
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) **सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :**	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	8.64%
टियर 1	8.64%
कुल पूँजी अनुपात	10.70%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF - 2

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
Quantitative Disclosures		(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk :	
	Portfolio subject to Standardized Approach	6763.20
	Securitization Exposures	Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk :	
	Standardized Duration Approach	1000.54
	Interest Rate Risk	926.74
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	3.29
	Equity Risk	70.51
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)	824.12
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
	Common Equity Tier I	8.64%
	Tier I	8.64%
	Total Capital ratios	10.70%
	For the top consolidated group	Not Applicable
	For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है –

i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।

iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।

v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।

ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. ऋण जोखिम अधिग्रहण – कार्यनीति एवं नीतियां

ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया

iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया

iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण (सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	119573.01	9457.32
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	111738.53	8693.54
विदेशी	7834.48	763.78

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	865.66	488.58
क.1 कोयला	345.40	462.76
क.2 अन्य	520.26	25.82
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	**2850.29**	**202.62**
ख.1 चीनी	292.92	14.06
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	339.27	104.83
ख.3 चाय	548.11	7.03
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	1669.99	76.70
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	**18.40**	**12.57**
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	18.40	12.57
घ. वस्त्र (क से च तक)	**2105.01**	**96.16**
क. सूती वस्त्र	1342.73	50.49
ख. जूट	7.52	2.82
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	42.85	
घ (अर्थात कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	**62.61**	**3.62**
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	**118.73**	**0.82**
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	**461.27**	**34.17**
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	**2021.26**	**40.68**
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	**639.07**	**164.78**
झ.1 उर्वरक	58.72	13.81
झ.2 औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	196.41	15.60
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	67.53	4.60
झ.4 अन्य	316.41	130.77
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	**102.92**	**17.96**
ट. कांच एवं कांच के सामान	**225.87**	**20.74**
ठ सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	**666.85**	**35.97**
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	**7285.95**	**1098.87**
ड.1 लोहा एवं इस्पात	6442.00	398.86
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	843.95	700.01
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2	**3262.50**	**662.12**
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	988.88	43.41
ण.2 अन्य	2273.62	618.71
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	**752.82**	**5.08**
थ. रत्न एवं जेवर	**596.55**	**5.00**
द. विनिर्माण	**2035.15**	**712.09**
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	**18594.75**	**1525.48**
क. यातायात (क.1 से क.6)	3062.87	475.58
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	2698.37	475.58
क.2 बंदरगाह	10.75	0.0
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.0
क.4 हवाईअड्डा	184.55	0.0
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	169.20	0.0
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)		

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम		एक्सपोजर	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख.	ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	12226.24	729.88
ख.1	बिजली (उत्पादन)	9881.41	191.53
ख.1.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.1.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.1.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.2	बिजली (संचारण)	1425.24	405.97
ख.2.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1425.24	405.97
ख.2.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.3	बिजली (वितरण)	919.59	132.38
ख.3.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	919.59	132.38
ख.3.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4	तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5	तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6	गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.	जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	270.00	0.00
ग.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंध	273.35	103.51
ग.2	जल-आपूर्ति पाईपलाईऩ	0.00	0.00
ग.3	जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4	अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5	सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6	बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ.	संचार (घ.1 से घ.2)	1034.12	99.29
घ.1	दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	20.57	0.00
घ.2	दूरसंचार टॉवर	1013.55	99.29
ङ	सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से इ.9)	2001.52	211.98
ङ.1	शिक्षण संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)	79.28	9.70
ङ.2	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)	41.96	0.15
ङ.3	1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	190.91	202.13
ङ.4	औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	195.67	0.00
ङ.5	उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6	बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	5.36	0.00
ङ.7	अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8	मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9	शीत भंडारण की शृंखला	1488.34	0.00
न.	अन्य उधोग	15775.21	723.04
	समस्त उद्योग (क से न तक)	**58440.87**	**5841.60**

घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक परंतु 3 माह तक	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	
जमा	1824	6596	5433	9810	11312	10658	24026	37505	29562	8135	53047	197907
सकल अग्रिम	582	3440	2143	1965	3078	4921	6999	8641	15882	12618	59303	119573
निवेश	3	-	249	262	2020	566	3401	4559	4233	6846	61668	83810
ऋण	976	-	-	275	-	33	174	2266	2275	1325	1000	8324
विदेशी मुद्रा आस्तियां	585	1170	279	1612	2766	1808	3133	706	4422	433	2418	19331
विदेशी मुद्रा देयताएं	709	197	230	124	1848	972	1403	2149	6416	902	2090	17040

च) एनपीए की राशि (सकल) : **29888.33** करोड़
- अवमानक : **4410.37** करोड़
- संदिग्ध **1** : **5188.16** करोड़
- संदिग्ध **2** : **11153.33** करोड़
- संदिग्ध **3** : **5500.60** करोड़
- हानि : **3635.87** करोड़

छ) शुद्ध एनपीए : **9649.92** करोड़

ज) एनपीए अनुपातः -
- सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : **25.00%**
- शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : **9.72%**

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)
- प्रारंभिक शेष : **30549.92** करोड़
- वृद्धि : **9082.44** करोड़
- कमी : **9744.03** करोड़
- अंत शेष : **29888.33** करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़ (₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	**विशेष प्रावधान #**	**सामान्य प्रावधान @**
प्रारंभिक शेष	15090.61	495.85
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	8294.92	शून्य
बट्टे खाते डालना	4420.31	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	शून्य	-4.61
विनिमय अंतर	28.49	1.63
अंत शेष	18993.71	492.87

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ञ) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं	—
(बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	₹448.30 करोड़

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : 879.89 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि : 799.76 करोड़

ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष : 1121.63 करोड़
- अवधि के दौरान किए गए प्रावधान : 632.42 करोड़
- बट्टे खाते डालना : शून्य
- विनिमय अंतराल : -34.46 करोड़
- अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना : 625.68 करोड़
- अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना : 315.76 करोड़
- अंत शेष : 778.15करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	289.86	278.26
2	खाद्य प्रसंस्करण	1749.72	1588.62
3	वस्त्र	1465.46	1350.21
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	29.79	15.13
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	70.34	42.12
6	कागज एवं कागज उत्पाद	348.03	275.88
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	1460.35	1459.94
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	298.60	277.33
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	12.57	7.33
10	कांच एवं कांच के सामान	76.12	76.12
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	521.37	365.15
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	4758.08	4089.00
13	समस्त इंजीनियरिंग	2599.60	1962.09
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	687.47	606.78
15	रत्न एवं आभूषण	279.34	243.47
16	निर्माण	1760.47	1700.18

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	29232.85	655.48	29888.33
एनपीए के लिए प्रावधान	18578.14	415.57	18993.71
मानक अग्रिमों के प्रावधान	459.20	33.67	492.87

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
ii. Credit approval processes.
iii. Credit Risk monitoring processes.
iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ` 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ` 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	119573.01	9457.32
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	111738.53	8693.54
Overseas	7834.48	763.78

c) Industry type distribution of Exposures (Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposures	
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	865.66	488.58
A.1 Coal	345.40	462.76
A.2 Others	520.26	25.82
B. Food Processing (B.1 to B.5)	**2850.29**	**202.62**
B.1 Sugar	292.92	14.06
B.2 Edible Oils and Vanaspati	339.27	104.83
B.3 Tea	548.11	7.03
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	1669.99	76.70
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	**18.40**	**12.57**
Of which Tobacco and tobacco products	18.40	12.57
D. Textiles (a to f)	**2105.01**	**96.16**
a. Cotton	1342.73	50.49
b. Jute	7.52	2.82
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00
d. Silk	0.00	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	754.76	42.85
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
E. Leather and Leather products	**62.61**	**3.62**
F. Wood and Wood Products	**118.73**	**0.82**
G. Paper and Paper Products	**461.27**	**34.17**
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**2021.26**	**40.68**
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	**639.07**	**164.78**
I.1 Fertilizers	58.72	13.81
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	196.41	15.60
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	67.53	4.60
I.4 Others	316.41	130.77
J. Rubber, Plastic and their Products	**102.92**	**17.96**
K. Glass & Glassware	**225.87**	**20.74**
L. Cement and Cement Products	**666.85**	**35.97**
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	**7285.95**	**1098.87**
M.1 Iron and Steel	6442.00	398.86
M.2 Other Metal and Metal Products	843.95	700.01
N. All Engineering (N.1 + N.2)	**3262.50**	**662.12**
N.1 Electronics	988.88	43.41
N.2 Others	2273.62	618.71
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	**752.82**	**5.08**
P. Gems and Jewellery	**596.55**	**5.00**
Q. Construction	**2035.15**	**712.09**
S. Infrastructure (a to d)	**18594.75**	**1516.73**
a. Transport (a.1 to a.6)	3062.87	475.58
a.1 Roads and Bridges	2698.37	475.58
a.2 Ports	10.75	0.0
a.3 Inland Waterways	0.00	0.0
a.4 Airport	184.55	0.0
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	169.20	0.0
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)		

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	12226.24	729.88
b.1 Electricity (Generation)	9881.41	191.53
b.1.1 Central Govt PSUs		
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)		
b.1.3 Private Sector		
b.2 Electricity (Transmission)	1425.24	405.97
b.2.1 Central Govt PSUs		
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1425.24	405.97
b.2.3 Private Sector		
b.3 Electricity (Distribution)	919.59	132.38
b.3.1 Central Govt PSUs		
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	919.59	132.38
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	270.00	0.00
c.1 Solid Waste Management		
c.2 Water supply pipelines	270.00	0.00
c.3 Water treatment plants		
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system		
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)		
c.6 Storm Water Drainage System		
d. Communication (d.1 to d.2)	1034.12	99.29
d.1 Telecommunication (Fixed network)	20.57	0.00
d.2 Telecommunication towers	1013.55	99.29
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	2001.52	211.98
e.1 Education Institutions (capital stock)	79.28	9.70
e.2 Hospitals (capital stock)	41.96	0.15
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	190.91	202.13
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	195.67	0.00
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	5.36	0.00
e.7 Terminal markets		
e.8 Soil-testing laboratories		
e.9 Cold Chain	1488.34	0.00
T. Other Industries	15775.21	723.04
All Industries (A to T)	**58440.87**	**5841.60**

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 Month	Over 2 Month and upto 3 Months	Over 3 Month and upto 6Months	Over 6 Month and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 year and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1824	6596	5433	9810	11312	10658	24026	37505	29562	8135	53047	197907
Advance	582	3440	2143	1965	3078	4921	6999	8641	15882	12618	59303	119573
Gross Investment	3	-	249	262	2020	566	3401	4559	4233	6846	61668	83810
Gross Borrowing	976	-	-	275	-	33	174	2266	2275	1325	1000	8324
Foreign Currency- Asset	585	1170	279	1612	2766	1808	3133	706	4422	433	2418	19331
Foreign Currency - Liabality	709	197	230	124	1848	972	1403	2149	6416	902	2090	17040

e) Amount of NPAs (Gross) : 29888.33 Cr
- Substandard : 4410.37 Cr
- Doubtful 1 : 5188.16 Cr
- Doubtful 2 : 1153.33 Cr
- Doubtful 3 : 5500.60 Cr
- Loss : 3635.87 Cr

f) Net NPAs : 9649.92 Cr

g) NPA Ratios: -
- Gross NPAs to gross advances : 25.00%
- Net NPAs to net advances : 9.72 %

h) Movement of NPAs (Gross)
- Opening balance : 30549.92 Cr
- Additions : 9082.44 Cr
- Reductions : 9744.03 Cr
- Closing balance : 29888.33 Cr

i) Movement of Specific & General Provision (Amount in ₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	15090.61	495.85
Provisions made during the period	8294.92	NIL
Write-off	4420.31	NIL
Write-back of excess provisions	NIL	-4.61
Exchange difference	28.49	1.63
Closing balance	18993.71	492.87

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	— ₹448.30 crore

k) Amount of Non-Performing Investments: 879.80 Cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 799.76 Cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments

- Opening balance : 1121.63 Cr
- Provisions made during the period : 632.42 Cr
- Write-off : NIL
- Exchange Difference : -34.46 Cr
- Write-back of excess provisions : 625.68 Cr
- Write-back of excess provisions : 315.76 Cr
- Closing balance : 778.15 Cr

n) Industry wise NPA and provisions (₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	289.86	278.26
2	Food Processing	1749.72	1588.62
3	Textiles	1465.46	1350.21
4	Leather and Leather products	29.79	15.13
5	Wood and Wood Products	70.34	42.12
6	Paper and Paper Products	348.03	275.88
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1460.35	1459.94
8	Chemicals and Chemical Products	298.60	277.33
9	Rubber, Plastic and their Products	12.57	7.33
10	Glass & Glassware	76.12	76.12
11	Cement and Cement Products	521.37	365.15
12	Basic Metal and Metal Products	4758.08	4089.00
13	All Engineering	2599.60	1962.09
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	687.47	606.78
15	Gems and Jewellery	279.34	243.47
16	Construction	1760.47	1700.18

o) Geography Wise NPA & Provisions (₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	29232.85	655.48	29888.33
Provisions for NPA	18578.14	415.57	18993.71
Provisions for Standard Advances	459.20	33.67	492.87

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

1) सीएआरई
2) सीआरआईएसआईएल
3) इंडिया रेटिंग
4) आईसीआरए
5) बिक्रवर्क
6) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% से कम का जोखिम भार	-	₹1,63,352.97 करोड़
2)	100% जोखिम भार	-	₹29,804.33 करोड़
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	-	₹22,044.63 करोड़
4)	कटौती	-	₹3,539.95 करोड़
	योग	-	**₹2,11,621.98** करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) CARE
2) CRISIL
3) INDIA RATINGS
4) ICRA
5) Brickwork
6) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1)	Below 100% risk weight	-	₹ 1,63,352.97 Cr.
2)	100% risk weight	-	₹29,804.33 Cr.
3)	More than 100% risk weight	-	₹22,044.63 Cr.
4)	Deduction	-	₹3,539.95 Cr.
	Total	-	**₹2,11,621.98 Cr.**

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि –

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगीः

क) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

ख) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

i) निर्माण की प्रकृति

ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती

iii) किराया से होने वाली आय

iv) निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि

v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र

vi) निर्माण की लागत

vii) जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य

(ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) **एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक

(ii) संयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन

(iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना

(iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन

(v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार

(vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी

ii) कार्पोरेट गारंटी

iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल **₹**10,319.93 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.

iii) Operational requirement for guarantees must be met.

iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

i) Nature of construction

ii) Age of the building and its present strength

iii) Rental yield

iv) Tax amount assessed/paid

v) Area of land and building

vi) Cost of construction

vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

a) Current market price of the share

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are -

i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
iv) Assignment of LIC Policies
v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
ii) Corporate Guarantee
iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹10,319.93 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. **उद्देश्य एवं नीतियां:**

   निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया:**

   यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. **संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठनः**

   निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**

   देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. **जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :**

   बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	926.74
ईक्विटी स्थिति जोखिम	70.51
विदेशी मुद्रा जोखिम	3.29

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	926.74
Equity Position Risk	70.51
Foreign Exchange Risk	3.29

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2019 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹824.12 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEx for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹824.12 crores as on 31.03.2019.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹42.77 करोड़
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- 436.81% जोखिम पूंजी

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹42.77 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- 436.81 % Risk Capital

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	**राशि**
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर**
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	74361.45	993.48
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	2316.59	20.66
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	76678.04	1014.14

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

₹ in Cr

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	0.00
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	0.00
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	0.00

₹ in Cr

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2019
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	74361.45	993.48
Single CCY Interest Rate Swaps	2316.59	20.66
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	76678.04	1014.14

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग की जानेवाली बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका (यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		पूर्व-बासेल III उपचार के अधीन राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँज़ी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	210112.3	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	-53036.1	
4	*सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)*		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी*1* में अनुमत राशि)		
6	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व**	**157076.2**	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	72459.8	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें सेः वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें सेः बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें सेः अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क+ 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क *जिसमें सेः* असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख *जिसमें सेः* असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग *जिसमें सेः* प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ *जिसमें सेः* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई)** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत**	84616.4	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
36	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः नियमनकारी समायोजन**	-	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क+41ख)		
	41क जिसमे से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमे से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**	-	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी** (एटी1)	-	
45	**टियर 1 पूँजी (टी1= सीईटी +1 एटी 1) (29 - 44)**	84616.4	
	टियर 2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	14500.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
50	प्रावधान	5795.0	
51	**टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व**	20295.0	
	टियर 2 पूँजीः नियमनकारी समायोजन		

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख *जिसमें सेः* प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	**टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**		
58	**टियर 2 पूँजी** (टी**2**)	20157.2	
59	**कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)**	**104773.6**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60**क + **60**ख + **60**ग**)**	**979805.5**	
	60क *जिसमें सेः कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ*	751466.8	
	60ख *जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ*	125324.1	
	60ग *जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ*	103014.6	
	पूँजी अनुपात एवं वफर		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (*जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में*)	8.64%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.64%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.70%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें सेः *पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता*		
66	*जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता*		
67	*जिसमें सेः जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता*		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी तियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF - 11

Composition of Capital

(₹ in million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	210112.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-53036.1	
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies[1])*		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**157076.2**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	72459.8	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a *of which:* Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b *of which:* Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c *of which:* Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d *of which:* Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments **to Common** equity Tier 1		
29	**Common Equity Tier** 1 **capital (CET1)**	**84616.4**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	-	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	-	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	-	
45	**Tier 1 capital (T1 = CETI + AT1) (29 + 44)**	**84616.4**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	14500.0	
48	Tier 2 instruments (and CETI and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
50	Provisions	5795.0	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**20295.0**	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a *of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	20157.2	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**104773.6**	
60	**Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**979805.5**	
	60a *of which: total credit risk weighted assets*	751466.8	
	60b *of which: total market risk weighted assets*	125324.1	
	60c *of which: total operational risk weighted assets*	103014.6	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.64%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.64%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.70%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of *which: capital conservation buffer requirement*		
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*		
67	*of which: G-SIB buffer requirement*		
68	*Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)*		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	**रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र**
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	54233.982	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	83709.722	
	अल्प संख्य ब्याज		
	शेयर एप्लीकेशन राशी	35966.822	
	कुल पूंजी	173910.526	
ii	जमाराशि		
	जिसमें से : बैंक जमाराशि	33762.952	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	1945304.865	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार		
	जिसमें से: भा.रि. बैंक से	9397.533	
	जिसमें से: बैंकों से	34717.470	
	जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से	3005.072	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	366.711	
	जिसमें से: पूंजीगत लिखत	35750.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	68625.673	
कुल		**2304840.802**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	88230.103	
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	156090.887	
ii	निवेश :		
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति	597735.017	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	270.000	
	जिसमें से : शेयर	2962.382	
	जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड	194617.773	
	जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक	1081.569	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	25650.177	
iii	ऋण एवं अग्रिम		
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	72.118	
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	993066.305	
iv	अचल आस्ति	28223.143	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	80863.700	
	जिसमें से : अन्य	135977.628	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2304840.802**	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी *जिसमें से :* सीईटी 1 के लिए पात्र राशि *जिसमें से :* एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	54233.982 54233.982 0.00 83709.722 35966.822 73910.526	
ii	जमाराशि *जिसमें से :* बैंकों से जमाराशि *जिसमें से :* ग्राहक जमाराशि *जिसमें से :* अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	 33762.952 1945304.865	
iii	उधार *जिसमें से :* भा.रि. बैंक से *जिसमें से :* बैंकों से *जिसमें से :* अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से *जिसमें से :* अन्य (कृपया उल्लेख करें) *जिसमें से :* पूंजीगत लिखत	 9397.533 34717.470 3005.072 366.711 35750.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान *जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी* *जिसमें से :* अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी **कुल**	68625.673 **2304840.802**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	88230.103 156090.887	
ii	निवेश *जिसमें से :* सरकारी प्रतिभूतियां *जिसमें से :* अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *जिसमें से :* शेयर *जिसमें से :* ऋण-पत्र एवं बांड *जिसमें से :* सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम / सहायक *जिसमें से :* अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	 597735.017 270.000 2962.382 194617.773 1081.569 25650.177	
iii	ऋण एवं अग्रिम *जिसमें से : बैंकों को ऋण* एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	 72.118 993066.305	
iv	अचल आस्तियां	28223.143	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां *जिसमें से :* साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	 80863.700 135977.628	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2304840.802**	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	210112.3	
2	प्रतिधारित आमदनी		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	-53036.1	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व	157076.2	
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	72459.8	

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	54233.982	
	Reserves & Surplus	83709.722	
	Minority Interest		
	Share Application Money	35966.822	
	Total Capital	173910.526	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	33762.952	
	of which: Customer deposits	1945304.865	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	9397.533	
	of which: From banks	34717.470	
	of which: From other institutions & agencies	3005.072	
	of which: Others (Outside India)	366.711	
	of which: Capital instruments	35750.00	
iv	Other liabilities & provisions	68625.673	
	Total	**2304840.802**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	88230.103	
	Balance with banks and money at call and short notice	156090.887	
ii	Investments:		
	of which: Government securities	597735.017	
	of which: Other approved securities	270.000	
	of which: Shares	2962.382	
	of which: Debentures & Bonds	194617.773	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1081.569	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	25650.177	
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances to banks	72.118	
	of which: Loans and advances to customers	993066.305	
iv	Fixed assets	28223.143	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	80863.700	
	of which: Others	135977.628	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2304840.802**	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	54233.982	
	of which: Amount eligible for CET1	54233.982	
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	
	Reserves & Surplus	83709.722	
	Share Application Money	35966.822	
	Minority Interest		
	Total Capital	173910.526	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	33762.952	
	of which: Customer deposits	1945304.865	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	9397.533	
	of which: From banks	34717.470	
	of which: From other institutions	3005.072	
	& agencies		
	of which: Others (pl. specify)	366.711	
	of which: Capital instruments	35750.00	
iv	Other liabilities & provisions	68625.673	
	of which: DTLs related to goodwill		
	of which: DTLs related to intangible assets		
	Total	**2304840.802**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	88230.103	
	Balance with banks and money at call and short notice	156090.887	
ii	Investments		
	of which: Government securities	597735.017	
	of which: Other approved securities	270.000	
	of which: Shares	2962.382	
	of which: Debentures & Bonds	194617.773	
	of which: Subsidiaries / Joint		
	Ventures / Associates	1081.569	
	of which: Others (Commercial	25650.177	
	Papers, Mutual Funds etc.)		
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances	72.118	
	to banks		
	of which: Loans and advances		
	to customers	993066.305	
iv	Fixed assets	28223.143	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	80863.700	
	Others	135977.628	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2304840.802**	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	210112.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-53036.1	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	157076.2	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	72459.8	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग्र)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	विनियमनकारी उपचार	विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी – कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	54233.982
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
		की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	विनियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	1500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	विनियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि	शून्य
	(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूल परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जो परिवर्तनीय है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	विनियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	शून्य
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	4000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूल परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.95% शृंखला ।

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वांइट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	Regulatory treatment	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	54233.982
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV

1	Issuer	UCO Bank
2 3	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement) Governing law(s) of the instrument	INE691A09177 RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09151
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	NIL
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	9.75%
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	NIL
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000 .00
9	Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full

33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयरः असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 25.03.2010, प्रतिदान की तारीखः 25.03.2025, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. ब्याज दर और आवृत्तिः 8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्राः ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीखः 22.12.2008, प्रतिदान की तारीखः 22.04.2019, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं . ब्याज दर और आवृत्तिः 9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्राः ₹800 करोड़, आबंटन की तारीखः 08.03.2010, प्रतिदान की तारीखः 08.03.2020, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 8.92%, 8 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.12.2012, प्रतिदान की तारीखः 28.12.2022, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदेयता की तारीखः 31.03.2027, सममूल्य ₹1 मिलियन प्रस्तुती एवं आमंत्रण विकल्पः आमंत्रण विकल्प की तारीख 31.03.2022 ब्याज दर एवं बारम्बारताः 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरणः एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।

तालिका डीएफ - 15

पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency: 8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I (INE691A08047)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: ₹1 Million Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:
बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्वत भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	110.54	110.54	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

(राशि ₹ करोड़ में)

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए)		108.16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर,जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		5.79

(राशि ₹ करोड़ में)

ग. लाभ/हानि विवरण

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	24.34
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर,2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर /@ 150%	0.78

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	110.54	110.54	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		108.16
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		5.79

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	24.34
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.78

तालिका डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2,30,4840.80
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	25006.96
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	0.00
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	79799.00
7	अन्य समायोजन	(72459.80)
8	लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर	**2337186.96**

तालिका डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोज़र	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	2,30,4840.80
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(72459.80)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोज़र (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2,23,2381.00
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	10141.45
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	14865.51
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	25006.96
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र	
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति **12** से लेकर **15** का कुल योग)	0.00
	तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	173307.80
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(93508.80)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	79799.00
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20.	टियर 1 पूँजी	84616.40
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	2337186.96
	लीवरेज अनुपात	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	**3.62%**

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2,30,4840.80
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	25006.96
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	79799.00
7	Other adjustments	(72459.80)
8	Leverage ratio exposure	**2337186.96**

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2,30,4840.80
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(72459.80)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2,23,2381.00
	Derivative exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	10141.45
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	14865.51
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework -	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions) -	

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	25006.96
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions -	
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	173307.80
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(93508.80)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	79799.00
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	84616.40
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2337186.96
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	3.62%

फार्म "बी"

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

16वीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 26 जून, 2019

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डी. पी. पहचान सं. ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	

मैं/हम, ————————————————, निवासी———————————————, जिला————————,राज्य————————, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतदद्वारा श्री/श्रीमती ————————————————————————————————————, निवासी ——————————————————, जिला ————————, राज्य—————————, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती ————————————————, निवासी —————————, जिला ———————, राज्य —————————

को बुधवार, दिनांक 26 जून, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन में भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की **16वीं वार्षिक आम बैठक** में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

₹ 1 /- का रसीदी टिकट

वर्ष 2019 के की तारीख को हस्ताक्षर किए गए

____

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

____

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेशः

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वहः
   (क)किसी व्यष्टिक शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ख) संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ग) किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
2. कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
3. परोक्षी फार्म और
   (क) मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
   (ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व यानी शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
4. कोइ भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक **फार्म "बी"** के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
5. बैक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
6. विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अनधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
7. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
8. कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यकरूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

Form "B"

UCO Bank

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)
16th Annual General Meeting
Dated June 26th, 2019

Regd. folio No. (if not Dematerialised)	
DP ID No. Client ID No. (if Dematerialised)	

I/We ________________________________ resident/s of _________________________________ in the district of _____________________ in the state of _______________ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. __________________________ resident of ________________________________ in the district of _____________________________ in the state of _________________________ or failing him, Shri/Smt. _____________________ resident of ____________________________ in the district of ___________________________ in the state of _________________ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **16th Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Wednesday the 26th June 2019 at 10.30 A.M. at BhashaBhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2019

₹ 1/-
Revenue
Stamp

____
Signature of Proxy

Name :

Address :

____
Signature of first named / sole Shareholder

Instructions for Signing and submitting the Proxy form:

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 21st June, 2019.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक / UCO Bank

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

Attendance Slip

(प्रवेश करते समय जमा करें) (To be surrendered at the time of entry)

दिनांक : बुधवार, 26 जून 2019, पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027

Date : Wednesday, 26th June, 2019 at 10.30 a.m.

Venue : BhashaBhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027

मैं एतद्द्वारा बैंक की 16वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।

I hereby record my presence at the 16th Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

---

प्रवेश Entry Pass

(प्रवेश करते समय जमा करें) (To be surrendered at the time of entry)

सदस्य/परोक्षी का नामः (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

---

प्रवेश Entry Pass

(मतदान करने के समय जमा करें) (To be surrendered at the time of voting)

सदस्य/परोक्षी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक : 26 जून 2019

Dated : 26th June 2019

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/ जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची जारी नहीं किया जाएगी।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

BHIM
BHARAT INTERFACE FOR MONEY